खण्ड ९ — अंक ५
२० नवम्बर, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ३२९–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ — ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... — ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ — ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका — ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ — ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ — ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ — ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ — ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ — ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... — ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका — ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ — ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ — ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ... — ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि — ५६४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन

†*१९२. { **श्री बंसल :** + **श्री भागवत झा आज़ाद :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अखिल भारतीय कृषक परिषद् की उस सिफ़ारिश के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है जिसमें सरकार से बुवाई का मौसम आरम्भ होने से पहले ही कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित और घोषित करने का अनुरोध किया गया था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : जी, नहीं ।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार ने, इस मंच के संकल्प को देखते हुये, उसके द्वारा किये गये सुझाव की सुकरता की परीक्षा की है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसमें संदेह नहीं कि यह प्रश्न सदा ही हमारे ध्यान में रहता है। सौभाग्य से, अभी इस समय मूल्य बहुत कम नहीं हैं। इसलिये, अभी इसी समय, उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय करना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन हम सदा ही इसका ध्यान रखते हैं, और मूल्यों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार करने की सम्भावनाओं के अतिरिक्त और भी अन्य तमाम चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम उत्पादकों की सहायता करने का प्रयास करते हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैं इसमें थोड़ा और जोड़ दूं। इससे पहले जब भी कभी यह प्रश्न उग्र रूप से सामने आया है, हम तदर्थ कार्यवाहियां करते रहे हैं। लेकिन, फ़सल आने से पहले ही उसके सम्बन्ध में एक पूर्णरूपेण नीति बना लेने और मूल्यों की घोषणा कर देने का प्रश्न एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। तुलनात्मक मूल्यों के निर्धारण के लिये, हमें फ़सलों के उत्पादन की लागत निर्धारित करने के हेतु काफ़ी बड़े पैमाने पर परीक्षण करने पड़ेंगे। हमारे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है। और फिर

†मूल अंग्रेज़ी में

M5LSD—1

इस कार्य के लिये इतने अधिक धन की आवश्यकता है कि जितना कि मुझे संदेह है कि हम शायद इस समय इसके लिये व्यय नहीं कर सकेंगे। इसीलिये, यह मानते हुये भी कि इस प्रश्न का अपना एक महत्व है और हम पूरी तौर पर इस बात को जानते भी हैं कि उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिये पर्याप्त मूल्य दिलाने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये, फिर भी अभी इस समय हम इस स्थिति में नहीं हैं कि संकल्प में जिस पैमाने पर मूल्यों के प्रश्न को लिया गया है उसे उसी पैमाने पर ले सकें।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इस संकल्प को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और इस सम्बन्ध में उनके विचार जान लिये गये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, नहीं। हमने कई वर्षों तक इस समस्या पर काफ़ी विचार किया है और इस संकल्प में उल्लिखित लगभग सभी बातें किसी न किसी समय हमारे सामने आ चुकी हैं। इसलिये, हमने उसे राज्य सरकारों के पास भेजना आवश्यक नहीं समझा।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार ने इसकी ओर उचित ध्यान दिया है कि मूल्यों को किसी एक स्तर से अधिक नीचे न गिरने दिया जाये और उन्हें इतना ऊंचा भी न उठने दिया जाये जिसका कि उपभोक्ताओं के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके।

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस समय हमारे सामने ठीक यही समस्या है। इस समय समस्या मूल्यों के कुछ गिर जाने की नहीं है। माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि सरकार ने बहुत अधिक संख्या में उचित मूल्यों की दुकानें खोल दी हैं। इस समय देश भर में उनकी संख्या लगभग १८,००० है। हम मूल्यों की किसी भी अनुचित वृद्धि को रोकने के विचार से, इस संख्या को और भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मूल्य निर्धारण का यह सुझाव केवल वाणिज्यिक फ़सलों के लिये ही दिया गया है या खाद्यान्नों की फ़सलों के लिये भी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय सदस्य जनते हैं कि हम वाणिज्यिक फ़सलों ही नहीं, खाद्यान्नों की फसलों के लिये भी यह कार्यवाही करते रहे हैं, रियायती मूल्य जैसी कार्यवाही नहीं, बल्कि एक प्रकार के मूल्य-समर्थन की कार्यवाही हम करते रहे हैं। उदाहरण के लिये गन्ने का मूल्य प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है—मेरा मतलब उस गन्ने के मूल्य से है जो पेराई के लिये मिलों में जाता है। इसके अतिरिक्त, कपास के लिये भी एक न्यूनतम और अधिकतम मूल्य है। हमने गतवर्ष खाद्यान्नों—गेहूं, चावल और मोटे अनाजों—के लिये भी मूल्य-समर्थन की एक नीति की घोषणा की थी और उस पर अमल भी किया था।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : यह देखने के लिये कि मूल्य सामान्य जनता की क्रय शक्ति से अधिक न बढ़ जायें, भारत सरकार ने उचित मूल्यों की दुकानों के अतिरिक्त और क्या व्यवस्था की है या करने का विचार कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम विदेशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं और उन्हें राज-सहायता-प्राप्त मूल्यों पर बेच रहे हैं, जिससे कि हमारे द्वारा विक्रय किये गये खाद्यान्न उपभोक्ताओं को एक उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। और, खाद्यान्नों के हमारे भंडार के बाज़ार में जाने से, अप्रत्यक्ष रूप से अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों को भी हमारे द्वारा विक्रित खाद्यान्नों के मूल्यों के समतुल्य बनाकर रखा जाता है। हमारे पिछले अनुभव से हमें पता चला है कि हम जब भी थोक व्यापारियों या बड़े-बड़े व्यापरियों के हाथ बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बेचते थे, तो वे उससे अत्यधिक मुनाफे कमा लेते थे। अब हमने थोक व्यापारियों को अलग कर दिया है, और हमारी उचित मूल्यों की दुकानों की योजना के अन्तर्गत खुदरा व्यापारी हमसे सीधे ही खाद्यान्न प्राप्त कर लेते हैं। और अब उसे एक बन्धनामा भरना पड़ता है या प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि उसको जिस मूल्य पर खाद्यान्न दिये गये हैं, उनको वह एक निर्धारित मूल्य पर ही बेचेगा जिसमें कि एक

†मूल अंग्रेजी में

थोड़े से मुनाफ़े का एक अंश भी सम्मिलित रहेगा । उदाहरण के लिये, गेहूं को लीजिये । हम खुदरा व्यापारियों को चौदह रुपये प्रति मन की दर से गेहूं दे रहे हैं, और उन्हें या तो क़रार करना पड़ता है, या लिखकर देना पड़ता है कि वे उसे चौदह रुपये आठ आने प्रति मन की दर से ही बेचेंगे ।कुछ विशेष स्थानों में इसके कुछ अपवाद भी हैं, जहां कि परिवहन की लागत के कारण, या बिक्री कर के कुछ अधिक होने के कारण इसे कुछ अधिक रखा गया है । इसीलिये, इन सभी कार्यवाहियों के फलस्वरूप, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ महीनों पहले मूल्यों में वृद्धि का जो सम्मान इतनी स्पष्टता से दीख रहा है, उसे अब प्रायः पूरी तौर से रोक दिया गया है ।

†**श्री अच्युतन** : अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय खाद्य मंत्रियों में से एक मंत्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य को देखते हुये क्या सरकार उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों को और भी घटाने की सोच रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सरकार की ओर से तो मैं यही कह सकता हूं कि गेहूं और चावल को हम जिस मूल्य पर देते हैं, सरकार उसे काफ़ी उचित समझती है । हम चौदह रुपये प्रति मन की दर से गेहूं और सोलह रुपये प्रति मन की दर से चावल दे रहे हैं, और हमारा चावल और गेहूं अपेक्षतः कम मूल्य पर बिक रहा है । हां, देशी गेहूं को थोड़ी वरीयता दी जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम इस समय जिस मूल्य पर खाद्यान्न दे रहे हैं वह किसी भी तरह से अधिक है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार अगले पांच वर्षों के लिये कम से कम कोई निश्चित मूल्य निर्धारित करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्रय और विक्रय के लिये ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि हम अभी ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं ।

†**डा० रामा राव** : आन्ध्र प्रदेश में, कई बार अनुरोध किये जाने पर भी, कई स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें क्यों नहीं खोली गई हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : आन्ध्र में उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं; मैं उनकी ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता .....

श्री ब० स० मूर्त्ति : शायद विज़गापट्टम ज़िले में लगभग तेतालीस हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर दें, तो मैं संख्या बाद में बता दूंगा । पर हम उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ा रहे हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सरकार निश्चित मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है । सरकार ऐसा करने में असमर्थ क्यों है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं ने बहुत ही स्पष्टता से इसके कारण बता दिये हैं । पहला कारण यह है कि मुख्य-मुख्य कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिये हमारे पास उत्पादन लागतों से सम्बन्धित पर्याप्त आंकड़े होने चाहियें, और उसी के आधार पर बाज़ार के भाव निश्चित किये जायेंगे । दूसरा कारण धन का व्यय है । भारत में हमारी वार्षिक राष्ट्रीय सम्पत्ति का लगभग पचास प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है । हम अन्य क्षेत्रों से ले कर उसमें धन लगा सकते हैं या नहीं यह एक समस्या है । इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति बताते हुये, मैंने पहले भी कई अवसरों पर इन दोनों बातों का उल्लेख किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किसान संगठनों की ओर से अभ्यावेदन

†*१६३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम के किसान संगठनों की ओर से उस राज्य में राज्य सरकार की भूमि के बन्दोबस्त सम्बन्धी नीति और चरागाहों के पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी हाल में हमें कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। हां, १६५४ में राज्य किसान सभा और प्रान्तीय किसान पंचायत की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) आसाम के मुख्य मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उस समूचे मामले पर ब्योरेवार चर्चा की थी। राज्य सरकार की नीति बंजर भूमि में भूमिहीनों को बसाने की है। किसानों और उनके साझीदारों को भूधारणाधिकार सम्बन्धी सुरक्षण देने के लिये आवश्यक विधान भी बना दिया गया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या किसान सभा ने अपने ज्ञापन में बन्दोबस्त सम्बन्धी मनमाने और अनियमित आदेशों के उदाहरण दिये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हो सकता है कि उन्होंने उसके बारे में शिकायत की हो लेकिन आसाम सरकार ने उस मामले के सम्बन्ध में उनके साथ चर्चा कर ली है, और मेरा विचार है, कि उसने इन सभी मामलों के सम्बन्ध में एक बहुत ही उचित नीति बना ली है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या चरागाहों पर अनधिकार कब्ज़ा करने और उनके खेतों में मिलाये जाने के उदाहरणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ये सभी मामले किसान सभा और आसाम सरकार को तय करने के लिये हैं। वहां जो कुछ भी हुआ है उसका प्रत्येक विवरण हमें ज्ञात नहीं है।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंटों (राज्य सरकारों) को यह निर्देश देना चाहती है कि चरागाहों की प्रमीनों का बन्दोबस्त न हो ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : आम तौर से तो हम इस तरह इंटरफियर (हस्तक्षेप) नहीं करते, हां, अगर कोई सवाल पेश होता है तो हम उसके सम्बन्ध में लिखते हैं, इससे आगे बढ़ कर हम डायरेक्टिव्ज (निर्देश) नहीं देते।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : वास्तव में, आसाम सरकार ने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में एक बहुत ही व्यापक विधेयक पारित किया है। उस विधेयक में उसने इन सभी समस्याओं की ओर ध्यान दिया है। उस विधेयक को अभी राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी शेष है।

गुडूर—रेनीगुन्टा लाईन

†*१६४. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ मार्च, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडूर और रेनीगुन्टा के बीच की बड़ी लाइन यातायात के लिये कब खोली जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसके फलस्वरूप बेजवाडा और गुडूर के बीच यातायात में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) आशा है कि यातायात के लिये उसका उद्घाटन जून, १९५७ तक हो जायेगा ।

(ख) रेनीगुन्टा-गुडूर लाइन के छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने के परिणाम-स्वरूप बेजवाड़ा और गुडूर के बीच यातायात में कोई वृद्धि होने की कोई आशा नहीं है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर कुल कितनी लागत आई है ?

†**श्री अलगेशन** : लागत का अनुमान २१६·५ लाख रुपये है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या इसके फलस्वरूप चावल और अन्य वस्तुओं के लाने-लेजाने की कठिनाइयां कुछ कम हो जायेंगी ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां । यह छोटी लाइन एक रुकावट थी और वाहनान्तर का कार्य गुडूर में करना पड़ता था जहां इस के लिये सुविधायें नहीं थीं । इस परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें ढोने की दूरी भी कम हो जायेगी । इसलिये, इसके कारण वस्तुओं के लाने-लेजाने में सुविधा हो जायेगी और उस कारण, उसी सीमा तक चावल के लाने-लेजाने की भी कठिनाइयां कुछ कम हो जायेंगी ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : छोटी लाइन के बड़ी लाइन में परिवर्तित होने तक गुडूर स्टेशन को नये नमूने पर बनाने का कार्य रोक दिया गया है । उसका नवीकरण कब किया जाने को है ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये । मैं तभी यह सूचना दे सकूंगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : बड़ी लाइन की ये सुविधायें तिरुपति तक क्यों नहीं दी गई हैं, वह वहां से बहुत ही निकट, छः या सात मील ही दूर है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं पहले कह चुका हूं कि यह कार्य उस पूरे क्षेत्र में ही बड़ी लाइन की सुविधायें जुटाने के लिये आरम्भ किया गया था । तिरुपति इस सैक्शन में नहीं है । लेकिन, कई माननीय सदस्यों और अध्यक्ष महोदय ने भी इस प्रश्न को यात्री सुविधाओं के रूप में उठाया है, और हम उसकी परीक्षा कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आशा है कि वह परीक्षा सफल सिद्ध होगी ।

छंटनी किये गये प्रतिरक्षा कर्मचारी

†*१९६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उन फालतू कर्मचारियों को जोकि हाल ही में युद्ध सामग्री तैयार करने वाले कारखानों अथवा सुरक्षा संस्थानों से छंटनी किये गये थे, रेलवे में दूसरी वैकल्पिक नौकरियां दी गयी हैं;

(ख) रेलवे के कार्य परीक्षक दलों ने कितने केन्द्रों का दौरा किया है; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों ने वैकल्पिक नौकरियां स्वीकार कर ली हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३,४१५

(ख) ६४

(ग) २,२२३

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन २,२२३ व्यक्तियों को रेलवे मंत्रालय द्वारा सेवायुक्त किया गया है वे सभी अर्द्ध प्रवीण हैं अथवा अप्रवीण हैं ? वे किस श्रेणी के हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : वे सभी श्रेणियों के हैं, परन्तु अधिकांश संख्या अप्रवीण श्रेणी वालों की है ।

† **भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने नौकरी लेने से इन्कार किया है क्या उन्होंने इसका कोई कारण बताया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने उन्हें नौकरियां दी थीं, हम नहीं जानते कि किन कारणों से कुछ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि उनके वेतन निर्धारित करते समय उनके उस वेतन पर जो कि वह युद्ध सामग्री डीपों में पा रहे थे, विचार नहीं किया गया था और इसीलिये उन्होंने नौकरियां लेना स्वीकार नहीं किया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि दो-तीन मास के समय में हमें एक विशेष प्रयत्न करना पड़ा था और तभी ३,४०० व्यक्तियों को नौकरियां दे सके थे । उनमें से २,२०० ने नौकरियां स्वीकार कर ली हैं । हमने जो कुछ भी हम कर सकते थे, वह कर दिया है और इससे अधिक कुछ और करना सम्भव नहीं है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या सरकार के लिये किसी ऐसी नई नीति को निर्धारित करना सम्भव है जिससे कि कर्मचारियों को पहले सेवामुक्त करके फिर नौकरी देने की अपेक्षा, वह उन्हें सीधे ही एक विभाग से दूसरे विभाग में बदल सके ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह तो विभिन्न मंत्रालयों को निश्चय करना होता है कि कोई छंटनी की जानी है अथवा नहीं । इस मामले में, प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कई वर्ष प्रतीक्षा की और अन्त में उसने इन व्यक्तियों की छंटनी करने का निर्णय किया, क्योंकि उनके लिये कोई काम ही नहीं था । परन्तु उसने अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाने का प्रयत्न किया । रेलवे ने भी उनमें से काफी व्यक्तियों को सेवायुक्त किया है ।

जहां तक कुछ व्यक्तियों द्वारा इन्कार किये जाने का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में बिलकुल निश्चित तो नहीं हूं, परन्तु इन्कार का कारण उनको दिया गया वेतन नहीं है । कारण यह था कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते थे । सामान्यतः वे अपने घरों के पास अथवा स्थानीय रूप से कोई नौकरी चाहते थे । यह भी एक कठिनाई थी ।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या जिन कर्मचारियों को रेलवे में सेवायुक्त किया गया है उन्हें नये सेवायुक्त कर्मचारी माना गया है अथवा उनकी नौकरियों के सांतव्य के लिये प्रतिरक्षा संस्थानों की उनकी गत सेवाओं का भी ध्यान रखा जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : म निश्चित तो नहीं, परन्तु मेरे विचार से उन्हें नया सेवायुक्त कर्मचारी ही माना जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बता सकते हैं कि औसतन उनके अब के और छंटनी होने के पहले के वेतन क्रमों में क्या अन्तर है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह नहीं बता सकता । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि स्वयं कर्मचारी भी यही अनुभव करते हैं और मैं भी यह अनुभव करता हूं--कि वे उनको

†मूल अंग्रेजी में

दी गई वैकल्पिक नौकरियों से सन्तुष्ट हैं । वेतन कम है अथवा अधिक यह उनकी तात्कालिक समस्या नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उनको वैकल्पिक नौकरियां देने सम्बन्धी मंत्रालय का यह काम अब भी चालू है, अथवा इसे बंद कर दिया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसे चालू रखा जायेगा । यदि हम कुछ और व्यक्तियों को सेवा-युक्त कर सकते हैं तो हम अवश्य ही ऐसा करेंगे ।

रेलवे भाड़ा व्यवस्था जांच समिति

†*१९७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री का० सु० राव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री २२ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे भाड़ा व्यवस्था जांच समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, नहीं; कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है परन्तु आशा है कि समिति की अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

चीनी का आयात

†*१९९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक आयात की गयी चीनी की खपत हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितना स्टाक बाकी है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में आयात की गयी १३·१८ लाख टन की कुल मात्रा में से अब केवल ८,००० टन ही स्टाक में है । मैं यह भी बता दूं कि इस ८,००० टन में से ७,४०० टन बेच दी गयी है और खरीदार इसे शनैः शनैः उठा रहे हैं । केवल गोदामों में ६०० टन पड़ी है जो कि झाड़न और कूड़ा है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : भारत में चीनी की खपत क बढ़ जाने के कारण क्या सरकार और अधिक चीनी आयात करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमारा और चीनी आयात करने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : जो माल बेचा गया है क्या उससे सरकार को कुछ लाभ हुआ है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : लगभग आठ करोड़ रुपया ।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय उपमंत्री न कहा है कि ६०० टन झाड़न है । यह कैसे हो गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह झाड़न सारी खराब नहीं है। यह झाड़न कहलाती है। जब जहाज हजारों मीलों से आता है तो मौसम की खराबी के कारण उसनें पानी पड़ जाता है जिससे कि चीनी ठोस हो कर जम जाती है। हम उस चीनी को खराब चीनी कहते हैं।

गोआ और पाकिस्तान को चोरी-छिपे गेहूं भेजा जाना

+

*२००. **श्री अनिरुद्ध सिंह** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री गिडवानी :
श्री जेठालाल जोशी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ब० द० पांडे :
श्री कामत :
श्री संगण्णा :
श्री गाडलिंगन गौड़ :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पता लगा था कि बम्बई के गल्ले के कुछ बड़े-बड़े व्यापारी गोआ और पाकिस्तान को चोरी-छिपे गेहूं भेजते थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये आदेश जारी किये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). लोक-सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

जी हां। रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ व्यापारी चोरी-छिपे देश से बाहर अनाज भेजते रहे हैं। जांच द्वारा यह प्रतीत होता है कि चोरी-छिपे माल भेजने के विरुद्ध किये हुये उपायों के बावजूद, कुछ चोरी-छिपे माल जा रहा है लेकिन अपराधियों को कोर्ट से दण्ड दिलवाने के लिये गवाही पेश करना मुश्किल है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन सभी माननीय सदस्यों ने अपने प्रश्न हिन्दी में दिये हैं ?

†**श्री गिडवानी** : मैंने अंग्रेजी में दिया है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : मैंने पहले इसका नोटिस हिन्दी में दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनों ने हिन्दी में और कितनों ने अंग्रेजी में दिया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : आधों ने हिन्दी में और आधों ने अंग्रेजी में दिया है।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई के बड़े-बड़े व्यापारियों ने चोरी से कितने टन खाद्यान्न पूर्वी पाकिस्तान तथा गोआ को भेजा था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : यह कहना तो कठिन है कि कितना भेजा गया था। लकिन यह पता चला कि बम्बई से व्यापारियों ने सिलिगुड़ी को कुछ गेहूं और चावल भेजा और काफी मात्रा में भेजा। एक महीने में तो कोई २५-३० वैगन भेजा गया और दूसरे महीने में पांच, सात या दस

†मूल अंग्रेजी में

वैगन भेजा। अब सिलिगुड़ी में तो गेहूं खाया नहीं जाता है और कलकत्ता से भी वह वहां पहुंचता है। जब इस तरह की बातों का पता चला तब अन्देशा हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में यह अनाज भेजा गया है।

श्री अनिरुद्ध सिंह : गेहूं के उन व्यापारियों तथा फर्मों के नाम माननीय मंत्री महोदय क्या बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने इस प्रकार का आपत्तिजनक तथा समाजविरोधी काम किया तथा इसमें भाग लिया ?

श्री अ० प्र० जैन : अभी तो कुछ और तरह की जांच पड़ताल चल रही है। इस वास्ते नाम बताना अभी ठीक नहीं है।

†**श्री गिडवानी** : उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अ० प्र० जैन : जो कार्यवाही है वह अदालती हो सकती है। आप जानते ही हैं कि अदालत में केस ले जाने के लिये कुछ सबूतों की जरूरत होती है और अभी तक हमको उस किस्म का सबूत नहीं मिला है। लेकिन जो वाक़यात मालूम हुये हैं उन से यह एक मारल कनविकशन (मानसिक विश्वास) है और मेरा एक यक़ीन सा बन गया है कि ऐसा किया गया है। इसके बारे में कुछ कार्यवाही भी की गई है। गल्ले की मूवमेंट (लाने-ले-जाने) को बार्डर (सीमा) के ऊपर रोका गया है, कुछ पुलिस बढ़ाई गई है, कुछ कानून के मातहत जो नोटिफिकेशन (अधिसूचनायें) जारी हो सकते थे वे जारी किये गये हैं। तो आमतौर से जो कार्यवाही हो सकती थी वह की गई है। लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी सबूत मिल गया हो, ऐसी बात नहीं है।

†**श्री कामत** : जहां तक मुझे याद है, कुछ समय पहले प्रधान मंत्री ने सदन को बताया था कि बम्बई और अदन के व्यापारी पाकिस्तान के रास्ते से गोआ को माल निर्यात करते रहे हैं। क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री की जांच से व्यापारियों के विरुद्ध लगाये गये यह आरोप अथवा सन्देह ठीक सिद्ध हुए हैं, और यदि हां, तो क्या वह अपने सहयोगी गृह मंत्री से यह प्रार्थना करेंगे कि वह इस कार्य के लिये विशेष पुलिस तैनात करके अपराधियों का पता लगायें ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : नहीं जी, बम्बई में मुझे जो सबूत मिले हैं वह चावल और गेहूं के अनुचित तौर पर पूर्वी पाकिस्तान भेजे जाने के सम्बन्ध में थे। गोआ में भी चोरी छुपे माल ले जाने के भी कुछ आरोप थे। यह सन्देह था कि शायद नावों के द्वारा गोआ को कुछ चावल भेजा गया हो; परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चित मामला मेरे पास नहीं है।

†**श्री कामत** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, अर्थात वह गृह-मंत्री से विशेष पुलिस लगा कर अपराधियों का पता लगाने की प्रार्थना करेंगे।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह तो तभी ही हो सकता है जब कि मुझे यह विश्वास हो जाये कि वास्तव में बात इसी प्रकार है, केवल ऐसी स्थिति में ही मैं गृह-मंत्री को लिख सकता हूं; अन्यथा नहीं।

†**श्री गिडवानी** : माननीय मंत्री ने कहा कि कानूनी सबूत न होने के कारण उनके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी। तो क्या उनको काली सूची में रख लिया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : उनको काली सूची में रख लिया गया है।

†**श्री गिडवानी** : वह स्थान कौनसे हैं जहां कि चोरी छिपे माल भेजा जा रहा है, गोआ, दमन, दीव तथा और कौनसे दूसरे स्थान हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने दमन और दीव के सम्बन्ध में तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा था। इस प्रश्न का सम्बन्ध बम्बई से चोरी छुपे माल ले जाने से था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या फूड एण्ड एग्रिकलचर मिनिस्टरी (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय) रेलवे मंत्रालय से मंत्रणा करके इसको रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

श्री अ० प्र० जैन : रेलवे से भी बातचीत की गई है और अब गेहूं का बम्बई से आना-जाना सिवाय परमिट (अनुज्ञा) के, बन्द हो गया है । चावल के मामले में बहरहाल रेलवे वैगंस (माल डिब्बे) देती है और इसके लिये भी हमने कहा है कि देखो किधर जाता है । तो अब ज़रा ज्यादा देखभाल की जा रही है ।

औषधीय जड़ी बूटियां

†*२०१. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था, देहरादून ने औषधीय जड़ी बूटियों के लिये टिहरी गढ़वाल और गढ़वाल क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री हेम राज : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें कई जड़ी बूटियों का जिक्र है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई जड़ी बूटियां ऐसी भी मिली हैं जिन का उपयोग अन्न के स्थान पर किया जा सकता है और भूख को शान्त किया जा सकता है ? क्या ऐसी जड़ी बूटियों को प्रयोग में लाने के लिये कोई तजुर्बे किये जा रहे हैं ?

डा० पं० शा० देशमुख : फिलहाल तो ऐसी जड़ी बूटियों की कोई आवश्यकता नहीं जिन को अन्न की जगह इस्तेमाल किया जा सके । मगर यह सर्वे है जो किया जा रहा है । इनका जो उपयोग है वह तो दूसरे लोग करेंगे, फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (वन गवेषणा संस्था) तो करने वाला नहीं है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : उन भारतीय जड़ी बूटियों से, जिनका उल्लेख बृटिश भैषज संहिता में किया गया है, ज्ञात सक्रिय तत्व निकालने के सम्बन्ध में इस समय वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**डा० पं० शा० दशमुख** : यह तो केवल स्वास्थ्य मंत्रालय ही बता सकता है ।

श्री हेम राज : इसी प्रकार की जड़ी बूटियां जोकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट (ज़िला), हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर में भी पाई जाती हैं, वहां भी इनका सर्वे किया जायेगा ?

डा० पं० शा० देशमुख : आहिस्ता-आहिस्ता शायद सर्वे करने की कोशिश की जायेगी । मगर फिलहाल तो टिहरी-गढ़वाल ही इतना बड़ा इलाका है कि इसको पूरा करने में कुछ समय लगेगा और इसके लिये हमारे पास कोई अलाहिदा इंतिजाम नहीं है । वेकेशन (छुट्टी) में हम इस चीज़ को करते हैं और १९५४ से यह काम शुरू हुआ था । कुल इलाका ४५०० स्क्वेयर (वर्ग) मील का है । दूसरे इलाकों का भी सर्वे करने की हम कोशिश करेंगे ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि टिहरी-गढ़वाल में जिन जगहों का सर्वे करना है, उन तक पहुंचने के वास्ते कोई उपाय किये जा रहे हैं, जैसे कि सड़क बनाना है ?

डा० पं० शा० देशमुख : बिना जड़ी बूटियों तक पहुंचे यह सर्वे नहीं हो सकता । जहां तक पहुंचना होता है, वहां तक हम पहुंच ही जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती सुषमा सेन : समस्त भारत में जो जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं क्या उनका सत्त निकालने और उसको काम में लाने के सम्बन्ध में कोई व्यापक योजना बनाई गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जहां तक वन विभाग का सम्बन्ध है—और इसी के साथ मेरा सम्बन्ध है—हम सभी उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण करने का प्रयत्न करते हैं। जहां तक उनके काम में लाये जाने का सम्बन्ध है, यह कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

भागों को जोड़ कर माल-डिब्बे बनाने का संयंत्र

†*२०२. **श्री का० सु० राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक या एक से अधिक भागों को जोड़ कर माल-डिब्बे बनाने का संयंत्र स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो उसे संभवत: कहां स्थापित किया जाने को है; और

(ग) उक्त प्रस्थापना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

एरणाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन पर श्रमिक

†*२०४. **श्री वेलायुधन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन को बनाने के लिये स्थापित रेलवे प्रशासन रेलवे से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिये श्रमिकों तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को सीधे ही भरती करता है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह देखने के लिये कि कर्मचारियों को उचित मजूरी मिले और उनकी सेवा की शर्तें अच्छी हों, ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों के सेवायुक्त किये जाने के सम्बन्ध में किस प्रकार का सम्पर्क स्थापित किया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां, जो कार्य विभागीय रूप से किया जाना होता है और जो ठेकेदारों को नहीं सौंपा जा सकता है उसके लिये।

(ख) ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के लिये, उस मंत्रालय के समझौता अधिकारी या उन के सहायक यह देखने के लिये, कि ठेकेदार मजूरियों तथा सेवा सम्बन्धी शर्तों के विषय में परिनियत उपबन्धों का पालन करते हैं, निर्माण कार्य स्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं।

†**श्री वेलायुधन :** क्या वहां रेलवे मंत्रालय की सहायता से किये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये भरती काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा की जा रही है या ठेकेदारों द्वारा सीधे ही की जाती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** ठेकेदारों द्वारा, अपने लिये कर्मचारी भरती करना एक सामान्य बात है।

†**श्री वेलायुधन :** क्या उन कर्मचारियों को, जो दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं और शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर दिया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ऐसे कोई मामले हुये हैं ? क्या यह एक सामान्य सिद्धान्त नहीं है कि क्या कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम लागू होता है या नहीं। प्रश्न केवल यही है कि क्या ऐसे कोई मामले हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे ज्ञात नहीं कि क्या ऐसे मामले हुए हैं ।

†**श्री ग्र० म० थामस** : सन् १९५३ के बाद से निर्माण कार्यों के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा सीधे ही बहुत से श्रमिकों को भरती किया गया था । क्या इन व्यक्तियों को नियमित क्विलोन-एरणाकुलम लाइन में यथासंभव काम पर लगा लेने का प्रयत्न किया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : निश्चय ही ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं विभाग द्वारा सीधे ही ग्रौर ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या रेलवे प्रशासन द्वारा भरती किये जाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाप किया गया है, क्या उन की पिछली सेवाग्रों का ध्यान रखा जाता है ग्रौर यदि कार्य के कुछ भाग के समाप्त हो जाने पर भी कर्मचारी बेकार रहते हैं तो क्या उन्हें कार्य के विस्तार के लिये सेवायुक्त किया जा रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वहां ठेकेदारों के श्रमिक हैं । उनके लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं । विभागीय कार्य के सम्बन्ध में, यदि कोई निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है ग्रौर दूसरा निर्माण कार्य उसी स्थान पर प्रारम्भ किया जाता है, तो यह नई सेवा होती है । इन कर्मचारियों के लिये यह क्रमागत सेवा नहीं होती है ।

इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति

*२०८. { +**श्री भक्त दर्शन** : / **श्री रामकृष्ण** : }

क्या **योजना** मंत्री २० ग्रगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१२ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किये गये निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र, जिसमें योजना ग्रायोग के विचार निहित हैं, की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखी है । [**देखिये परिशिष्ट २, ग्रनुबन्ध संख्या २**]

श्री भक्त दर्शन : इस पत्र से ज्ञात होता है कि राज्य सरकारों से सिफ़ारिश की गई है कि वे इस रिपोर्ट के ग्राधार पर कदम उठाय । क्या गवर्नमेंट यह विश्वास करती है कि इतना लिखने से ही काम चल जायगा, जब कि यहां इंजीनियरों की इतनी बड़ी कमी है, जैसा कि कमेटी ने सिफ़ारिश की है कि ग्रठारह सौ इंजीनियरों ग्रौर ग्राठ हज़ार ग्रोवरसियरों की कमी है तो किस तरह इन की पूर्ति की जा सकेगी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यह पर्याप्त होगा या नहीं, मैं तो समझता हुं कि इस के बारे में शंका करने की ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि राज्य सरकारें इस के बारे में खुद भी सचेष्ट हैं ग्रौर उन्होंने इस विषय में चिन्ता प्रकट की है । हम लोगों का ख्याल है कि वे इस पर कार्यवाही करेंगी । लेकिन हम को भी स्मरण रखना चाहिये है कि इससे केवल राज्य सरकारों का ही ताल्लुक़ नहीं है, केन्द्रीय मंत्रालयों को भी इस पर कार्यवाही करनी है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस कमेटी ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि इस तरह के टेक्नीशियन्ज़ (प्रविधिविज्ञों) की संख्या बढ़ाने के लिये १८ कालिज और ६२ डिप्लोमा इंस्टीच्यूशन्ज़ खोले जायें। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : हम ने हाल ही में इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय से विचार-विमर्श किया था और उस के परिणामस्वरूप हम लोगों ने यह सोचा है कि जो हमारे मेम्बर इनचार्ज (प्रभारी सदस्य) हैं, वह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जायेंगे और इसके बारे में साइंटिफ़िक एंड टेक्निकल एजूकेशन कमेटी (वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शिक्षा समिति) के क्षेत्रीय चेयरमैनों के साथ पूरा विचार-विनिमय करेंगे। आशा है कि आगामी अप्रैल में इस के बारे में कुछ परिणाम सामने आ जायगा।

श्री भागवत झा आजाद : इस परिपत्र को भेजने के बाद क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने पूछ ताछ की है कि राज्य सरकारों ने स के सम्बन्ध में कहां तक प्रगति की है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : अभी तो हाल ही में पत्र भेजा गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : हाल का मतलब क्या है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : २९ सितम्बर को वह पत्र भेजा गया था।

श्री विभूति मिश्र : सरकार जिस प्रकार के बड़े कार्य---भाखड़ा नांगल और गंडक प्राजक्ट (परियोजना) इत्यादि---अपने हाथ में ले रही है, उनके अनुरूप निपुण इंजीनियर आज कल इंजीनियरिंग कालिजों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्या यह बात सत्य है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : कमी तो है और उसी की पूर्ति के लिये कोशिशें की जा रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री भीखाभाई, श्री दी चं० शर्मा अनुपस्थित, श्री नम्बियार अनुपस्थित, श्री नि० बि० चौधरी।

†**श्री फीरोज गांधी :** संख्या २१०-क मेरा प्रश्न है।

†**एक माननीय सदस्य :** रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में।

†**श्री फीरोज गांधी :** दुर्भाग्य से प्रश्न भी पटरी से उतर गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न २१०-क तो बाद में स्वीकृत किया गया है।

३१९ डाउन एक्सप्रेस का जनगांव और रघुनाथपाली के बीच पटरी से उतर जाना

†*२१०-क. **श्री फिरोज गांधी :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५४ को जनगाँव और रघुनायपाली के बीच पटरी से उतर गई ३१९ डाउन एक्सप्रेस के सम्बन्ध में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन उपपत्तियों को ध्यान में रखते हुये कि पाये संख्या १ और २२ और जोड़ और अधिक गहरी नीव पर पुनः बनाये जाने चाहियें थे, क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) भारत सरकार द्वारा निजाम की राज्य रेलवे अपने हाथ में ले लिये जाने के पश्चात रेलवे बोर्ड ने कितनी बार इस पुल का निरीक्षण किया था;

(ग) निरीक्षक की इस उपपत्ति को ध्यान में रखते हुये कि पुल निज़ाम राज्य रेलवे की पुरानी व्यवस्था के अनुसार बनाया गया था; तो रेलवे बोर्ड ने इस रेलवे को अपने अधिकार में ले लेने के पश्चात् इस पुल को प्रचलित इंजीनियरिंग ढंग के अनुसार पुनः बनाने के लिये क्या कार्यवाही की थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उस उप मुख्य इंजीनियर के विरुद्ध जिस ने १९५३ में इस विभाग का निरीक्षण किया था और पुल निरीक्षण पंजियों की जांच की थी और कहा था कि इस पुल सम्बन्धी पृष्ठों को वह नहीं देख सके थे, क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस उपपत्ति को ध्यान में रखते हुए कि यदि स्थायी रेल मार्ग दल दौरे पर गया होता तो यह दुर्घटना न होती, तो उन पदाधिकारियों के विरुद्ध जो इन लोगों को कार्य पर न भेजने के लिये उत्तरदायी थे, क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री फीरोज गांधी** : भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है कि निज़ाम राज्य रेलवे के निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह उल्लेख नहीं था कि उस रेलवे के पुलों की अवस्था खराब थी। निरीक्षक के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस पुल को पहले तीन बार १९०७, १९०८, और १९१३ में और फिर १९१४, १९१५, १९१८, १९२०, १९३७ में हानि पहुंची थी, यह पुल १९३९ में गिर पड़ा था, उसे फिर बनाया गया और फिर यह १९५४ में गिर गया। क्या कारण है कि रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन द्वारा १९५० में निज़ाम राज्य रेलवे को ले लिये जाने के पश्चात पुल का इतिहास उन के ध्यान में कैसे नहीं आया ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया, कि यह पुल १९३९ में गिर गया था। तत्पश्चात् इसे १९४० में पुनः बनाया गया था। १९४० से १९५४ तक, जैसा कि रेलवें के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन में दिया गया है, अकस्मात तथा अत्यधिक बाढ़ें आई थीं।

†**श्री फीरोज गांधी** : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

†**श्री अलगेशन** : क्या मैं समाप्त कर लूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या रेलवे बोर्ड के ध्यान से यह बात छूट गयी। माननीय मंत्री इसे स्पष्ट कर रहे हैं।

†**श्री फीरोज गांधी** : विवरण में कहा गया है कि इस बात को दिखाने वाला कोई अभिलेख नहीं है कि इस पुल में कोई ख़राबी थी। निरीक्षक के प्रतिवेदन से पता लगता है कि वर्ष प्रति वर्ष यह पुल दुर्घटनाग्रस्त होता रहा है।

†**श्री अलगेशन** : मुझे खेद है कि मेरी बात को बीच में काट दिया गया। मैं बता रहा था, कि माननीय सदस्य के कथनानुसार ही १९३९ में पुल का अधिकांश भाग टूट गया था। फिर १९४० में इसे पुनः बनाया गया। पायों में से एक को अधिक गहरी नीव पर रखा गया। फिर कुछ और मरम्मत भी की गई। यह समझा गया कि इससे पुल ठीक हो जायेगा। वस्तुतः सन् १९४० से १९५४ तक, अर्थात १४ वर्षों में, बाढ़ें आईं और उनमें पुल बचा रहा। अतः यह कहा गया है कि १४ वर्षों के अभिलेख में यह कहीं नहीं बताया गया है कि उस पुल में कोई विशेष खराबी थी। उत्तर में यह विवरण दिया गया है।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : क्या यह सच है कि १९५४ से पूर्व दो डिवीज़नल इंजीनियरों ने सिफारिश की थी कि गार्डरों की ऊंचाई को बढ़ाया जाना चाहिये और कि पुल के नीचे हो कर बहने वाले जलमार्ग को चौड़ा किया जाना चाहिये ?

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रतिवेदन के इस भाग को प्राप्त नहीं कर सका हूं।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यह प्रतिवेदन में कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं कह रहा था कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये प्रतिवेदन के इस भाग को देख नहीं सका हूं ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या वे यह नहीं ढूंढ सकते ।

†**श्री अलगेशन** : वस्तुतः जब कोई डिवीज़नल इंजीनियर अपने स्तर पर अपनी कोई सिफारिश देता है तो उस पर निर्णय करना उप मुख्य इंजीनियर और मुख्य इंजीनियर का कर्तव्य होता है । निश्चय ही उन्होंने समझा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं दो और प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सच है कि निरीक्षक से सम्बद्ध इंजीनियर ने सिफारिश की है कि पुल के नीचे होकर बहने वाला संकुचित जलमार्ग अपर्याप्त था, अर्थात यह कम से कम ३७६ फुट होना चाहिये था जबकि यह वास्तव में ७६ फुट ही था । यदि हां, तो क्या कारण है कि पुल के त्रुटिपूर्ण निर्माण की यह बात रेलवे प्रशासन के ध्यान में नहीं आई ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इस प्रविधिक ब्योरे के विषय में कुछ नहीं कह सकता .....

†**श्री भागवत झा आजाद** : वे नहीं कह सकते ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यह प्रतिवेदन में दिया गया है ।

†**श्री अलगेशन** : यह कोई चर्चा नहीं है; यह तो केवल प्रश्न का घंटा है ।

†**आचार्य कृपालानी** : क्या प्रशासन आपकी सहायता नहीं करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं होने चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : क्या मुझे उत्तर को जारी रखने की अनुमति दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को उत्तर देने दिया जाये ।

†**श्री अलगेशन** : वस्तुतः इस प्रतिवेदन में १७ पृष्ठ हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : केवल १७ पृष्ठ ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इस भाग विशेष को पा नहीं सका हूं । यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न रखें, तो मुझे उत्तर देने में हर्ष होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आपको इसे पढ़ने की आशा दी जाती है ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : क्या यह सच है कि पाया संख्या ३ की नींव नदी के तल के १५·५ फुट नीचे है जबकि पाये संख्या १ और २ छः फुट की नींव पर ही है, और यही दो पाये टूटे हैं और दुर्घटना हुई है ? चार वर्ष से जब से कि रेलवे बोर्ड ने इस रेलवे विशेष को अपने हाथ में लिया है, क्या कारण है कि उनका ध्यान इन खराबियों की ओर नहीं गया है ?

†**श्री अलगेशन** : रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने इसका उल्लेख किया है सन् १९४० में उन्होंने एक पाये को जो कि उस समय गिर पड़ा था, गहरी नींव पर रखा था और अन्य दो पायों को उसी तरह रहने दिया था । स्पष्टतः उस समय इंजीनियरों ने यह सोचा था कि इतना ही करना काफी था । फिर, जैसा मैंने बताया, वे १४ वर्ष तक बाढ़ों का सामना करते रहे, निस्संदेह यह बाढ़ें सन् १९५४ की बाढ़ जितनी भारी नहीं थीं । ऐसी भारी और आकस्मिक बाढ़ की पूर्वकल्पना करना और प्रत्येक पुल के सम्बन्ध कार्यवाही करते रहना और सुधारते रहना बहुत कठिन था । इस पुल के अतिरिक्त उस रेलवे पर अब भी और बहुत से ऐसे पुल हैं, और प्रत्येक पुल के प्रश्न को लेना प्रायः कठिन है, परन्तु रेलवे के सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

निरीक्षक ने स्वयं कहा है कि इन दोनों पायों की नींवें सन् १९४० में ही गहरी कर दी जानी चाहिये थीं। हम उन लोगों के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकते जिन्होंने १९४० में इस प्रश्न पर विचार किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री फीरोज गांधी** : एक और प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बस और प्रश्न नहीं ।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** : औरों को भी प्रश्न पूछने दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या कर सकता हूं ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अन्य प्रश्नों के लिये तो दस मिनट दिये हैं परन्तु इसके लिये चार मिनट भी नहीं दिये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिये एक उपचार का सुझाव दे सकता हूं। यदि किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस जैसी दुर्घटना के सम्बन्ध में, कोई प्रतिवेदन सभा के समक्ष आये, तो यदि हम प्रश्न के घंटे में आधा घंटा भी उस पर लगायें तो भी काफी नहीं होगा। इस प्रतिवेदन के ब्योरे में जा रहे हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, यदि माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करने चाहें.....

†**श्री फीरोज गांधी** : तो दो घंटे चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले पर बाद को विचार करूंगा, प्रश्न के घंटे में नहीं। इसके लिये अन्य तरीक़े हैं ।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

†*२१२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली सुधार प्रन्यास के पास इस समय जो विकसित भूमि है उसका क्षेत्रफल क्या है; और

(ख) उपयुक्त भूमि से पट्टे के रूप में कितनी राशि प्राप्त होती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) (१) ४१७·५ एकड़ जो पट्टेदारी के आधार पर है ।

(२) १६३ एकड़ जो अभी तक एलाट (आवंटित) नहीं की गई ।

(ख) ६,१२,३४१ रुपये वार्षिक ।

श्री नवल प्रभाकर : यह जो आपने ६ लाख रुपया पट्टेदारी का बतलाया इसको इकट्ठा करने का तरीका क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : उत्तर में यह बताया गया है कि प्रन्यास को इन ज़मीनों के पट्टे पर जमीन का वार्षिक टकीना छै लाख रुपये से अधिक मिलता है। अविकसित ज़मीनों की कुछ श्रेणियां हैं और प्रन्यास के पास कुछ भूमि खंड ऐसे भी हैं जो बिके नहीं हैं। पता नहीं कि वह और क्या अग्रेतर जानकारी चाहते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं यह जानना चाहता था कि जो लीज़ (पट्टे) का रुपया आप वार्षिक तौर पर इकट्ठा करती हैं, उस रुपये को लोगों से लेने का तरीक़ा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजकुमारी अमृत कौर** : प्रन्यास की यह नीति थी कि कुछ भूमि बेच दी जाती थी । इस नीति को बदल दिया गया था और अब भूमि को पट्टे के आधार पर दिया जाता है और स्वभावत: टकीने का निर्धारण भूमि के मूल्य के अनुसार किया जाता है ।

श्री नवल प्रभाकर : जिस तरह से कि म्युनिसिपल कमेटी टैक्स के तौर पर वसूल करती है क्या इसी तरह से आपका मुहकमा उसको वसूल करता है, या कोई एजेंट है वह उस रुपये को वसूल करता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं, इंप्रुवमेंट ट्रस्ट (सुधार प्रन्यास) ही उसको वसूल करता है ।

खाद्यान्न

*२१३. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २१ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ और १९५६ में खरीदे गये खाद्यान्नों की खरीद की प्रति टन कीमतों में अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ख) १५ हजार टन पाकिस्तानी गेहूं के उधार लिये जाने की, जैसा कि बताया गया है, क्या शर्तें थीं ?

खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) : सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री खू० चं० सोधिया : विवरण के भाग (क) में लिखा हुआ है कि ये खरीदें ज्यादातर उन राशियों की थीं जो भावों को सहारा देने की योजना के आधीन थीं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ज्यादातर राशियां कौन-सी थीं और थोड़ी राशियां कौन-सी थीं ?

श्री मो० वे० कृष्णप्पा : प्राइस सपोर्ट (मूल्य समर्थन) के लिये गेहूं खरीदा गया और दूसरी चीज़ जिसका भाव १२ रुपये ६ आने है इसको मार्केट (बाज़ार) में खरीदा ।

श्री खू० चं० सोधिया : मैं पूछना चाहता हूं कि ज्यादातर खरीदें वह थीं, और क्या बाकी खरीदें विदेशों मे की गयीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : करीब यह सब की सब प्राइस सपोर्ट के लिये थीं ।

श्री खू० चं० सोधिया : विवरण के भाग (ख) में यह जो दिया गया है कि पाकिस्तान से १५ हजार टन गेहूं उधार लिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि उसको लौटाने का समय कितना था ?

श्री अ० प्र० जैन : शायद आठ हजार टन से कुछ ऊपर तो वापस कर दिया गया है और बाकी जो है वह इस महीने में या अगले महीने में दे देंगे ।

पूर्व रेलवे के लिये कार्यालय भवन

†*२१६. **श्री हो० ना० मुकर्जी** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले पांच वर्षों में कोयला राट कार्यालय भवन को तोड़ कर पूर्वी रेलवे का फेयरली प्लेस कार्यालय भवन पुन: बनाने की योजना है;

(ख) क्या पूर्वी रेलवे के कार्यालयों के लिये कलकत्ता में कई मंज़िलों वाले भवन बनाने की कोई और योजना है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). कोयलाघाट कार्यालय भवन को गिराने अथवा पूर्वी रेलवे के फ़ेयरली प्लेस कार्यालय भवन को पुनः बनाने की कोई योजना नहीं है।

तो भी कलकत्ता में रेलवे के बिखरे हुए कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिये अतिरिक्त भवन बनाने के लिये कोयलाघाट और फेयरली प्लेस कार्यालय भवनों के अहातों में गोदामों और गैराजों आदि को गिरा कर कई मंज़िलों वाले कार्यालय भवन बनाने की एक प्रस्थापना है।

(ग) योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री सीमेंट और इस्पात के संभरण की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने निर्माण कार्य-क्रम को कम कर सुविधायों और संचालन क्षमता को पूर्ववर्तिता देने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना स्थान है। यदि अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होगी तो उसके लिये ठहरा नहीं जा सकता है। भले ही हम उसे कम से कम करें, तथापि जब स्थान की अत्यन्त आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : पूर्व रेलवे की 'फेयरली पेलेस' नाम के कार्यालय की इमारत कम अधिक हाल में ही बनी थी, फिर इसे बिल्कुल नये तरीके पर पुनः बनाने की आवश्यकता क्यों हुई ?

†**श्री अलगेशन** : हम एक नई मंज़िल ऊंची अतिरिक्त इमारत की व्यवस्था कर रहे हैं। वस्तुतः उस इमारत के सारे बरामदे और स्थान को कर्मचारियों ने घेर लिया है और फिर भी उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है इसलिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करनी होगी। मैं यह नहीं बता सकता कि इमारत कब तैयार हुई थी। मेरे विचार से यह हाल में ही तैयार नहीं हुई है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोयलाघाट इमारत को गिराया नहीं जायेगा। क्या ७ सितम्बर को पूर्वी रेलवे के द्वारा 'न्यूज लेटर' पत्रिका में प्रकाशित यह संवाद कि कोयला-घाट इमारत गिरायी जायेगी तथा उस स्थान पर एक नयी इमारत बनाई जायेगी जिसमें पूर्व रेलवे के समस्त कार्यालय आ जायेंगे, सत्य है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि केवल गोदाम इत्यादि को ही गिराया जायेगा। इस समय हमने किराये पर स्थान लिया हुआ है और कार्यालय यत्र-तत्र बिखरे हुये हैं। हम समस्त कार्यालयों को एक ही स्थान में रखना चाहते हैं ।

खड़गपुर दुर्घटना

†*२१७. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री खड़गपुर दुर्घटना के सम्बन्ध में १० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन आपत्तियों या निष्कर्षों का उल्लेख है; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सरकारी निरीक्षक के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) संचार मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार उसकी एक प्रतिलिपि संसद् के पुस्तकालय को भेज दी जायेगी ।

†**श्री कामत** : यह आश्चर्य की बात है कि प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । क्या इसी बीच जेष्ठ मंत्री ने जो कि उस समय अनुपस्थित थे, सभा के इस पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों तथा इस मामले के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों की गैर-सरकारी समिति द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर विचार किया है तथा उस प्रतिवेदन से उन्होंने क्या निष्कर्ष प्राप्त किया ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं नहीं जानता कि कोई औपचारिक समिति नियुक्त की गई । किन्तु संसद् के कुछ सदस्य खड़गपुर गये और उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा । किन्तु उन्होंने उस स्थिति पर विचार नहीं किया जब रेल बिना चालकों के रवाना कर दी गई थी । सरकारी निरीक्षक का प्रतिवेदन आने तक मेरे लिये कुछ निर्णय करना बहुत कठिन है ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दिला सकते हैं कि प्रतिवेदन प्राप्त होने और उस पर विचार किये जाने के पूर्व खड़गपुर के रेलवे मजदूरों को किसी प्रकार का दण्ड तो नहीं दिया जा रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : किसी दण्ड आदि के देने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि किसी मजदूर ने गलती की है तो उसे इसका फल मिलेगा ।

†**श्री कामत** : दोनों प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के पूर्व कुछ मजदूरों को-उत्पीड़ित किया गया है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उत्पीड़ित करने का कोई प्रश्न नहीं है । किसी मजदूर को उत्पीड़ित नहीं किया जा रहा है न ही किया जायेगा, किन्तु यदि किसी विशेष श्रमिक के विरुद्ध आरोप होंगे तो उन्हें उसका उत्तर देना होगा ।

खुरदा रोड में विभागीय मुख्य कार्यालय

†***२१८. श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री दक्षिण-पूर्वी रेलवे खण्ड के खुरदा रोड के मुख्य कार्यालयों के सम्बन्ध में १६ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री संगण्णा** : यह निर्णय कब किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता हूं । दक्षिण-पूर्वी रेलवे अपेक्षाकृत नई रेलवे है और कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है । अन्य रेलों का विभागीकरण पूर्ण होने के पश्चात् हम दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर काम शुरू करेंगे ।

†**श्री कामत** : रेलवे नई नहीं है केवल नाम नया है ।

†**श्री संगण्णा** : क्या इस खण्ड के पूर्वी रेलवे से पृथक्करण होने के पश्चात् से इस जंकशन का महत्व बढ़ गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : कुछ माननीय सदस्य इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि खुरदा रोड जंकशन को उस विभाग का मुख्य कार्यालय बना दिया जाय । यह सुझाव लिख लिया गया है । यथासमय इस पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री वि० चं० दास** : क्या उड़ीसा विधान सभा के सदस्यों ने खुरदा रोड को विभागीय मुख्य-कार्यालय बनाने के लिये भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : संभव है भेजा हो । जैसा कि उपमंत्री ने कहा है दक्षिण-पूर्वी रेलवे के विभागीय करण की योजना अभी शुरू नहीं की गई है जब हम यह योजना प्रारम्भ करेंगे तो हम खुरदा रोड के सम्बन्ध में भी विचार करेंगे ।

मिट्टी-विज्ञान समिति

†*२२०. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की मिट्टी-विज्ञान समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) समिति की अन्तिम बैठक में क्या निर्णय किये गये; और

(ग) क्या उन्होंने मिट्टी के विश्लेषण के साथ पौदे का विश्लेषण करना भी शुरू कर दिया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अठारह ।

(ख) समिति ने कई नई योजनाओं, तथा विभिन्न राज्यों और संस्थाओं की कई चालू योजनाओं के औद्योगिक कार्यक्रमों तथा विस्तार प्रस्थापनाओं की जांच पड़ताल की । उसने इसमें से कुछ योजनाओं, प्रस्तावों व कार्यक्रमों को कुछ सिफारिशों के साथ परामर्शदाता बोर्डों और परिषद् की प्रशासन संस्था को मंजूरी के लिये भेजा है । कुछ नई योजनायें, जो कि उसी प्रकार की थीं और जिनका भारत-व्यापी महत्व था, विशेष उपसमितियों को व्यक्तिगत योजनाओं के आयोग के द्वारा उन्हें समायोजित योजनाओं के रूप में क्रियान्वित कराने के लिये भेज दी हैं ।

(ग) जी, हां ।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : क्या माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है, उसमें तीनवर्षीय योजना भी शामिल है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कई बड़ी योजनायें हैं । इस योजना की अवधि बताना कठिन होगा । मेरे पास इसके विस्तृत विवरण नहीं हैं ।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : क्या विभिन्न फस्लों द्वारा फासफोरस के ग्रहण की इस समिति अथवा सरकार द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति द्वारा भारत-व्यापी आधार पर परीक्षा की जायेगी ?

†**श्री पं० शा० देशमुख** : मेरे लिये यह कहना भी कठिन होगा । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमें राज्य सरकारों से प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं । उनसे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त होते हैं । मुझे यह ज्ञात नहीं है कि यह विशेष बात भी इसमें शामिल की जायेगी अथवा नहीं ।

†**श्री वें० प० नायर** : सरकार द्वारा दिये गये कृषि के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि १९३५ से १९५२ तक के काल में समस्त भारत में चावल की प्रति एकड़ पैदावार में काफी कमी हुई है। क्या सरकार ने इस विशेष पहलू का मिट्टी के सर्वेक्षण को ध्यान में रख कर अध्ययन किया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पं० शा० देशमुख** : एक योजना में नहीं। किन्तु विभिन्न राज्यों में हमारे गवेषणाकर्त्ता इन पर विचार करते हैं ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या बेसिलस रेडिसिकोला के द्वारा अथवा कृषि में फसलों की अदल-बदल से परम्परागत रूप से लगने वाले पौदों के द्वारा नाइट्रोजन जमा करने के सम्बन्ध में कोई विशेष निश्चय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न विशेषज्ञों के समक्ष रखूंगा और अगली बार इसका उत्तर दूंगा ।

†**श्री सारंगधर दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरक कारखानों की संख्या बढ़ रही है तथा पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक की मांग भी बढ़ी हैं, क्या सरकार भारत-व्यापी मिट्टी के सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता समझेगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार तथा मात्रा के उर्वरक विभिन्न प्रकारों की मिट्टी में प्रयुक्त हो सके, तथा सभी उर्वरकों को सभी स्थानों में प्रयुक्त न किया जाय क्योंकि इससे हानि होगी ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम उर्वरकों को विवेकपूर्वक प्रयुक्त करने की आवश्यकता समझते हैं तथा इस सम्बन्ध में काम किया जा रहा है ।

लक्काद्वीप तथा अन्य द्वीपों का विकास

†*२२१. **श्री वें० शिवाराव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय संघ के मिनिकोय और अमीनदिवी द्वीपों के आर्थिक और सामाजिक विकास की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दी गई यथार्थ राशियों को दिखाने वाला एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). मद्रास राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्काद्वीप में कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की कई योजनायें शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने नियमित जहाज सेवा शुरू करने, डाक तथा बेतार की सुविधायें बढ़ाने, तथा स्थानीय नियोजन की वृद्धि के लिये कार्यवाही की है। अब जबकि लक्काद्वीप द्वीपसमूह संघ क्षेत्र बन गये हैं, विभिन्न प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने तथा उन्हें विकास की उपयुक्त योजना के अन्तर्गत रखने का कार्य किया जायेगा ।

†**श्री वें० शिवाराव** : क्या यह सच है कि मद्रास के पदनिवृत राज्यपाल, श्री श्री प्रकाश ने, दो वर्ष पूर्व भारत सरकार को इन द्वीपसमूह की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रतिवेदन किया था ? क्या इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह सच है कि मद्रास के राज्यपाल ने १९५४ में इन द्वीपसमूहों का दौरा किया था। उनकी सिफारिशों पर मंत्रीमंडल के सचिवालय की एक बैठक में भी विचार किया गया तथा उसके आधार पर कई प्रस्ताव किये गये ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ती** : क्या सरकार लक्काद्वीप द्वीपसमूह का नाम बदल कर 'लक्ष द्वीप' रखना चाहती है जो उसका मूल नाम था ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह एक सुझाव है जिस पर यह विचार किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने बंगाल की खाड़ी के अंदमान द्वीपसमूहों और अरब सागर के लक्काद्वीप द्वीपसमूहों के विकास के विषय में कोई विभेद किया है और क्या अनुभवी अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : सरकार एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से कोई विभेद नहीं करती है ।

†**डा० रामा राव** : प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जहाज कितनी बार अधिक आने जाने लगेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह सब इस समय विचाराधीन है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मीटर-गेज के डिब्बे बनाने का कारखाना

†*१९५. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मीटर-गेज के इस्पात के तथा हल्के वज़न के रेल के डिब्बे बनाने के लिये कारखानों के स्थान के सम्बन्ध में क्या अब कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान को चुना गया है; और

(ग) उस स्थान को चुनने के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

†*१९८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिन क्षेत्रों में 'नलकूप' सिंचाई बिजली घरों से, विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में, बिजली सुगमता से प्राप्य है, वहां रेलवे स्टेशनों और उनके अहातों के विद्युत्करण के लिये व्यवहार्य सम्भावनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की आंशपूर्ति के लिये प्रस्थापित कार्यवाहियां क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जहां उचित दामों पर बिजली प्राप्य है वहां रेलवे स्टेशनों के विद्युत्करण के लिये कार्यक्रम पहिले से ही तैयार किया जा चुका है ।

दिल्ली के गिर्द वलय रेलवे

†*२०३. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सभी नई बस्तियों को नई दिल्ली से मिलाने के लिये क्या सरकार का दिल्ली के इर्द-गिर्द एक वलय रेलवे के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना किस स्तर पर है; और

(ग) यदि नहीं, तो राजधानी की परिवहन समस्या के समाधान के लिय सरकार का अन्य प्रस्ताव क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). दिल्ली के इर्द-गिर्द वलय रेलवे के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

गाड़ी का पटरी से उतरना

†*२०५. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर, १९५६ को पश्चिम रेलवे की ब्रांच मीटर-गेज लाईन पर ४९९ अप मिली-जुली रेलगाड़ी खेरालू और वेरठा के बीच पटरी से उतर गई थी और परिणामस्वरूप कई व्यक्ति हताहत तथा सख्त घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी का पटरी से उतरने का कारण क्या था; और

(ग) दुर्घटना के लिये उत्तरदायी कौन व्यक्ति था या कौन से व्यक्ति थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १-१०-१९५६ को लगभग १५-३५ पर, जब कि ४९९ अप मिली-जुली गाड़ी वेरठा और खेरालु स्टेशनों के बीच पश्चिम रेलवे के मेहसाना-तारंगाहिल मीटर-गेज खण्ड पर गुज़र रही थी तब मील ३१/११-८ पर ३ माल गाड़ी के डिब्बे (इंजिन से १७वें से लेकर १९वें डिब्बे तक) और सवारियों के ५ डिब्बे (इंजिन से २०वें से लेकर २४वें डिब्बे तक) पटरी से उतर गये थे और परिणामस्वरूप १ यात्री हताहत हुआ था और अन्य तीन व्यक्ति घायल हुए थे ।

(ख) तथा (ग). दुर्घटना का कारण क्या था और इसके लिये उत्तरदायी कौन है इस बात की अभी जांच की जा रही है ।

भाखड़ा नहरें

†*२०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुल कितनी भाखड़ा नहरें बनाई जायेंगी;

(ख) कितनी नहरें बनाई जा चुकी हैं; और

(ग) वे कुल कितने योगमील में फैली हुई होंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) २ नहरें, ११ शाखायें, ३ उपशाखायें और बहुत-सी उप-नहरें तथा छोटी नहरें ।

(ख) राजस्थान में केवल एक छोटी नहर को छोड़ कर शेष सभी नहरें बनाई जा चुकी हैं ।

(ग) ४८९३ मील ।

पंगुओं का पुनर्वास

†*२०७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार ने भारत में पंगुओं के पुनर्वास के सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता प्रशासन से एक विशेषज्ञ की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता प्रशासन ने मांग पूरी की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) तथा (ख). भारत में पंगुओं के पुनर्वास और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार को मंत्रणा देने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड

†मूल अंग्रेजी में

और भारत सरकार के बीच एक करार के अधीन बोर्ड को निम्न चार विशेषज्ञों की व्यवस्था करनी होती है :

(१) व्यवसायिक विशेषज्ञ;
(२) जीविका विशेषज्ञ;
(३) शरीर चिकित्सक[१];
(४) प्रोसथैटिक प्रविधिज्ञ[२];

इन में से पहिले तीन विशेषज्ञ पहिले से ही कार्य कर रहे हैं और आशा है कि चौथा विशेषज्ञ भी शीघ्र ही आ जायेगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वाक् चिकित्सा के सम्बन्ध में एक और विशेषज्ञ के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड से प्रार्थना की है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड ने हमें सूचित किया है कि १९५६ की अवधि में इस विशेषज्ञ का प्रबन्ध किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

दिल्ली के लिये बृहत् योजना

†*२०९. **श्री भीखा भाई** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५६ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली सम्बन्धी बृहत् योजना किस सीमा तक दिल्ली में गन्दी बस्तियों को दूर कर सकेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

कोयले का उद्धरण

†*२१०. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में इंजिनों में कोयले के उद्धरण तथा अवतारण से सम्बन्धित कार्य ठेके की मजूरी द्वारा किया जाता है;

(ख) अन्य रेलों में जो पद्धति अपनायी जाती है, क्या यह उससे विभिन्न है;

(ग) यदि हां, तो क्यों; और

(घ) इस कार्य के लिये ठेकेदार मजूरी की क्या दर लेता है और वह मज़दूरों को वास्तव में कितनी मजूरी देता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** :

(क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को वस्तुतः किस दर से मजूरी दी जाती है, सरकार को यह मालूम नहीं है। ठेकेदारों को मजूरी जिस दर से दी जाती है जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

---

†मूल अंग्रेजी में
[१] Physiotherapist.
[२] Prosthetic Technician.

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

†*२११. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता, दूध के पाउडर, पीने के पानी आदि के सम्भरण के लिये, भारत सरकार द्वारा हाल में कोई विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें इन कार्यवाहियों का ब्योरा बताया गया हो ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७**]

खाद्यान्नों का निर्यात

*२१४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में पड़ोसी देशों को किस प्रकार का और कितना खाद्यान्न भेजा गया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन०) : सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८**]

सौराष्ट्र के रेलवे पुल

†*२१५. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सौराष्ट्र में वांकानेर के निकट माछू पर और जेतपुर के निकट भदर पर रेलवे पुल बहुत पुराने हैं और उन पर अत्यन्त भारी बोझ है;

(ख) उनकी उपयोज्यता तथा स्थायित्व का कब परीक्षण किया गया था; और

(ग) क्या सरकार परीक्षण से संतुष्ट है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). वांकानेर सिटी स्टेशन के निकट माछू नदी पर और नावगढ़ स्टेशन के निकट भदर नदी पर जब रेलवे पुल बनाये गये थे तब उन्हें आधुनिक भारी इंजिनों का बोझ उठाने के लिये तैयार नहीं किया गया था और इसलिये इन पुलों पर ५ मील प्रति घंटे की रफ्तार की पाबन्दी लगा दी गई है । ख्याल है कि इस रफ्तार पर पुल सुरक्षित हैं ।

इन पुलों की उपयोज्यता और स्थायित्व का सम्बन्धित रेलवे कर्मचारीवर्ग द्वारा सदैव परीक्षण किया जाता रहा है ।

(ग) जी, हां ।

रेलवे के लिये अधोधारों[1] का क्रय

†*२१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ब्राड गेज रेलवे लाइनों के लिये ६५० अधोधारों के सम्भरण के लिये रेलवे ने पोलण्ड की एक मार्फ को ठेका दिया है ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Undergranes.

तेलवाहक जहाज़

†*२२२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी जहाज़ों द्वारा अशोद्धित तेल लाने के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवर्ष नौवहन भार की कितनी रकम देनी होती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : भारत सरकार स्वयं अपने लेखे पर अशोद्धित तेल का आयात नहीं करती है ।

आसाम रेल समपर्क

†*२२३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री देवेंद्रनाथ सर्मा :
श्री बर्मन :

क्या **रेलवे** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम रेल सम्पर्क स्थायीकरण समिति ने अब अपनी जांच का काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेल के ठंडे[1] माल डिब्बे

†*२२४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिन १,०७,२४७ माल डिब्बों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है क्या उनमें नाशी वस्तुओं के अनाशी स्थिति में परिवहन के लिये भी "रेल के ठंडे माल डिब्बे" भी होंगे; और

(ख) यदि हां, तो योजना की समाप्ति पर कितने "रेल के ठंडे माल डिब्बों" द्वारा कार्य किया जाता होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में "रेल के ठंडे माल डिब्बों" की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

वस्तु-भाड़े की दरों पर अधिभार

†*२२५. **श्री बंसल :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूत्ति मिश्र :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फ़ार ईस्टर्न कान्फ्रेंस लाइनज़' ने सभी वस्तुओं के वस्तु-भाड़े की दरों में सितम्बर, १९५६ क मध्य से १५ प्रतिशत अधिभार लगाने की घोषणा की है; और

(ख) क्या भारत को आने वाली वस्तुओं के वस्तु-भाड़े पर भी ऐसा अधिभार लागू होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

[1] Refrigeration.

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** (क) 'फ़ार ईस्टर्न कान्फ्रेंस लाइनज़' ने १६ सितम्बर, १९५६ को ब्रटिश तथा उत्तरी महाद्वीपी पत्तनों से सुदूर पूर्वी पत्तनों को जाने वाली वस्तुओं के वस्तु-भाड़े की दरों में १५ प्रतिशत अधिभार लगाने की घोषणा की है; परन्तु बाद में वह प्रस्तावित अधिभार उसके लागू होने के दिन से ही निलम्बित कर दिया गया ।

(ख) जी, नहीं । परन्तु 'भारत ब्रटेन कान्फ्रेंसों' ने १५ प्रतिशत अधिभार की घोषणा की है जो कि ७ नवम्बर से लागू हुई है और वह अधिभार भारत को आने वाली वस्तुओं के वस्तु-भाड़े पर लागू होता है ।

इस्पात की ढलाई का कारखाना

†*२२६. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चितरंजन इंजन कारखाने में इस्पात की ढलाई के लिये कोई कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उस कारखाने के लिये आवश्यक संयंत्र तथा मशीनें पहुंच गई हैं ?

†**रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). इस्पात की ढलाई के कारखाने की स्थापना के लिये हम अभी तक विदेशों से संतोषजनक प्रविधिक सहकारिता प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं, और इस प्रकार की मशीनों तथा संयंत्र आदि के लिये अभी तक आर्डर नहीं भेजा गया है ।

बेजवाड़ा-नेल्लोर लाइन

†*२२७. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिराला और स्टूवर्ड पुरम् के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह लाईन यातायात के लिये कब खुलेगी; और

(ग) क्या १९५६ में दक्षिणी रेलवे क बेजवाड़ा तथा नेल्लोर के बीच किसी और खण्ड की लाइन को भी दोहरा बनाया जायेगा, और वह काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). चिराला और स्टूवर्ड पुरम् के बीच दुहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, और वह लाइन माल यातायात के लिये १४-९-५६ से खोल दी गयी है ।

(ग) यातायात के लिये पहले ही खोल दिये गये हुये भाग के अतिरिक्त १९५६-५७ में बापाटला-चिन्नागंजम् और सुरारेड्डीपल्लम-उलावापाडू के बीच दोहरी लाइन बिछाने की प्रस्थापना भी है । अन्य खण्डों में कार्य हो रहा है ।

चीनी के कारखाने

†*२२८. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के नये कारखानों की स्थापना अथवा वर्तमान कारखानों के पर्याप्त सीमा तक विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई व्यापक सिद्धान्त बनाये ह; और

(ख) यदि हां, तो क्या नये कारखानों की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]**

बम्बई-बंगलौर-मद्रास राष्ट्रीय राजपथ

†*२२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में बम्बई-बंगलौर-मद्रास राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण पर १९५६ में कुल कितना खर्च हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]**

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार

†*२३०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के लिये एक पूर्णकालिक सभापति नियुक्त करने की और इस विभाग के प्रशासन के सारे ढांचे को उसी आधार पर आधारित करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) आपको यह स्मरण होगा कि संविधान (नवम संशोधन) विधेयक पर हो रहे वाद-विवाद के समय संसद् में यह घोषणा की गयी थी कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था दिल्ली के प्रस्तावित निगम के अधीन आ जायेगी । अत: अब लोक लेखा समिति की सिफ़ारिशों पर इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए ही विचार करना होगा ।

मलेरिया निरोधक आन्दोलन

†*२३१. { **श्री डाभी :**
श्री मू० इस्लामुद्दीन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि इस बात का ध्यान रखने के लिये कि भारत में मलेरिया के मच्छर इतने न बढ़ जायें कि उन पर डी० डी० टी० तथा अन्य कीटाणुनाशक औषधियों का कुछ प्रभाव ही न हो सके, जो गवेषणायें की गयी थीं तथा जो सावधानी के उपाय किये गये थे, उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : अभी तक की गयी गवेषणाओं के परिणामों से यह ज्ञात हुआ है कि मलेरिया के मच्छर भारत में इतने नहीं बढ़े हैं कि उन पर डी० डी० टी० तथा अन्य कीटाणु नाशक औषधियों का कोई प्रभाव ही न हो सके । इस प्रकार के किसी भी मामले के सम्बन्ध में निश्चय करने के बारे में परीक्षण किये जा रहे हैं । किसी भी मामले के उत्पन्न होने पर उस समय प्रयुक्त की जा रही कीटाणुनाशक औषधियों के स्थान पर दूसरी औषधियां प्रयुक्त की जा सकती हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा नदी पर सड़क का पुल

†*२३२. **श्री का० सु० राव** : क्या **परिवहन** मंत्री २२ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस-केप कोमोरिन राष्ट्रीय जनपथ पर करनूल नगर के निकट तुंगभद्र नदी पर सड़क के पुल का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) उस पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) लगभग २६·१७ लाख रुपया जिसमें शहर तक पहुंचाने वाली सड़क का खर्च सम्मिलित नहीं है ।

चीते

†*२३३. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीते जोकि अभी पिछले दिनों तक भारतीय जंगलों में बहुतायत से पाये जाते थे, अब भारत में लगभग समाप्त प्राय हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उचित प्रकार से उनके अभिजनन के द्वारा उनकी जाति की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस समय भारत के चिड़ियाघरों में चीतों की संख्या क्या है; और

(घ) इनके अभिजनन के कार्य को जारी रखने के लिये मृत चीते के प्रतिस्थापन के निमित एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में चीतों के लाने या ले जाने के सम्बन्ध में संभावना क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय वन्य जीवन बोर्ड को यह कह दिया गया है कि वह इस समस्या पर विचार करे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में सरकार को परामर्श दे ।

(ग) एक

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में चीनी के सहकारी कारखाने

†*२३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिहार से इस आशय की कोई प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं कि वहां पर चीनी के सहकारी कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उनमें से कितनों को अनुमति दे दी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). केवल एक ही प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिसकी तिथि २८ अप्रैल, १९५६ है और जिसमें पूर्निया ज़िले के बानमंखी स्थान पर एक सहकारी चीनी कारख़ाना स्थापित करने की अनुमति मांगी गयी है । सरकार ने उसके लिये एक लायसेन्स देना स्वीकार कर लिया है, और वह जारी किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नियंत्रण

†*२३५. **श्री जेठालाल जोशी :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रा० न० सिंह :
श्री ल० ना० मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के किन-किन भागों में खाद्यान्नों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नियंत्रण लगाया है; और

(ख) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानें खोल देने से स्थिति अब कितनी सुधर गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई शहरों से खाद्यान्नों के बाहिर ले जाने अथवा अन्दर लाने पर नियंत्रण लगाया है। मनीपुर तथा त्रिपुरा के क्षेत्रों और आसाम राज्य से चावल, धान तथा उनसे बनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर भी नियंत्रण है।

(ख) खाद्यान्नों की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उसे बहुत सीमा तक रोक दिया गया है।

हीराकुड बांध परियोजना

†*२३६. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध परियोजना के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं;

(ख) क्या बाढ़ नियंत्रण के लिये नारज तथा टिकड़ापारा की अन्य परियोजनाओं को अगली प्रक्रम पर आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मुख्य बांध, सेतु तथा नहरें पूर्णरूपेण तैयार हो गयी हैं। सिंचाई के लिये सर्वप्रथम जल ७ सितम्बर, १९५६ को छोड़ा गया था। जल-विद्युत् केन्द्र का सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो चार विद्युत् जनन केन्द्र स्थापित करने हैं उनमें से २४,००० किलोवाट का एक केन्द्र तैयार हो चुका है जो कि इसी वर्ष चालू हो जायेगा। उसे परीक्षण के रूप में २८ अक्तूबर, १९५६ को चलाया गया था।

(ख) और (ग). ये परियोजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं हैं और इसलिये निकट भविष्य में प्रारम्भ नहीं की जायेंगी।

रेल के ठंडे माल डिब्बे

†*२३७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बर्फ से ठंडी की गई मछलियों तथा फलों के परिवहन के लिये कोचीन से दिल्ली और दिल्ली से कोचीन को रेल के ठंडे माल डिब्बों की गाड़ी चलाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी, नहीं। दिल्ली और कोचीन क्षेत्र के बीच मछलियों और फलों का यातायात इतना अधिक नहीं है कि उनके परिवहन के लिये रेल के ठंडे माल डिब्बों वाली गाड़ियों की व्यवस्था की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हावड़ा-बर्दवान लाइन पर बिजली लगाना

†*२३८. **श्री चट्टोपाध्याय :**
श्री वेलायुधन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५६ के अन्त तक हावड़ा-बर्दवान रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सभा में दी गई सूचना के अनुसार बिजली की सर्वप्रथम रेलगाड़ी जुलाई, १९५७ में चल सकेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

रेलवे अधीनस्थ कर्मचारीवर्ग

†*२३९. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री गिडवानी :
डा० लंका सुन्दरम् :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों पर काम कर रहे अधीनस्थ कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन-क्रमों को बढ़ाने का प्रश्न किस स्थिति पर है;

(ख) इसका अन्तिम फैसला कब तक होने की आशा है; और

(ग) इसके वित्तीय परिणाम क्या होंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). बोर्ड द्वारा प्रस्थापनायें तैयार की गई हैं तथा 'नेशनल फैडरेशन आफ़ इन्डियन रेलवेज़' से शीघ्र ही परामर्श लिया जायगा ।

(ग) इन्हें प्रस्थापनाओं को अन्ततः तय करने के बाद ही निर्धारित किया जायगा ।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न का संभरण

†*२४०. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने उचित दामों की दुकानों के लिये अधिक गेहूं और चावल के आवण्टन की मांग की है; और

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने परिवार के राशन कार्ड पर चावल और गेहूं के सम्भरण की कोई प्रस्थापना की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने अधिक चावल के आवण्टन की मांग की थी जिसे पूरा किया जा रहा है ।

गेहूं को केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता के केन्द्रीय विक्रय डिपो से बेचा जा रहा है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चावल का सम्भरण परिवार के राशन कार्ड पर किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड

†*२४१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड की स्थापना सरकार ने कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से यह अस्तित्व में आया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक सितम्बर, १९५६ से ।

वंशधरा परियोजना

†*२४२. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वंशधरा परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना व्यय प्राक्कलित किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सूचना संकलित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

केरल राज्य में खेती की भूमि

†१४०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केरल राज्य में कुल कितनी भूमि पर खेती होती है;

(ख) इसमें से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है और कितने में सिंचाई नहीं होती है;

(ग) केरल राज्य में सर्वेक्षण स्कूलों की संख्या क्या है और वे कहां स्थित हैं;

(घ) वहां कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ५३,९५,३८५ एकड़ ।

(ख) सिंचित जमीन——१४,२६,२६० एकड़ ।
सूखी जमीन——३९,६९,१२५ एकड़ ।

(ग) तीन स्कूल——एक त्रिवेन्द्रम में, एक कोहायम में और एक त्रिचूर में ।

(घ) ७५ ।

केरल में सिंचाई परियोजनायें

†१४१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में निम्नलिखित मदों, के अंतर्गत कितनी सिंचाई परियोजनायें हैं : (१) बड़ी सिंचाई

†मूल अंग्रेजी म

परियोजनायें; (२) छोटी सिंचाई परियोजनायें; और (३) केरल में विभिन्न जल-विद्युत् योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र कितना है और उसमें बिजली उत्पादन का प्राक्कलन क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** :

(१) दस।

(२) पंद्रह।

(३) ३,३३,५८९ एकड़ और १,६४,५०० किलोवाट क्षमता ।

त्रावनकोर-कोचीन परिवहन विभाग

†१४२. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **परिवहन** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछ गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जबकि लेलेंड बसें खर्चे के हिसाब से प्रति मील अधिक लाभदायक सिद्ध हुयी थीं तो मर्सीड्स-बेंज़ बसें अधिक संख्या में क्यों खरीदी गयीं;

(ख) सरकार ने मर्सीड्स बसें सीधे खरीदी हैं अथवा किसी एजेंसी के जरिये और यदि किसी एजेंसी के जरिये तो उस फर्म का नाम; और

(ग) सरकारी आर्डर से पूर्व उक्त फर्म कितने समय से बस-निर्माताओं की प्रतिनिधि थीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मर्सीड्स बसों में पूंजी लगाने तथा उनके परिचालन में जो मितव्ययता होती है वह लेलेंड बसों में प्रति मील होने वाली बचत से अधिक है।

(ख) और (ग) मर्सीड्स-बेंज़ बसें सीधे मेसर्स टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई से जो उन्हें गत तीन वर्षों से बेच रहे हैं, खरीदी गयी थीं।

दूध का उत्पादन

†१४३. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उसमें निर्दिष्ट डेरी विकास योजनाओं से राज्य में गायों के दूध के औसत उत्पादन तथा दूध के उपभोग में कितनी वृद्धि होगी; और

(ख) क्या राज्य में दूध के उत्पादन तथा उपभोग का विकास करने में कोई विशेष ध्यान दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) उपभोग में तथा गायों के दूध के उत्पादन में वृद्धि ठीक-ठीक आगणित नहीं की जा सकती किन्तु पर्याप्त वृद्धि की आशा की जा सकती है।

(ख) तीसरी योजना बनाते समय राज्य की इस आवश्यकता पर समुचित विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि-सम्बन्धी आंकड़े

†१४४. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य में कृषि विभाग अथवा किसी अन्य विभाग की कोई ऐसी शाखा है जो कृषि सम्बन्धी आंकड़े संकलित करती हो; और

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कृषि सम्बन्धी आंकड़े राज्य के आंकड़ों विभाग के द्वारा संकलित किये जाते थे ।

(ख) १०३ ।

वन

†१४५. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व कुल वन क्षेत्र कितना था;

(ख) प्रथम योजना के दौरान में कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत लाया गया; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कितने क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) २७७ हज़ार वर्ग मील ।

(ख) उपलबध सूचना के अनुसार, सन् १९५२-५३ में 'वनों' के अंतर्गत २८० हज़ार वर्गमील का क्षेत्र था । बाद के वर्षों की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लगभग ४०० वर्ग मील ।

प्रसूति अस्पताल

†१४६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) भारत में राज्यवार प्रसूति अस्पंतालों की संख्या क्या है; और

(ख) द्वितीय योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में, राज्यवार कितने नये अस्पताल खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

भूतपूर्व राज्यों के नाम	विद्यमान प्रसूति अस्पतालों की संख्या	सन् १९५६-५७ में खोले जाने वाले नवीन प्रसूति अस्पतालों की संख्या
१. आसाम	१	—
२. बम्बई	५६९ (वार्ड सहित)	३६

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व राज्यों के नाम	विद्यमान प्रसूति अस्पतालों की संख्या	सन् १९५६-५७ में खोले जाने वाले नवीन प्रसूती अस्पतालों की संख्या
३. मद्रास	२७	—
४. उड़ीसा	३	१
५. पंजाब	२७	—
६. उत्तर प्रदेश	१३२ (वार्ड सहित)	१३ (वार्ड सहित)
७. पश्चिमी बंगाल	४	—
८. हैदराबाद	—	—
९. मध्य भारत	७३ (वार्ड सहित)	—
१०. पेप्सू	१ (सामान्य महिला अस्पताल का अंग)	१ (वार्ड)
११. राजस्थान	५	—
१२. त्रावनकोर-कोचीन	६	—
१३. अजमेर	१	—
१४. भोपाल	१	—
१५. कच्छ	६	—
१६. कुर्ग	—	१
१७. दिल्ली	८ (वार्ड तथा गृह सहित)	३ (वार्ड)
१८. हिमाचल प्रदेश	—	—
१९. मनीपुर	१	१ (वार्ड)
२०. त्रिपुरा	१ (वार्ड)	—
२१. विन्ध्य प्रदेश	१ (वार्ड)	—
२२. बिहार	—	—
२३. मैसूर	४०	—
२४. सौराष्ट्र	२७	—
२५. आन्ध्र २६. मध्य प्रदेश	सूचना उपलब्ध नहीं है ।	

गांवों में बिजली लगाना

†१४७. **श्री राम कृष्ण** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब और पेप्सू के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें कि गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ हुआ है; और

(ख) जिलेवार उन स्थानों के नाम जहां अब तक विद्युतीकरण हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जहां तक भारत सरकार के पास सूचना उपलब्ध है वह सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

†मूल अंग्रेजी में

पेप्सू की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†**१४८. श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार द्वारा पेप्सू सरकार की कौन-सी योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत की गयी थीं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : योजना आयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास योजनाओं का एक ग्रन्थ तैयार कर रहा है। इसमें पेप्सू तथा अन्य राज्यों के लिये स्वीकृत विकाश योजनायें भी सम्मिलित होंगी ।

रेलवे लाइनों का सामर्थ्य

†**१४९. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे की मीटर गेज शाखा पर लाइन के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिये अक्तूबर, १९५६ तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे की मीटर गेज़ शाखा पर वाहन का सामर्थ बढ़ाने का जो कार्य अक्तूबर, १९५६ तक पूरा हुआ है और जो चल रहा है उसकी सूचियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

नौवहन

†**१५०. श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में नौवहन समवायों को समवाय-वार कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) ऋण की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

मकान का किराया

†**१५१. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कुछ विभागों में मकान किराये में असमानता अब भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मकान किराया की एकरूपी प्रणाली जारी करना का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा में श्री प० ला० बारूपाल द्वारा ११-४-५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

प्रत्येक श्रेणी के क्वार्टरों का निर्धारित किराया ऐसे निश्चित किया जाता है कि उस श्रेणी में रखे गये सब क्वार्टरों के पूंजी व्यय पर ४ प्रतिशत आय मिल सके। उत्तर रेलवे में भूतपूर्व एन० डब्लयू, ई० आई०, बी० बी० एंड सी० आई० और कुछ भूतपूर्व रियासती रेलवे के एकक सम्मिलित हैं। चूंकि प्रत्येक अंगभूत एकक में किराया उस भूतपूर्व रेलवे में इकट्ठा कर दिया गया है, जिसका वह पहले एक भाग था, इसलिये जब तक नया संग्रह न बनाया जाये, तब तक वह समस्त पुनर्वर्गीकृत रेलवे पर समान आधार पर नहीं होगा। तथापि यह असमानता उन मामलों तक सीमित है, जिनमें क्वार्टर का

†मूल अंग्रेजी में

परिगणित किराया रहने वाले के वेतन के १० प्रतिशत से कम हो, क्योंकि इस १० प्रतिशत की सीमा से कर्मचारियों को कोई हानि नहीं पहुंच सकती ।

(ख) अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये मकान किराया की एकरूप प्रणाली शुरू करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माल गाड़ियां

†१५२. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में क्रमशः बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर माल गाड़ियों की औसत रफ्तार कितनी थी;

(ख) १९५५-५६ में क्रमशः बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर प्रति माल गाड़ी औसत भार कितना था;

(ग) १९५५-५६ में क्रमशः बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर प्रति माल गाड़ी डिब्बों की औसत संख्या कितनी थी;

(घ) १९५५-५६ में क्रमशः बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर औसत डिब्बा भार कितना था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**

	बड़ी लाइन	**छोटी लाइन**
(क)	भाप ९·८४ मील प्रति घंटा	८·४६ मील प्रति घंटा
(ख)	भाप ५२८ टन ...	२४२ टन
(ग)	मेन लाइनें ४९ ...	४१
	ब्रांच लाइनें ३७	२७
(घ)	१६·१ टन** ...	८·८६ टन**

रेल के माल-डिब्बे

†१५३. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर अलग-अलग माल-डिब्बों का उपयोग फेरों के हिसाब से क्या था ?

(ख) १९५५-५६ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर अलग-अलग माल के यातायात की औसत क्या थी; और

(ग) १९५५-५६ में क्रमशः बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर प्रति दिन प्रति चालू पटरी मील पर कितने गाड़ी मील चले गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : यह जानकारी इस प्रकार है :—

	बड़ी लाइन	**छोटी लाइन**
(क)	१०.५ दिन ...	... ७.६ दिन (उत्तरी वर्ग) ६.७ दिन (दक्षिणी वर्ग)
(ख)	२४७	१६३
(ग)	१८.७	११.७

†मूल अंग्रेजी में

**चलते समय औसत डिब्बा-भार

रेल के इंजन

†१५४. **श्री फीरोज़ गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में क्रमशः बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर प्रति दिन कुल कितने रेल के इंजन लाइन पर थे और कितने मरम्मत किये जा रहे थे या मरम्मत के लिये खड़े थे ;

(ख) इंजन मील प्रति इंजन दिन :

(१) १९५५-५६ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर अलग-अलग लाइन पर प्रति इंजन (भाप) ;

(२) १९५५-५६ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर अलग-अलग प्रति माल इंजन (भाप) ; और

(ग) १९५५-५६ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर अलग-अलग प्रति इंजन औसत काम ?

†**रलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

		बड़ी लाइन	छोटी लाइन
(क)	लाइन पर इंजनों की दैनिक औसत संख्या—		
	भाप के इंजन ...	५,५१२	२,८५७
	प्रति दिन मरम्मत किये जा रहे या मरम्मत के लिये खड़े इंजनों की औसत संख्या—		
	भाप के इंजन	९२७	४४२
(ख)	(१)	८४	७७
	(२) ...	९४**	८५**
(ग)	भाप	३०,०९५ (पौंडों में)	१७,३४६ (पौंडों में)

स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन

†१५५. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे पर नरसिंहपुर और करेली स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : इन स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन नहीं लगाये गये क्योंकि डाक और तार विभाग ने अभी सार्वजनिक एक्स्चेंज नहीं खोले हैं । मालूम हुआ है कि इन स्टेशनों पर एक्स्चेंज बनाने की योजनाओं के लिये मंजूरी दे दी गई है और यदि आवश्यक सामग्री समय पर मिल गई तो इन्हें खोलने में लगभग ५ मास लगेंगे । इन एक्स्चेंजों से नरसिंहपुर और करेली रेलवे स्टेशनों पर टेलीफ़ोन लगाने के लिये डाक और तार विभाग से मांग की जा रही है ।

नर्मदा पर पुल

†१५६. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर पुल बनाने का मामला किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**प्रति माल इंजन

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पुल के लिये रूपरेखा डिज़ाइन राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। वह अब विस्तृत डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार कर रही है।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†**१५७. श्री अचलू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक व्यक्तियों को प्रति मास कितना वेतन और भत्ते मिलते हैं; और

(ख) ये वेतन और भत्ते उन्हें किस तिथि से दिये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). १-४-१९४८ से भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली के मासिक व्यक्तियों को ३० रुपये (निश्चित) प्रति मास की दर से मजूरी और ४० रुपया महंगाई भत्ता और ३ रुपये सी० ए० दिया जाता है।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†**१५८. श्री अचलू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में उन मासिक व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, जिन की सेवा १० वर्ष से अधिक समय की है;

(ख) उन मासिक व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा ५ वर्ष से अधिक परन्तु १० वर्ष से कम है;

(ग) उन मासिक व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा २ से ५ वर्ष तक की है; और

(घ) उन मासिक व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा २ वर्ष से कम है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

(क) २७ ।

(ख) ३५ ।

(ग) १२ ।

(घ) ३ ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†**१५९. श्री अचलू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के श्रमिक कोई चिकित्सा सुविधायें पाने के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). संभवतः जानकारी संस्था के मासिक व्यक्तियों और दैनिक मजूरी पाने वाले श्रमिकों के बारे में मांगी गई है। ये श्रमिक नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और इन्हें अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल सकतीं। तथापि उन्हें संस्था के चिकित्सालय से जोकि संस्था के सभी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये है निःशुल्क डाक्टरी सहायता मिलती है।

†मूल अंग्रेजी में

गौहाटी में जहाज़ श्रमिकों की हड़ताल

†१६०. **श्री बोस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी और अन्य स्थानों पर जहाज़ी श्रमिकों ने २७ सितम्बर, १९५६ से हड़ताल कर दी है;

(ख) हड़ताल का क्या कारण है;

(ग) हड़ताल से प्रभावित जहाज़ों और श्रमिकों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) गौहाटी में जहाज़ों के चालकवृन्द ने २२ सितम्बर, १९५६ से हड़ताल कर दी थी जो १६ अक्तूबर को समाप्त कर दी गई ।

(ख) हड़ताल का कारण यह था कि पुलिस ने अन्तर्देशीय जहाज़ अधिनियम, १९१७ की धारा ६३ के अन्तर्गत, जहाज़ के अध्यक्ष की शिकायत पर, जयिंट स्टीमर कम्पनीज़ के एक जहाज़ एस० एस० आलमपुर के १३ चालकों को गिरफ़्तार कर लिया था ।

(ग) उपबलब्ध जानकारी के अनुसार प्रभावित जहाज़ों और श्रमिकों की संख्या क्रमशः ४० और ५३० है ।

काजू की खेती

†१६१. **श्री वेलायुधन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सरकार ने काजू की खेती के विकास के लिये क्या पग उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : २०,००० एकड़ वन भूमि में काजू की खेती करने की एक योजना जिस पर लगभग ३२·५ लाख रुपये लागत आयेगी, शुरू की गई है । अच्छी किस्म के पौधों को उगाने और वितरित करने के लिये योजना की अवधि में पौधशालाएं स्थापित करने के लिये लगभग २·६ लाख रुपये की लागत की एक और योजना के लिये भी मंजूरी दी गई है ।

यह भी निर्णय किया गया है कि काजू की खेती करने वाले निजी भूस्वामियों और सरकारी भूमियों के पट्टेदारों को १५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण दिये जायें ।

पंजाब में सड़कें

†१६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा होशियारपुर उपविभाग (पंजाब) में सड़क विकास कार्यों के लिये कोई राशि खर्च की है ;

(ख) यदि हां, तो नई बनाई गई सड़कों की लम्बाई क्या है; और

(ग) इन नई सड़कों पर कितने पुल बनाये गये थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). होशियारपुर जिले में लगभग २६ मील लम्बाई का राष्ट्रीय राजपथ बनाया गया था और जहां आवश्यक था, वहां पुल भी बनाये गये थे । इसके अतिरिक्त ६ मील लम्बाई की ग्राम सड़कें बनाने का काम भी हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र

†१६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में कोई प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी, नहीं ।

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

†१६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १९५६ में अब तक गाड़ी के पटरी से उतर जाने की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनायें सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों में क्रमशः कितनी-कितनी हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे और सामान तथा रेलवे उपकरणों की कितनी क्षति हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). १ जनवरी, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक १४२ बार गाड़ियां पटरियों से उतरीं, अर्थात :

सवारी गाड़ियां पटरी से उतरीं	२०
माल गाड़ियां पटरी से उतरीं	११४
इस प्रकार की अन्य दुर्घटनायें	८
कुल ...	१४२

(ग) २ व्यक्ति मारे गये ।

१९५६ में (सितम्बर तक) रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को लगभग १,६७,६१२ रुपये की क्षति हुई । (अक्तूबर माह के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं)

विद्युत् प्रकाश उपकरणों की चोरी

†१६५. **श्री च० रा० अय्युणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों के नीचे से बिजली का सामान चुराने की कितनी घटनाओं का पता लगा है;

(ख) कितने मुकदमे चलाये गये, कितने मामलों में दण्ड दिया गया और कितने व्यक्ति दोषयुक्त घोषित किये गये; और

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों को छोड़ कर दूसरे व्यक्तियों के लिये यह संभव है कि वे गाड़ियों में लगे सामान को निकाल कर चम्पत हो जायें ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) गाड़ियों के नीचे से बिजली का सामान ले जाने से सम्बन्धित चोरियों की संख्या के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

	अभियोगित	**दण्डित**	**विमुक्त**
(ख) १९५४-५५	१५	५	१०
१९५५-५६	१७	८	२**

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**विचाराधीन : ७

विदेशी पर्यटक

†१६६. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५ में दिल्ली आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या थी; और

(ख) उनको दी जाने वाली सुविधायें क्या-क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क)•१९५५ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तृ कार्यालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में विमान पत्तन और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों से १४,९७२ विदेशी पर्यटक भारत आये । जिन्होंने वस्तुत: दिल्ली देखी है उन विदेशी पर्यटकों के बारे में पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) दिल्ली भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिये किसी प्रकार की विशेष सुविधायें नहीं रखी गई हैं । सबके लिये वही सामान्यस्वरूप वाली सुविधायें हैं जिसकी व्यवस्था प्रादेशिक पर्यटक पदाधिकारी, नई दिल्ली करते हैं । इस कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में निम्न बातें भी हैं :—

(१) दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी देना;

(२) आवास सम्बन्धी व्यय और उपलब्धि, परिवहन तथा प्रशिक्षित गाइडों के बारे में सलाह देना;

(३) विविध भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में पर्यटक साहित्य का दिया जाना ;

(४) काश्मीर के लिये परमिटों का जारी किया जाना; और

(५) पार्लियामेंट अधिवेशन के लिये प्रवेश प्राप्त करने में सहायता ।

महिला चिकित्सक

†१६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारत में इस समय सरकारी नौकरी में कितनी महिला चिकित्सक हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : अपेक्षित जानकारी संग्रहीत की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय लाख उपकर समिति

†१६८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम जनता को लाख तथा चपड़ी से परिचित करने के लिये भारतीय लाख उपकर समिति द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) भारतीय लाख उपकर समिति द्वारा संचालित भारतीय लाख गवेषणा संस्था नामकुम, रांची ने लाख और चपड़ी पर वैज्ञानिक तथा सामान्य दृष्टिकोण से लिखी गई अंग्रेजी और हिन्दी व बंगाली, उड़िया, उर्दू और मलयालम आदि अन्य भारतीय भाषाओं में लगभग ३०० पुस्तकें और पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं ।

(२) समय-समय पर दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों में सामान्य रुचि के लेख भी छपते रहत हैं । हाल ही में सितम्बर, १९५६ में रजत जंयती के स्मारक स्वरूप समिति ने एक स्मृति अंक भी प्रकाशित किया है । यह एक अत्यंत विशद ग्रंथ है जिसमें लाख और चपड़ी पर उपभोगी जानकारी दी

†मूल अंग्रेजी में

गई है और पिछले २५ वर्षों से लाख व्यापार एवं उद्योग की विवेचना से परिपूर्ण उपयोगी लेख तथा लाख व्यवसाय के सम्बन्ध में सांख्यकी और व्यापक विवरणिका दी गई है। अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता, आज (हिन्दी) बनारस, उद्योग व्यापार पत्रिका (अंग्रेजी और हिन्दी) दिल्ली सरीखे महत्वपूर्ण पत्रों ने चपड़ी के सम्बन्ध में विशेषांक छापे थे।

(३) समिति अधिकांश प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लेती है। रजत जयंती समारोह के एक अंग रूप में लाख और लाख निर्मित वस्तुओं के बारे में रांची में एक प्रदर्शनी आयोजित की जा चुकी है। प्रदर्शनी दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पटना तथा मध्य प्रदेश में एक स्थान (जोकि बाद में निश्चित किया जायेगा) पर जायेगी।

(४) भारतीय लाख गवेषणा संस्था द्वारा प्राप्त गवेषणा के परिणामों का चतुर्दिक प्रचार किया जाता है ताकि सम्बन्धित व्यक्ति उनका उपयोग कर सकें।

(५) लाख की खेती के नये तरीके और उसके उपभोग के सम्बन्ध में प्रचार हेतु समिति दो योजनायें चला रही है। समिति के अन्तर्गत चपड़ी उपयोग पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। यह पदाधिकारी चपड़ी के उपयोग का प्रचार करता है एवं देश में लाख के उपयोग को बढ़ाने के लिये उद्योगपतियों से सम्पर्क स्थापित रखता है। लाख की खेती के लिये नियत विशेष पदाधिकारी द्वारा लाख की खेती से सम्बन्धित योजनाओं की देखभाल की जाती है। उसे लाख की खेती बढ़ाने की संभावनाओं को खोजने का काम भी सौंपा गया है।

(६) "लाख से लाखों कमाइये" शीर्षक की फिल्म सूचना तथा प्रसार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी। चपड़ी के सम्बन्ध में एक रंगीन फ़िल्म बनाने की योजना भी विचाराधीन है।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

१६९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) झंडेवाला के पास की भूमि का सुधार करने के लिये दिल्ली सुधार प्रन्यास को कितनी राशि खर्च करनी पड़ी;

(ख) उपरोक्त स्थान पर बेचे गये प्लाटों का प्रति वर्ग गज़ दाम किया था; और

(ग) यह भूमि किन-किन शर्तों और निबन्धनों पर बेची गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :

(क) ५,४९,१७३ रु०।

(ख) (१) व्यापार संस्थाओं के लिये ठंडे गोदामों की जगह १६ रू० ५ आ० प्रति वर्ग गज ८१,००० रु० प्रति एकड़;

(२) छापेखानों के लिये जगहें ३० रु० प्रति गज;

(३) दुकान व मकानों के प्लाट नीलाम की बोलियों के अनुसार ३० रु० से लेकर ४९ रु० ९ आ० प्रति गज तक;

(४) विस्थापितों में बांटने के लिये दिल्ली राज्य सरकार को न लाभ न हानि के आधार पर दी गई भूमि १४ रु० १२ आ० प्रति गज।

(ग) इन प्लाटों को निपटाने की मुख्य-मुख्य शर्तें और निबन्धन निम्नलिखित हैं :—

(१) भूमि-स्वत्व :

पट्टेदारों से पूर्व पट्टे के लिये करार।

†मूल अंग्रजी में

(२) पट्टे की अवधि :

ढाई प्रतिशत प्रीमियम का वार्षिक ग्राउंड रेंट शाश्वत रूप में प्रमाप शाश्वत पट्टे की शर्तों के मुताबिक २५ वर्षों की अन्तरावधि में जमीन का किराया बढ़ाया जा सकेगा ।

(३) प्लाटों का क्षेत्र :

लगभग ३५० से लेकर ६०० वर्ग गज प्रति प्लाट ।

(४) रिज़र्व मूल्य :

(एक) छोटे प्लाट : ३५० वर्ग गज : ४० रु० प्रति वर्ग गज;

(दो) बड़े प्लाट : ६०० वर्ग गज : ३० रु० प्रति वर्ग गज ।

(५) अदायगी :

(एक) छोटे प्लाटों के लिये ३,००० और बड़े प्लाटों के लिये ४,००० रु० की जमा रकम नकद अथवा चेक द्वारा--जिस पर गुड फार पेमेंट लिखा हो टेंडर के रूप में देने होंगे;

(दो) डिमांड के एक महीने के अन्दर प्रीमियम आदि देना होगा । इसमें ऊपर (क) में उल्लिखित जमा-रकम शामिल है;

(तीन) ऊपर (ख) में उल्लिखित रकम के साथ नकद अथवा ब्याज वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें नेशनल सेविंगस सर्टीफिकेट भी शामिल हैं, के रूप में बिल्डिंग को संतोषजनक तरीके से पूरा करने के लिये दी जाने वाली प्रति प्लाट १,००० रु० की सिक्योरिटी बिल्डिंग के संतोषजनक रूप में पूरा होने पर प्रन्यास वास्तविक जमा करने वाले को वापिस करेगा यदि राशि नकद दी गई हो तो प्रन्यास कोई व्याज नहीं देगा । सिक्योरिटी का हस्तांतरण न हो सकेगा;

(चार) ग्राऊंड रेंट--मांगेने पर अर्ध-वार्षिक अदायगी करनी होगी ।

(६) हस्तातन्तरण पर बन्धन :

(एक) जब तक प्लाट पर अधिकार नहीं कर लिया जाता और पट्टे का करार पट्टे-लेख कार्यान्वित और रजिस्टर्ड नहीं हो जाता और प्रन्यास द्वारा स्वीकृत प्लानों के अनुसार प्लाट पर बिल्डिंग नहीं बनाई जाती तब तक हस्तान्तरण की आज्ञा मिल सकेगी;

(दो) जब तक पट्टेदार जमीन के प्लाट के लिये ट्रस्ट को दिया गया मूल प्रीमियम और उसके चालू मार्केट मूल्य, जिसको ट्रस्ट निर्धारित करेगा, के अन्तर का ५० प्रतिशत ट्रान्सफर कराते समय ट्रस्ट को अदा नहीं कर देता तब तक अन्तरण की आज्ञा नहीं मिल सकेगी ।

(७) बिल्डिंग और निर्माण की शर्तें :

(एक) बनायी जाने वाली मंज़िलों की संख्या :

ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और बरसाती;

(दो) ऊंचाई--ऊंचाई इस प्रकार होगी :

(१) सड़क के धरातल से २'-०'' प्लिंथ;

(२) फर्श के पत्थर की मोटाई समेत ग्राउंड फ्लोर १४'-०'';

(३) पहली मंजिल १३'-०" जिसमें फर्श के पत्थर की मोटाई शामिल है;

(४) बरसाती का फर्श १०'-०" इसमें फर्श के पत्थर की मोटाई शामिल है।

(तीन) बिल्डिग के लिये आच्छादन :

(१) म्युनिसिपल उपनियमों के अन्तर्गत हवा और रोशनी के लिये पर्याप्त जगह-जगह के पश्चात् ग्राउंड फ्लोर पर प्लाट का सारा क्षेत्र ढका जा सकता है। यदि सारे ग्राउंड फ्लोर का निवासेतर स्थान के रूप में उपयोग किया जाना है। तथापि यदि ग्राउंड फ्लोर के एक भाग का निवास के लिये उपयोग करना हो तो तब निम्नांकित सारिणी के अनुसार आच्छादन की आज्ञा दी जा सकेगी।

प्लाट का साइज	आवासिक प्लाट पर आच्छादन (ग्राउंड फ्लोर)	अधिकतम (पहली मंजिल)
२०० वर्ग गज तक ...	५६ प्रतिशत	५६ प्रतिशत
२०१ से लेकर ३०० वर्ग गज तक	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
३०१ से लेकर ६०० वर्ग गज तक	५० प्रतिशत	४० प्रतिशत
६०१ से लेकर ९०० वर्ग गज तक ...	४० प्रतिशत	४० प्रतिशत
९०१ और उससे अधिक ...	३३ प्रतिशत	३३ प्रतिशत

उक्त स्लैब्स (slabs) के अन्तर्गत आच्छादन की शर्त यह है कि किसी भी प्लाट का आच्छादन उससे छोटे वर्ग के बड़े से बड़े प्लाट के आच्छादन से किसी भी हालत में कम न होगा;

(२) ऊपर की मंजिलें केवल निवास के लिये होंगी और संलग्न सारिणी के अनुसार आच्छादन की आज्ञा होगी;

(३) बरसाती के फर्श में केवल बरसातियां और ढके हुये मूत्रालय होंगे और आच्छादित स्थान ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र के, इसका आवासिक प्लाट के रूप में विचार करते हुए, २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। बरसाती कम से कम एक ओर बिल्कुल खुली होगी जिसमें कोई दरवाजे खिड़कियां लगाने की इजाजत नहीं होगी;

(४) लाफ्ट—दुकानों में लाफ्ट की आज्ञा मिल सकेगी बशर्तेकि इसका क्षेत्र दुकानों के कार्पेट एरिया के ३३ प्रतिशत से अधिक न हो और लाफ्ट के ऊपर और नीचे मूर्धाविकाश क्रमः ६' और ७' से कम न हो;

(५) सेट-बैक—साधारणतया सेट-बैक पर ज़ोर नहीं दिया जायेगा जब तक कि सामने और पीछे के हवा और रोशनी के प्लान में बाधा न पड़ती हो।

(८) फर्शों के उपभोक्ता :

(एक) ग्राउंड फ्लोर—ट्रस्ट और नगरपालिका द्वारा स्वीकृत दुकानों और वर्कशापों के लिये ;

(दो) ऊपरी मंजिलें—केवल निवास के लिये।

(९) बिल्डिगों को पूरा करने की अवधि :
अधिकार मिलने के दिन से १२ महीने।

(१०) सेवायें :

पूरी सेवायें उपलब्ध की जायेंगी । काम प्रगति पर है ।

(११) प्लाटों के वितरण पर बंदिश :

एक व्यक्ति को एक से अधिक प्लाट न मिल सकेगा ।

(१२) दूसरी शर्तें :

प्रमाप बिड-टेंडर फार्म के—जिस पर सफल बिडर-टेंडर को नीलामी-टेंडर के समय हस्ताक्षर करने होंगे—और पट्टे के करार के लिये प्रमाप शाश्वत पट्टा फार्म के अनुसार । एक से अधिक प्लाट लेने वाली संस्थाओं द्वारा प्लाटों को मिलाने के सुझाव पर बोर्ड की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होगी ।

रेलगाड़ी के डिब्बे

†१७०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर मोतिहारी होकर मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच चलने वाले रेलगाड़ियों के डिब्बों की अपेक्षा दरभंगा होकर समस्तीपुर और नरकटियागंज के बीच प्रयुक्त किये जाने वाले डिब्बे अधिक पुराने हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब तक डिब्बों को काम में लिया जा सकता है तथा उनकी दशा अच्छी है तब तक उनके पुराने होने का प्रश्न नहीं उठता है । डिब्बों के वर्तमान अभाव को देखते हुए पुराने स्टाक को भी काम में लेना पड़ता है बशर्तेकि वह अच्छे और प्रयुक्त किये जाने की दशा में हों ।

पंजाब में मुर्गी-पालन का विकास

†१७१. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने उस राज्य में मुर्गी-पालन का विकास करने के लिये कुछ ऋण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस उद्देश्य के लिये अखिल भारत मुर्गी-पालन विकास योजना के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) भूतपूर्व पंजाब सरकार के लिये स्वीकृत ऋण ..... ४९,७०० रु०

भूतपूर्व पेप्सू सरकार के लिये स्वीकृत ऋण ..... ४७,२५० रु०

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में मत्स्य-पालन केन्द्र

†१७२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को राज्य में मछली-पालन के लिये कुछ सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६-५७ :

बीज-मत्स्य के साथ अवरुद्ध जल की योजना के लिये ३०,००० रु० का ऋण और १७,६२० रु० का अनुदान स्वीकार किया गया था ।

सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें

†१७३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री पंजाब में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सहायता से निष्पादित की जाने वाली सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं की स्वीकृति सूची सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : सभा-पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

रेलवे की शिकायत दर्ज करने की किताबें

१७४. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर से ५ नवम्बर, १९५६ तक पश्चिम रेलवे के रतलाम और भैरोंगढ़ स्टेशनों पर शिकायत दर्ज करने की किताबों में कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं, और उनका क्या परिणाम रहा; और

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रतलाम में छः शिकायतें और दो सुझाव और भैरोंगढ़ में एक सुझाव । इनकी छानबीन हो रही है ।

(ख) **रतलाम में दर्ज शिकायतें :**

(१) एक खोंचे वाले के खिलाफ़ खराब दूध देने की शिकायत ।

(२) उज्जैन और रतलाम के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों में रोशनी की ठीक व्यवस्था न होने की शिकायत ।

(३) २१-९-१९५६ को ३५२ अप मथुरा-बड़ौदा सवारी गाड़ी में पंखा खराब होने की शिकायत ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) रतलाम के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में एक यात्री को तंग करने के सम्बन्ध में एक पुलिस के सिपाही के ख़िलाफ शिकायत ।

(५) टिकट न बढ़ाने के सम्बन्ध में दालौदा के स्टेशन मास्टर और गाड़ी में चलने वाले रेल-कर्मचारियों के खिलाफ़ शिकायत ।

(६) एक रेलवे अफसर के ख़िलाफ शिकायत कि मिलने का समय देकर वह न मिले ।

सुझाव :

(१) रतलाम में एक सामिष खोंचे वाले की व्यवस्था; और

(२) रतलाम में एक सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था ।

भैंरोगढ़ में दर्ज :

शिकायतें ..... कोई नहीं ।

सुझाव :

(१) इस स्टेशन पर एक चाय की दुकान की व्यवस्था ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १९१–२१२

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१९२	अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन ...	१९१–९३
१९३	किसान संगठनों की ओर से अभ्यावेदन	१९४
१९४	गुडूर-रेनीगुन्टा लाइन	१९४–९५
१९६	छंटनी किये गये प्रतिरक्षा कर्मचारी	१९५–९७
१९७	रेलवे भाड़ा व्यवस्था जांच समिति	१९७
१९९	चीनी का आयात	१९७–९८
२००	गोआ और पाकिस्तान को चोरी-छिपे गेहूं भेजा जाना	१९८–२००
२०१	औषधीय जड़ी बूटियां	२००–०१
२०२	भागों को जोड़ कर माल-डिब्बे बनाने का संयन्त्र	२०१
२०४	एरणाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन पर श्रमिक	२०१–०२
२०८	इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति	२०२–०३
२१०-क	३१९ डाउन एक्सप्रेस का जनगाँव और रघुनाथपाली के बीच पटरी से उतर जाना	२०३–०६
२१२	दिल्ली सुधार प्रन्यास	२०६–०७
२१३	खाद्यान्न	२०७
२१६	पूर्व रेलवे के लिये कार्यालय भवन	२०७–०८
२१७	खड़गपुर दुर्घटना ...	२०८–०९
२१८	खुरदा रोड में विभागीय मुख्य कार्यालय	२०९–१०
२२०	मिट्टी विज्ञान समिति ...	२१०–११
२२१	लक्का द्वीप तथा अन्य द्वीपों का विकास	२११–१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर २१२–३८

तारांकित प्रश्न संख्या		
१९५	मीटर-गेज के डिब्बे बनाने का कारखाना	२१२
१९८	रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	२१२
२०३	दिल्ली के गिर्द वलय रेलवे	२१२–१३
२०५	गाड़ी का पटरी से उतरना	२१३
२०६	भाखड़ा नहरें	२१३
२०७	पंगुओं का पुनर्वास ...	२१३–१४
२०९	दिल्ली के लिये बृहत् योजना	२१४
२१०	कोयले का उद्धरण	२१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२११	बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता	२१५
२१४	खाद्यान्नों का निर्यात	२१५
२१५	सौराष्ट्र के रेलवे पुल	२१५
२१६	रेलवे के लिये अधोधारों का क्रय	२१५
२२२	तेल वाहक जहाज़	२१६
२२३	आसाम तेल सम्पर्क	२१६
२२४	रेल के ठंडे माल-डिब्बे	२१६
२२५	वस्तु भाड़े की दरों पर अधिभार	२१६–१७
२२६	इस्पात की ढलाई का कारखाना	२१७
२२७	बेजवाड़ा-नेल्लोर लाइन	२१७
२२८	चीनी के कारखाने	२१७–१८
२२९	बम्बई-बंगलौर-मद्रास राष्ट्रीय राजपथ	२१८
२३०	दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार	२१८
२३१	मलेरिया निरोधक आन्दोलन	२१८
२३२	तुंगभद्रा नदी पर सड़क का पुल	२१९
२३३	चीते	२१९
२३४	बिहार में चीनी के सहकारी कारखाने	२१९
२३५	खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नियन्त्रण	२२०
२३६	हीराकुड बांध परियोजना	२२०
२३७	रेल के ठंडे माल-डिब्बे ...	२२०
२३८	हावड़ा-बर्दवान लाइन पर बिजली लगाना	२२१
२३९	रेलवे अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग ...	२२१
२४०	पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न का संभरण ...	२२१–२२
२४१	राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड	२२२
२४२	वंशधरा परियोजना	२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४०	केरल राज्य में खेती की भूमि	२२२
१४१	केरल में सिंचाई परियोजनायें	२२२–२३
१४२	त्रावनकोर-कोचीन परिवहन विभाग	२२३
१४३	दूध का उत्पादन	२२३
१४४	कृषि सम्बन्धी आंकड़े	२२४
१४५	वन ...	२२४
१४६	प्रसूति अस्पताल ...	२२४–२५
१४७	गांवों में बिजली लगाना ...	२२५
१४८	पेप्सू की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमश:)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४९	रेलवे लाइनों का सामर्थ्य	२२६
१५०	नौवहन	२२६
१५१	मकान का किराया	२२६–२७
१५२	माल गाड़ियां	२२७
१५३	रेल के माल-डिब्बे ...	२२७
१५४	रेल के इंजन	२२८
१५५	स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन	२२८
१५६	नर्मदा पर पुल	२२८–२९
१५७	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	२२९
१५८	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	२२९
१५९	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	२२९
१६०	गौहाटी में जहाज़ श्रमिकों की हड़ताल	२३०
१६१	काजू की खेती	२३०
१६२	पंजाब में सड़कें ...	२३०
१६३	प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र ...	२३१
१६४	रेलगाड़ी का पटरी से उतरना ...	२३१
१६५	विद्युत् प्रकाश उपकरणों की चोरी	२३१
१६६	विदेशी पर्यटक	२३२
१६७	महिला चिकित्सक ...	२३२
१६८	भारतीय लाख उपकर समिति ...	२३२–३३
१६९	दिल्ली सुधार प्रन्यास	२३३–३६
१७०	रेलगाड़ी के डिब्बे ...	२३६
१७१	पंजाब में मुर्गी-पालन का विकास	२३६
१७२	पंजाब में मत्स्य-पालन केन्द्र ...	२३७
१७३	सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें	२३७
१७४	रेलवे की शिकायत दर्ज करने की किताबें	२३७–३८

M5LSD—190—30-1-58—GIPF.

खण्ड ९ — अंक ५
२० नवम्बर, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९–९०

बाट तथा माप मान विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १९०

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १९१
संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य १९१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव १९१–२३०

श्री श्रीनारायण दास १९२–९५
आचार्य कृपालानी १९५–९९
श्री ही० ना० मुकर्जी १९९–२०४
श्री फ्रेंक एन्थनी २०४–०७
डा० लंका सुन्दरम् २०७–०९
श्री कामत २०९–११
श्री हेडा २११–१२
श्री टेक चन्द २१२–१३
श्री उ० मू० त्रिवेदी २१३–१५
श्री जवाहरलाल नेहरू ... २१५–२९

दैनिक संक्षेपिका २३१–३२

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजासिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्दलाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व)
अग्रवाल, श्री होतीलाल (जिला जालौन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (जिला आगरा—पश्चिम)
अचलू, श्री सुकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अचिन्त राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री क० त० (क्रेंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही–पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा—पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई, मुंल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां)
अमृत कौर, राजकुमारी (मंडी–महासू)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री क० रा० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीता राम (जिला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)
आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इक़बाल सिंह, सरदार (फाज़िलका–सिरसा)
इब्राहीम, श्री अ० (रांची उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमल, श्री ल० (कड्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया उत्तर-पूर्व)
ईयाचरण, श्री इयानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम-जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगौड़)
कक्कन, श्री पु० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेंद्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम-जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
क्याल, श्री पारेशनाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, हिज हाइनेस महाराजा श्री बहादुर बीकानेर (बीकानेर–चूरू)
कासलीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
काचिरायर, श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काजमी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)
काजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव पाथ्रीकर (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री तालिब प्यारेलाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)
कृष्ण, श्री म० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र. श्री (जिला मथुरा–पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशव अय्यंगार, श्री न० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० ब० वि० (जिला सुल्तानपुर—दक्षिण)

क–(क्रमशः)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौट्टकपल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० ना० भा० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सतारा)
खां, श्री शाहनवाज़ (जिला मेरठ––उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)
खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडान-अकोला)
खोंगमेंन, श्रीमती बो० (स्वायत्त ज़िले––रक्षित––अनुसूचित आदिम-जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (जिला जौनपुर––पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज़ (जिला प्रतापगढ़––पश्चिम व जिला रायबरेली––पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंचमहल व बड़ोदा–पूर्व)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर––उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरी विष्णु (पूना––मध्य)
गाडिलिंगन गौड, श्री (कुरनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गिडवानी, श्री चौइथराम परताबराय (थाना)
गिरि, श्री व० वे० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी––पूर्व)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता––दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री म० शि० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (शांतिपुर)
गोपालन, श्री अ० क० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी–महासू––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर––दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित––आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोतम, श्री (बालाघाट)
गोंडर, श्री क० पैरियास्वामी (इरोड)
गोंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पेरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री नि० चं० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (तिरुबल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री भी० ल० (बेतूल)
चाड़क, ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमला प्रसाद (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चेट्टियार, श्री ति० सु० ओबिनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशी लाल (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी पूर्व—रक्षित) अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री च० रा० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री (टिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री रायजी, श्रीमती (बम्बई–उपनगर)
जयसूर्य, डा० न० म० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर–सवाई-माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेनवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकनाल—पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल ब० हु० (जिला हरदोई—उत्तर पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण)
जैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफरनगर—उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरन (जिला बिजनौर—दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच—पश्चिम)

ज—(क्रमशः)

जोशी. श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल-सीधी)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री नन्द लाल (इन्दौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि—दक्षिण)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद—पश्चिम)
टेकचन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूलसिंहजी भ० (कैरा—उत्तर)
डामर, श्री अमर सिंह सावजी (झबुआ–रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन—दक्षिण)
तिवारी, पंडित ब० ला० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानू सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया टीकमगढ़)
तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (जिला कानपुर—उत्तर व जिला फर्रुखाबाद—दक्षिण)
तुलसीदास किलाचन्द, श्री (मेहसाना पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नन्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व जिला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर—दक्षिण)
त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री (बारगढ़)
थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थामस, श्री अ० व० (श्रीबैकुंठम्)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण—पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दामोदरन, श्री नेत्तूर प० (तेलिचेरी)
दामोदरन, श्री गो० रं० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव—उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री ब० (जाजपुर-क्योंझर)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा—पूर्व)
दीवान, श्री राघवेंद्रराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री उदय शंकर (जिला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधरलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबसा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री र० वि० (जिला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री श० श० (श्रीविल्लीपुत्तूर)

न—(क्रमशः)

नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
नथवानी, श्री नरेन्द्र (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री क० आनन्द (मयूरम्)
नरसिंहम, श्री च० रा० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री श० व० ल० (गुंटूर)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजहमुंद्री)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वें० प० (चिरयिन्कील)
नायर, श्री च० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
नेवटिया, श्री रा० प्र० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी पूर्व)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)
नेसामनी, श्री अ० (नागरकोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ—मध्य)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंटाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित—आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंचमहल व बड़ौदा—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री (भीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, श्री च० द० (जिला नैनीताल व जिला अल्मोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर)
पाण्डे, श्री बद्रीदत्त (जिला अल्मोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री सा० का० (बम्बई नगर—दक्षिण)
पाटिल, श्री पं० रा० कानावडे (अहमदाबाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड़ (बेलगाम—दक्षिण)
पारिख, डा० जयंती लाल नरभेरम (झालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना—पूर्व)

प--(क्रमशः)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (आल्लप्पि)
पोकर साहेब, श्री (मलप्पुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायूं--पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बरूआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड-हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फीरोजपुर-लुधियाना--रक्षित अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा रायगढ़--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री स० चि० (इरोड--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम, श्री स० (मदुरै)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंदशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर--दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर--पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा--पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम)
बूवराघस्वामी, श्री वे० (पैरम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० अ० था० (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोगावत, श्री उ० रा० (अहमदनगर--दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री (मानभूम--उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया--पूर्व)
ब्रह्मचौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भक्त दर्शन, श्री (जिला गढ़वाल--पूर्व व जिला मुरादाबाद--उत्तर पूर्व)
भगत, श्री बा० रा० (पटना व शाहाबाद)

भ—(क्रमशः)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी, श्री खीमजी (कच्छ—पश्चिम)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुक्ट बिहारीलाल (अजमेर—दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भौंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नगिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बाकुंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (दक्षिण कन्नड़—उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महता, श्री भजहरि (मानभूम—दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभम दक्षिण व धालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मातन, श्री (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा अ० (पूना—दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (जिला गोंडा—पूर्व व जिला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)
माबलंकर, श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया—उत्तर)

म–(क्रमशः)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा––उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (जिला देवरिया––दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर––उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ (कलकत्ता––उत्तर-पूर्व)
मुक्णे, श्री य० मा० (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
मत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
मुनिस्वामी, श्री (टिंडीवनम्)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वान्दिवाश)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया––पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर––झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद शफी, चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)
मूर्त्ति, श्री ब० स० (एलुरु)
मेनन, श्री दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री जसवन्तराव (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवंतराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मैत्र, श्री मोहिल कुमार (कलकत्ता––उत्तर-पश्चिम)
मैथ्यू, श्री (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम्)
मोरे, श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैय्या, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला बनारस––मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (जिला एटा––उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं––पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (जिला आगरा––पूर्व)
रजमी, श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सीधी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ्जुर (जिला मुरादाबाद––मध्य)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

र--(क्रमशः)

राघवाचारी, श्री (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पिसुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री न० (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राजबहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पा० ना० (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
रामकृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामचन्द्र, डा० दो० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हजारी बाग--पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (जिला बस्ती--मध्य-पर्व व जिला गोरखपुर--पश्चिम)
राम शरण, श्री (जिला मुरादाबाद--पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री न० (पार्वतीपुरम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद--दक्षिण)
रामस्वामी, श्री म० दो० (अरु पुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री सै० वें० (सेलम)
रामस्वामी, श्री मु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली--पश्चिम व जिला हरदोई--दक्षिण-पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री विश्व नाथ (जिला देवरिया--पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
राव, श्री कामयाला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजहमुंद्री--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंदू सुब्बा (एलरू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम)
राव, श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (बारगंल)
राव, श्री बो० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री वें० शिवा (दक्षिण कन्नड़--दक्षिण)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० चे० वें० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, विशप जान (नामनिर्देशित--अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीरकिशोर (कटक)
रेड्डी, श्री जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (चितूर)

र—(क्रमशः)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर—लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री न० मा० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला, जालौन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बूलाकी राम (जिला हरदोई-उत्तर—पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री वि० बि० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री रामजी (जिला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथरास, श्री क० मु० (पुदुकोटै)
बाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री ज० न० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वो० (म्यूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन्, श्री र० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री र० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मुलदास, भूधर दास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री कू० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपाडियन, श्री भा० (शंकर-नायिनारकोविल)
शकुन्तला नायर, श्रीमती (जिला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (जिला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (जिला मरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)

श—(क्रमशः)

शर्मा, पंडित बाल कृष्ण (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिंड)
शास्त्री, पंडित अलगू राय (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम)
शास्त्री, श्री राजा राम (जिला कानपुर—मध्य)
शाह, श्रीमती कमलेन्दुमति (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शाह, श्री रायचन्द भाई न० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्गबस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

स

संगण्णा, श्री (रायगढ़ फूलबनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (जिला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेन्द्र नाथ (गौहाटी)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहू, श्री भागवत (बालासौर)
साहू, श्री रामश्वेर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (जिला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर—सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडिकेश्वर शरणसिंहजू (सरगुजा-रायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (जिला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
सिंह, श्री निदेश प्रताप (जिला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन—मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरनगर—उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (जिला गाजीपुर पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)

स—(क्रमशः)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (जिला गाजीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री ह० (हसन चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सा० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारी बाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारी बाग—पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर—उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजय नगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश्चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना—भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री अ० रा० (चम्बा-सिरमौर)
सय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री न० (कुर्ग)
सोमानी, श्री ग० घ० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्त्ति (कुष्टगो)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंरादा, श्री बेंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (संथाल परगना, व हजारी बाग—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (जिला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति-तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री राघवाचारी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगील
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देव कान्त बरुआ
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्य नारायण सिन्हा
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देव कान्त बरुआ
श्री वेंकटरामन्
श्री टकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
श्री कृपालानी
श्री शं० शां० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमी शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैडी लक्ष्मैया
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री फूलसिंहजी भ० डाभी
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री राम दास
श्री उ० मू० त्रिवेदी
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासन समिति

श्री राघवाचारी (सभापति)
श्री जसवन्तराज मेहता
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री दामोदर मेनन
श्री बैरो
श्री अनिरुद्ध सिंह

आश्वासन समिति—(क्रमश:)

श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इक़बाल सिंह
श्री बसन्त कुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वेंकटरामन्
पंडित लिंगराज मिश्र

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री अच्युतन
श्री मोहन लाल धुमिया
श्री मु० चं० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जाशा
श्री रामराज जजवाडे
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पां० ना० राजभोज
श्री पा० मुव्वा राव
श्री आनन्द चन्द
डा० रामा राव
श्री राम जी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामीराजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प्रा० नथवानी
श्री राधेश्याम राम कुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री न० राचय्या
श्री रामचन्द्र रेड्डी
श्री जयपाल सिंह
श्री त० ब० विट्ठल राव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--(क्रमशः)

श्री माधव रेड्डी
श्री नी० श्रीकान्तन नायर
श्री रायसम शेषगिरि राव

अधीनस्थ विधान समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (सभापति)
श्री से० वें० रामस्वामी
श्री न० मा० लिंगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्द लाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेम राज
श्री सिद्धनंजप्पा
डा० कृष्णास्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री ब० स० मूर्त्ति
श्रीमती खोंगमेन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री अमर नाथ विद्यालंकार
श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० रं० कृष्ण
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री पो० सुब्बा राव
श्री पां० ना० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री चं० रा० नरसिंहन्
श्री रघुवीर सहाय
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री अब्दुस्सत्तार

प्राक्कलन समिति--(क्रमशः)

श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क
श्री न० राचय्या
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगलगिरि नानादास
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री गाडिलिंगन गौड़
श्री जसवन्तराय मेहता
श्री बेरो
श्री चौइथराम परताबराय गिडवानी

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० बा० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
आचार्य कृपालानी
श्री उ० च० पटनायक
डा० कृष्णास्वामी

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री रा० चं० शर्मा
श्री कौट्टुकपल्ली
श्री दि० नां० सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना

आवास समिति--(क्रमशः)

श्री भू० ना० मिश्र
श्री काचिरोयर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री क० आनन्द नम्बियार
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह (सभापति)
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कोले
श्री गो० ह० देशपांडे
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

श्री हि० च० दासप्पा
श्री नारायण
श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री व्यं० कृ० ढगे

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री वें० ना० तिवारी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री उ० च० पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री ही० ना० मुकर्जी

राज्य-सभा

श्री रामधारी सिंह दिनकर
श्री थियोडोर बोदरा
श्रीमती लीलावती मुन्शी

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (सभापति)
श्री कृ० गु० देशमुख
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री कमल कुमार बसु
श्री बूवराघस्वामी
श्री जयपाल सिंह
श्री निवारण चन्द्र लश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधेलाल व्यास
श्री मात्तन
श्री कृपालानी
श्रीमती शकुन्तला नायर

राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री र० म० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्याम धर मिश्रा
श्री प्रे० थो० लेडवा
श्री विमल घोष
श्री ज० वी० क० वल्लभराव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री केशवैय्यंगार
श्री शिवराम रंगो राने
श्री घमण्डी लाल बंसल
श्री खुशी राम शर्मा
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कमल कुमार बसु
श्री राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणु शक्ति विभाग के भी भार साधक—श्री जवाहर-लाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
गृह-कार्य मंत्री—पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त
भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री—श्री मुरारजी देसाई
संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर
योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा
प्रतिरक्षा मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू
वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री विश्वास
रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह
उत्पादन मंत्री—श्री क० च० रड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन
श्रम मंत्री—श्री खंडूभाई देसाई
बिना विभाग के मंत्री—श्री कृष्ण मेनन

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री (किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
प्रतिरक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी
सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० केसकर
व्यापार मंत्री—श्री करमरकर
कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सय्यद महमूद
विधि-कार्य मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर
प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० दे० मालवीय
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री म० च० शाह
राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गह
पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना
उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
संचार मंत्रालय में मंत्री—श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री—श्री दातार
भारी उद्योग मंत्री—श्री म० म० शाह
सामदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार ड

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री––सरदार मजीठिया
श्रम उपमंत्री––श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री––श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री––श्रीमती चन्द्रशेखर
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री––श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य उपमंत्री ––श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री––श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री––श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री––श्री श्याम नन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री––डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री––श्री बली राम भगत
शिक्षा उपमंत्री––डा० म० मो० दास
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री शाहनवाज़ खां

सभासचिवों की सूची

वैदेशिक-कार्य मंत्री की सभासचिव––श्रीमती लक्ष्मी मेनन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव––श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका
उत्पादन मंत्री के सभासचिव––श्री राजाराम गिरिधरलाल दुबे
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव––श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव––श्री राजगोपालन
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव––श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

लोक-सभा

मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

---

१२ मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावली) नियमों में संशोधन

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : मैं श्री पाटस्कर की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७७५, दिनांक ६ अगस्त, १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर पुनः रखता हूं जिसमें लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन किया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—३९०/५६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इन नियमों की प्रतिलिपियां सदस्यों में परिचालित की जानी चाहियें ताकि वे संशोधनों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना दे सकें।

†**श्री विश्वास** : वे सभा पटल पर रख दी गई हैं तथा सदस्य चाहें तो इन नियमों को देख सकते हैं। इस बारे में, कि क्या वे सदस्यों में परिचालित की जायेंगी या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह बात सामान्य व्यवहार पर निर्भर करती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि क्या ७५० प्रतिलिपियां उपलब्ध भी हैं या नहीं। यदि कोई सदस्य संशोधनों की पूर्व सूचना देना चाहें तो मैं उन्हें एक प्रतिलिपि उपलब्ध करने का प्रयत्न करूंगा। सूचना कार्यालय में प्रतिलिपियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कर दी जायेंगी।

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकायें) नियम

†**श्री विश्वास** : मैं श्री पाटस्कर की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री विश्वास]

याचिकायें) नियम, १९५६, जो अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९४३, दिनांक ३० अगस्त, १९५६ में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा पटल पर पुनः रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--३७७/५६]**

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावली की तैयारी) नियमों में संशोधन

†**श्री विश्वास** : मैं श्री पाटस्कर की ओर से लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम संख्या ३५५ के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ की, जो संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३१७, दिनांक ९ अक्तूबर, १९५६ में प्रकाशित हुये थे, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--४६९/५६]**

मैं श्री पाटस्कर की ओर से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३७३, दिनांक १७ अक्तूबर, १९५६ की एक प्रति जिसमें लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन किये गये हैं, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--४७०/५६]**

जीवन-बीमा निगम नियम

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं, श्री म० च० शाह की ओर से, जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ की, जो अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८८९-ए, दिनांक २८ अगस्त, १९५६ में प्रकाशित हुये थे, एक प्रति सभा पटल पर पुनः रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--३६०/५६]**

औद्योगिक वित्त निगम का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा आस्तियों, दायिताओं लाभ हानि सम्बन्धी लेखे

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मण्डल के ३० जून, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में आठवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, जिसके साथ आस्तियों और दायित्वों तथा लाभ हानि लेखा सम्बन्धी एक विवरण भी है, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस---४७१/५६]**

काफी उद्योग सम्बन्धी बागान जांच आयोग का प्रतिवेदन

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं सभा पटल पर बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन, १९५६---भाग २ काफी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस---४९२/५६]**

बाट तथा माप मान विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं बाटों तथा माप के मान को दशमिक प्रणाली के आधार पर स्थापित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त-समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

साक्ष्य

†**श्री राघवाचारी** : मैं सभा पटल पर उस साक्ष्य को भी रखता हूं जो मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के सामने दिया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा १९ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

> "वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये" ।

श्री श्रीनारायण दास अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैंने कल संशोधन की सूचना दी थी । उसे मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य कल बोल चुके हैं उन्हें उस संशोधन पर कुछ कहना हो तो उनका क्या होगा ? अब से यह नियम रहेगा । जहां तक कई खण्डों वाले विधेयक का सम्बन्ध है संशोधन यदि वे विधेयक के खण्डों से भिन्न अथवा अलग हों तो एक दिन पूर्व आ जाने चाहियें । परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव के लिये जिस पर चर्चा के लिये दो दिन निर्धारित हैं और जिस पर विभिन्न दलों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं, अब यदि इस अवस्था में मैं इस के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देता हूं तो वे इस संशोधन का क्या करेंगे ?

†**श्री कामत** : प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का नोटिस शनिवार को दिया गया था ····

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को अपने-अपने प्रस्तावों के सम्बन्ध में स्पष्ट होना चाहिये । यदि माननीय सदस्य कल यह बात कहते कि उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समय नहीं मिला, तो मैं नियमों के बावजूद अपवाद रूप में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता ।

†**श्री कामत** : जब कि पंचवर्षीय योजना पर वाद-विवाद चल रहा था तो मैंने एक दिन पूर्व, अपना संशोधन दिया था और उसे स्वीकार किया गया था और उस पर विचार भी हुआ था । यदि आप मेरे संशोधन की अनुमति नहीं देंगे तो दूसरा संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरे संशोधन के लिये भी यही कठिनाई है । आगे से यह प्रक्रिया नहीं चलेगी परन्तु आज मैं संशोधनों की अनुमति दे रहा हूं । मैं श्री कामत और श्री कासलीवाल के संशोधनों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देता हूं ।

श्री कामत ने संशोधन संख्या १ प्रस्तुत किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये अर्थात :

"This House having considered the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto, approves of the said policy."

["यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करके उक्त नीति का अनुमोदन करती है ।"]

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन सदन के समक्ष है ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : अध्यक्ष महोदय, कल जब यह सदन संध्या समय उठा उस समय मैं कह रहा था कि आज दुनिया में एक ऐसी नाजुक अवस्था पैदा हो गई है कि जिसमें जो सैनिक रूप से कमजोर देश हैं उनकी स्वतंत्रता पर खतरा उपस्थित हो गया है । मैंने कल यह भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में जब से स्वेज समस्या के सम्बन्ध में कुछ मौलिक सिद्धांत माने गये और कहा गया कि स्वेज समस्या से सम्बन्धित जो दूसरे राष्ट्र हैं वे बैठ कर इन सिद्धान्तों पर स्वेज समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें, तो इस बात का निश्चय तो होना ही था । इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई होनी बाकी थी, उसी समय इजराइल ने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और उसके साथ ही एक दिन के बाद ब्रिटेन ने और फ्रांस ने सामूहिक रूप में मिस्र पर चढ़ाई कर दी ।

बिना उत्तेजना के जो स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता पर आघात हुआ है उससे एशिया और अफ्रीका में हलचल सी मच गई है । अब सवाल यह पैदा हो गया है कि विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिये जो समस्यायें समय-समय पर उठ खड़ी होती हैं उनको सुलझाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी और इसमें दुनिया के प्रमुख राष्ट्र भी शामिल हैं क्या वह व्यर्थ ही हुई थी और क्या प्रमुख राष्ट्रों को अब भी यह अधिकार है कि वे बिना उत्तेजना के छोटे छोटे देशों पर चढ़ाई कर दें और उनकी स्वतंत्रता को आघात पहुंचायें या उसको मर्यादित करें । अगर ऐसी बात है तो छोटे छोटे देशों की स्वतंत्रता या मर्यादा की रक्षा कैसे हो सकेगी । इसलिये इस गम्भीर समय में जब लोग शान्ति चाहते हैं जब कोई गम्भीर समस्या उपस्थित हो जाती है उसके बारे में क्या रुख अपनाया जाये, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है । हिन्दुस्तान ने तो शुरू से ही शान्ति बनाये रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया है । शुरू से ही अगर हम हिन्दुस्तान की जो वैदेशिक नीति रही है उसको देखें तो हमें पता चलेगा कि जब से हमने आज़ादी प्राप्त की है और जिस वैदेशिक नीति पर चलने का हमने निर्णय किया है, वह यह है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और जैसे जैसे कोई समस्या उत्पन्न होगी, उस पर उस समय जैसा हम उचित समझेंगे कार्रवाई करेंगे । हमारी इस नीति को देखकर विभिन्न गुट वाले देशों ने हमारी तरफ आशंका की नज़र से देखा । किसी भी गुट का हम पर विश्वास नहीं था । कोई भी गुट यह नहीं समझता था कि भारत किस का मित्र है । जैसे जैसे समस्याएं आती गईं और उनके बारे में जैसा-जैसा हमने रुख ग्रहण किया उसको देखकर अमरीका ने हम पर सन्देह की नज़र से देखा । कभी ऐसा समय भी आ.ा जब अंग्रेजों ने भी हमको सन्देह की नज़र से देखा और रूस जोकि हमसे और भी ज्यादा दूर था और जिसके साथ हमारा सम्पर्क नहीं के बराबर था, उसने तो हमेशा ही हमें सन्देह की दृष्टि से देखा । ऐसी स्थिति में आज जो हमारी वैदेशिक नीति है उसको अगर दूसरे देश सन्देह की नज़र से देखते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । आज दुनिया में बहुत थोड़े ऐसे देश हैं जो किसी न किसी तरह से इस या उस गुट से जुड़े हुये नहीं हैं और हर दृष्टि से स्वतंत्र हैं । जब हम यह कहते हैं कि हमारी नीति तटस्थता की है या क्रिया-शील तटस्थता की है तो किसी भी दूसरे देश को विश्वास नहीं होता है । कभी

समय आता है जब अमरीका समझता है कि हम रूसी गुट में चले गये हैं और कभी ऐसा समय आता है कि जब रूस यह समझता है कि हम साम्राज्यवादी देशों के गुट में चले गये हैं ।

अब भी ऐसी ही विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है । मिस्र पर जब इंग्लैंड और फ्रांस ने चढ़ाई की तो हमने उसका बहुत ज़ोरदार शब्दों में विरोध किया । इसी तरह से हंगरी में जब ऐसी ही घटनायें घटीं तो हंगरी ने भी जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है जिसका प्रतिनिधि मण्डल वहां मौजूद है उसके सामने एक समस्या पैदा हुई और उसने कहा कि हंगरी में ऐसी घटनायें घट रही हैं जिनमें कि रूस हस्तक्षेप कर रहा है, दस्तन्दाज़ी कर रहा है, उसके विचार में हां में हां मिलाकर जब हमने उसी तरह से जिस तरह से हमने मिस्र में आक्रमण का विरोध किया उन्हीं शब्दों में और उसी तरीके से विरोध नहीं किया तो आज हमारे देश के अन्दर और बाहर भी एक तहलका सा मच गया है कि जिस नैतिक स्तर पर हिन्दुस्तान पहुंच गया था या जो नैतिक स्थिति उसने अपनी बनाई थी और यह घोषणा की थी कि वह किसी भी देश द्वारा किसी भी दूसरे देश में हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं करेगा और उसका डटकर विरोध करेगा, उससे वह हट गया है । हिन्दुस्तान के अखबारों को ही नहीं बल्कि विदेशी अखबारों को भी देखने से यह पता चलता है कि इस बात को लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारे हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि मण्डल ने तथा प्रतिनिधि ने इटली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जो विचार व्यक्त किये या जिस तरीके से वोटिंग (मतदान) में भाग लिया उसको आज तिल का ताड़ बनाकर हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है । हमारी एक निरपेक्ष नीति है लेकिन फिर भी आज कहा जाता है कि भारत जिस निर्पेक्ष नीति की दुहाई देता है उससे वह आज हट गया है और इसका कारण यह है कि भारत के प्रधान मंत्री ने वैसे ही शब्दों में, वैसे ही तरीके पर और वैसे ही समय पर जैसा रुख मिस्र के बारे में अपनाया वैसा हंगरी के बारे में नहीं अपनाया और उस समस्या पर उतना प्रकाश नहीं डाला । इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न की ओर ध्यान खींचते हुये हिन्दुस्तान द्वारा अपनाई गई नीति की कटु समालोचना की । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण द्वारा सारे वातावरण को एकदम साफ कर दिया है और जो थोड़ा बहुत सन्देह रह भी गया था वह भी दूर हो गया है । फिर भी हमारे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के हैं, हमारी नीति की कटु आलोचना की है । मैंने उनकी स्पीच को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसे मैंने पढ़ा भी है । मैं समझता हूं हमारा जो रवैया रहा है वह ठीक ही रहा है । संयुक्त राष्ट्रसंघ में हंगरी का प्रतिनिधि मौजूद था और उसने वहां की स्थिति के बारे में अपनी सरकार का पूरा विवरण रखा और उस समय थोड़ी सी सूचना को लेते ही अगर हम वही रुख अपनाते जोकि हमने मिस्र के बारे में अपनाया था तो कोई भी दोषारोपण हम पर नहीं हो सकता था । यह सब जानते हैं और मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य भी जानते हैं कि हमारी नीति बराबर यह रही है कि किसी भी देश की स्वतंत्रता को मर्यादित करने का यदि कोई देश प्रयत्न करता है या कोई किसी पर आक्रमण करता है तो चाहे वह किसी भी गुट का देश हो, हम उसका घोर विरोध करते हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सामने यह कहा था कि हम किसी भी देश की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आक्षेप होते नहीं देख सकते हैं । इस वास्ते यह कहना कि चूंकि हमने मिस्र पर आक्रमण का ज़ोरों से विरोध किया लेकिन हंगरी के बारे में क्यों ऐसा नहीं किया, एक लचर दलील है और ध्यान देने की नहीं है ।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पश्चिम वाले हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं वहां के अखबारों में भारत के रवैये पर जो उसने हंगरी के मामले में अपनाया है कटु समालोचना हुई है । मेरे ख्याल में जो स्थान भारत ने विश्व में प्राप्त कर लिया है, जिस ढंग से वह समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है, वह उनको कुछ हद तक खटकता है । खैर, इसमें मैं नहीं जाना चाहता । समय-समय पर हमारे प्रधान मंत्री ने वैदेशिक नीति के सम्बन्ध

[श्री श्रीनारायण दास]

में जो वक्तव्य दिये हैं तथा नीति निर्धारित की है और इस बहस को आरम्भ करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण किया है तथा उनको सुलझाने की जो दवाई बताई है, जो उपाय बताया है तथा दुनिया में शान्ति बनाये रखने के जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, मैं समझता हूं इस सदन का एक-एक माननीय सदस्य उससे सहमत है। मैं तो समझता हूं कि इस सदन के क्या बाहर के जो स्वतंत्र और निरपेक्ष या स्वतंत्र विचार रखने वाले लोग हैं जो राजनीतिज्ञ हैं वे भी इसका अवश्य समर्थन करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं इतना कह कर यह कहना चाहता हूं कि आज विश्व की शान्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम संयुक्त संघ को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। यह बात स्पष्ट देखने में आई है कि जब मिस्र की समस्या सुरक्षा परिषद में पेश हुई तो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने वीटो का प्रयोग करके इसको वहीं खत्म कर दिया। साथ ही इन देशों ने जो रवैया संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया वह ऐसे बड़े देशों के लिये, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माण में काफी सहायक हुये हैं, शोभा का विषय नहीं था। संयुक्त राज्य अमरीका ने कुछ निश्चित सी नीति का पालन किया। नवम्बर के पहले सप्ताह में संयुक्त राष्ट्रसंघ में जब मिस्र की समस्या पेश हुई उसके सम्बन्ध में उसने जो रुख अखत्यार किया वह अवश्य ही कुछ सुन्दर भविष्य का परिचायक था। हमको उम्मीद थी कि साम्यवादी देश भी ऐसा ही रुख अखत्यार करेंगे जैसा की अमरीका ने किया। लेकिन मालूम नहीं कि कौन-सी ऐसी परिस्थितियां हंगरी में पैदा हुईं कि वे उसमें उलझ गये और जो आशा उनसे दुनिया के दूसरे मुल्कों को थी वह पूरी नहीं हुई। फिर भी मैं यह समझता हूं कि वे देश जो सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जो छोटे राष्ट्र हैं, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा, उनकी मर्यादा की रक्षा तथा उनके अस्तित्व की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वह संयुक्त राष्ट्रसंघ ही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस काम में बड़े-बड़े राष्ट्रों की सहायता लें। लेकिन बड़े-बड़े राष्ट्र जो आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं, उनके जो निहित स्वार्थ हैं उनको जब कभी धक्का लगता है तो वे तमाम सिद्धान्तों को ताक पर रख कर उछल कर मैदान में आ जाते हैं। उनके इस रवैये की ओर खयाल किये बिना हमारा यह कर्तव्य है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को जीवित रखें, उसकी शैक्ति को बढ़ायें तथा उसके निर्णयों में पूरी तरह से योगदान दें और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिये जो कुछ भी मांग हम से की जाये, उसको हम पूरा करें। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्णय हुआ है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम संयुक्त राष्ट्रसंघ को पूरा मज़बूत बना सकेंगे, तो इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकेगा।

जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, आजकल वह एक गुट का सदस्य है। हो सकता है कि हमारे रवैये से अमरीका को पूरा संतोष न हो। यह भी हो सकता है कि वह हमको सन्देह की नज़र से देखे, किन्तु यह एक तथ्य है कि अमरीका हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ रहा है। उसने शुरू से लेकर आज तक उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया है। लेकिन यह एक स्वाभाविक बात है कि जब एक गुट बन जाता है और उस गुट के किसी सदस्य के स्वार्थ पर आघात होता है, तो दूसरे सदस्यों को उसके विषय में एक विशेष प्रकार का रुख अपनाना पड़ता है और एक विशेष प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ती है। यही अवस्था आज अमरीका की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे प्रधान मंत्री जब अमरीका जायेंगे, तो वहां हिन्दुस्तान, अमरीका और दूसरे बड़े-बड़े राष्ट्र, जो कि उपनिवेशवाद के खिलाफ हैं, जिनके पास न कोई उपनिवेश है और जो न कोई उपनिवेश रखना चाहते हैं, मिल कर एक ऐसी नीति का निर्धारण करेंगे, जिससे मिस्र या हंगरी में जो समस्या उपस्थित हुई है, उसको हल करने में सहायता मिले।

कल हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि अब समय आ गया है कि हिन्दुस्तान कामनवैल्थ आफ नेशन्ज़ से हट जाय। मैं समझता हूं कि हमने कामनवैल्थ में रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से, बिना किसी हिचक के विभिन्न वैदेशिक समस्याओं पर जो रुख ठीक समझा है, वह रुख अख्तियार

किया है। ऐसी परिस्थिति में बिना सोचे-समझे, सिर्फ इसलिये कि अंग्रेज़ों ने मिस्र पर आक्रमण किया है और हमने उस का विरोध किया है, एकाएक कामनवैल्थ से निकल जाना उचित नहीं है। ऐसा निर्णय करना तो वैसे ही होगा, जैसे कि किसी गांव में दो आदमियों में झगड़ा हो और उसके बाद वे बोल-चाल खान-पान बन्द कर दें और पूर्णरूप से सम्बन्ध-विच्छेद कर लें। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में एकाएक इस प्रकार का निर्णय कर लेना जल्दवाज़ी होगी। इस प्रश्न पर हम को ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। जब हम समझें कि इस संगठन में रहने से हमारे सिद्धान्तों, हमारी प्रतिष्ठा और काम की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, तब हम उसको छोड़ने का निर्णय कर सकते हैं। फिलहाल हमको मिस्र पर अंग्रेज़ों की चढ़ाई का विरोध करना चाहिये और कामनवैल्थ (राष्ट्रमण्डल) में रह कर ही उनको ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति खराब है, और यह खराब रहेगी ही, क्योंकि जो समय-समय पर स्थिति को बिगाड़ते हैं, वही फिर वक्तव्य देने लगते हैं। और यह कौन है ? ये वही तीन शक्तियां हैं जो सुरक्षा परिषद् की सदस्य हैं और जिनको वीटो की शक्ति भी प्राप्त है। इसलिये स्वाभाविक है कि सैनिक दृष्टि से कमज़ोर देश इनकी निन्दा करते हैं। परन्तु हमें यह देखना है कि क्या हम इस प्रकार की निन्दा करने की स्थिति में हैं। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमें अपने रवैये का भी विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

परन्तु इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि विदेशों में स्थित हमारे प्रतिनिधि हमें वहां हो रही घटनाओं की ठीक ढंग से सूचना नहीं दे रहे हैं। साधारणतया लोगों का यह विचार है कि हमारे विदेशों में स्थित प्रतिनिधि जिस-जिस देश में भी है वहां की स्थिति का अन्दाजा लगाने में असफल रहे हैं, अन्यथा इंग्लैंड में नियुक्त हमारे उच्चायुक्त इलाहाबाद में छुट्टी कैसे मनाते रहते, और मिस्र पर आक्रमण होने के बावजूद भी उनकी छुट्टी की अवधि कम नहीं की गई। मिस्र में नियुक्त हमारे प्रतिनिधि हैदराबाद में बेखबर पड़े हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि क्या इतने बड़े विश्व में किसको इसका पता था ? क्या २४ घंटे पूर्व भी किसी को आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही का कोई ज्ञान था ? वह हमारे प्रतिनिधियों की आलोचना कर रहे हैं, क्या उन्हें इसका पता था ?

†**आचार्य कृपालानी** : मैंने यही कहा कि हमारे प्रतिनिधि वहां के वातावरण का पता लगाने के लिये ही तो नियुक्त किये जाते हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : यहां तक कि अमेरिका में नियुक्त प्रतिनिधि को भी इसका पता नहीं चला। (**अन्तर्बाधा**)

†**आचार्य कृपालानी** : मुझे अपने प्रतिनिधियों के छुट्टी जाने पर आपत्ति नहीं है परन्तु उन्हें इस देश की गतिविधियों का पता होना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में दूसरे किसी देश के प्रतिनिधियों की अपेक्षा हमारे प्रतिनिधियों को बहुत अधिक जानकारी है।

†**श्री कामत** : सारों को नहीं, परन्तु कुछ को।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**आचार्य कृपालानी :** मुझे इसमें सन्देह नहीं। अन्य देशों के सम्बन्ध में भीतरी और बाहरी सभी बातों को जानने वाले श्री कृष्णा मेनन भी कोयम्बटूर में थे और उन्होंने समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों से एक भेंट में कहा कि हंगरी की गड़बड़ी को अहमदाबाद के दंगे के समान ही समझा जाना चाहिये। यह है ढंग, जिससे हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक घटनाओं को नापते हैं। हमें बतया गया कि हमारे प्रतिनिधि इन समस्त दुखद घटनाओं के समय बुडापेस्ट में ही थे। परन्तु उनका विवरण और जो विवरण हमारे प्रधान मंत्री को श्री बुलगानिन से प्राप्त हुआ वह एक जैसा नहीं है। हमने हंगरी की स्वतन्त्रता की चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री महोदय ने उस समय जो कोई भी हंगरी का प्रधान मंत्री था उससे उनके देश में हो रही घटनाओं के बारे में कोई सूचना मांगी थी क्योंकि हम उस देश को स्वतन्त्र मानते हैं और उसके लिये हमने संयुक्त राष्ट्र में काफी कुछ किया है, इसलिये उसके सम्बन्ध में हमें अपने साधनों से सूचना प्राप्त करनी चाहिये थी। मैं अनुभव करता हूं कि हमारे कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधि अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इससे भी यह स्पष्ट है कि तीन वर्ष पूर्व हमारे प्रधान मंत्री ने स्टालिन की स्मृति में श्रद्धाँजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक शांतिप्रिय व्यक्ति कहा था आज यह सभी धारणायें ग़लत सिद्ध हो रही हैं।

मैं इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा किये गये मिस्र पर आक्रमण की निन्दा करने में प्रधान मंत्री के साथ हूं और मिस्र की जनता से मुझे पूरी सहानुभूति है। यह तो केवल पुराने साम्राज्यवाद की गूंज है इजराइल का आक्रमण भी हिंसापूर्ण है। इससे इंग्लैंड और फ्रांस को बहाना मिल गया और इससे उसने अपनी ही हानि की। अच्छा हो कि वह संयुक्त राष्ट्र का कहना मान ले, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना के बिना उसका अस्तित्व ही खतरे में रहेगा।

इजराइल के सम्बन्ध में यह कह देना भी अनावश्यक नहीं होगा कि स्वयं उसकी स्थापना ही एक बहुत बड़ा अन्याय थी। इसने अरब राष्ट्रों को नाराज किया और शरणार्थी समस्या पैदा कर दी। ठीक यही था कि हम इसे मान्यता न देते, परन्तु हमने उसे मान्यता दी और अब तो उसका अस्तित्व एक सर्व-मान्य सत्य है। हमने उसे मान्यता तो दी परन्तु उससे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये हालांकि उससे कम महत्वपूर्ण देशों से हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध हैं, और कुछ ऐसे देशों के साथ हैं जो कि वास्तव में स्वतन्त्र भी नहीं है। अरब राष्ट्रों ने इजराइल को स्वीकार नहीं किया और यद्यपि उन्होंने संधि को स्वीकार किया परन्तु उनका इजराइल से युद्ध चलता ही रहा। मिस्र ने इजराइल के जहाजों के लिये नहर स्वेज बन्द कर दी। जैसा कि कल प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारा मिस्र से निकट का सम्बन्ध है, तो क्या कभी उन्होंने श्री नासिर को यह सलाह दी कि उसे इजराइल के लिये स्वेज नहर को बन्द करने का कोई औचित्य नहीं था ? एक बात यह भी है कि मिस्र में यह प्रचार किया जाता रहा है कि इजराइल को अवश्य नष्ट कर दिया जाय। माननीय सदस्यों को ऐसा लगेगा कि जैसे इजराइल के आक्रमण के बावजूद मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। परन्तु यह बात नहीं है। परन्तु यह तो हमें मानना ही चाहिये कि एक तीसरा विश्व युद्ध लड़े बिना इजराइल को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और यदि हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें अपने प्रभाव का प्रयोग करके कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिये जिससे कि इजराइल और अरब राष्ट्रों में मित्रता हो जाय।

गत शुक्रवार को प्रधान मंत्री ने विश्व की घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था उसमें कई कमियां रह गयी थीं। इंग्लैंड और फ्रांस के आक्रमण की उन्होंने सारी कहानी सुनाई पर कई बातें छोड़ दीं। एक बात यह छोड़ी गई कि उन्हीं दिनों रूस ने अमेरिका से यह प्रस्ताव किया था कि यदि यह दो शक्तिशाली ताकतें मिस्र में आक्रमण को समाप्त करने के लिये मिल जायें तो सब ठीक-ठाक हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

परन्तु अमेरिका ने उसे स्वीकार नहीं किया। यदि ये दोनों महान शक्तियां मिल जातीं तो संसार का कोई देश भी स्वतन्त्र न रह जाता।

जब समस्त संसार पर आधिपत्य जमाने के लिये अमेरिका रूस का साथ देने को तैयार नहीं हुआ तो उसने धमकियां देनी आरम्भ कर दीं और कहा कि वह मिस्र में स्वयंसेवक भेजेगा। इसके साथ ही हमारे प्रधान मंत्री ने रूस के प्रधान मंत्री को लिखा कि स्वयंसेवक भेजने से मामला बिगड़ जायेगा। यह चेतावनी ठीक थी, परन्तु साथ ही यह भी कहा जाता है कि प्रधान मंत्री ने कलकत्ता में यह कहा कि रूस की स्वयंसेवक भेजने की धमकी के कारण ही इंग्लैंड और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र के आदेशों का मानना स्वीकार किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि कहां मैंने यह कहा ?

†**आचार्य कृपालानी :** मैंने वही कहा है जो कि समाचारपत्रों में छपा था और इसका प्रतिवाद नहीं किया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह एक निजी बातचीत का उल्लेख कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा किसी निजी बातचीत का उल्लेख करना ठीक नहीं है।

†**आचार्य कृपालानी :** मैं किसी निजी बातचीत का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं जो अखबारों में छपा है और उसका मुझे अधिकार है। यदि उसका प्रतिवाद कर दिया जाता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं बार-बार बाधा नहीं डालना चाहता हूं, मैं माननीय सदस्य को अन्त में सब बातें बताऊंगा।

†**आचार्य कृपालानी :** कुछ लोग यह समझते हैं कि रूस के कारण ही इंग्लैंड और फ्रांस ने अपना रुख बदला है। यदि यह विचार फैल जाये तो बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। यह तो ठीक है कि अमेरिका ने स्वयंसेवक भेजने का प्रस्ताव नहीं किया था, परन्तु उसने यह तो कहा था कि रूस के आक्रमण का विरोध करेगा। यह चिंगारी सारे विश्व में फैल सकती है।

एक और बात जो मुझे अपने प्रधान मंत्री से पूछनी है वह यह है कि क्या हमला करने से या उसके पश्चात् हमारी सरकार को स्थिति से परिचित कराया गया था ? क्या हमारी सरकार को अपने सभी साधनों द्वारा कुछ पता चला था कि क्या हो रहा था ? क्या इंग्लैंड की सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ था ? यदि हुआ था तो उसे प्रकट किया जाय क्योंकि जनमत इस सम्बन्ध में तीव्र हो रहा है कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने का कोई लाभ नहीं है इसलिये प्रधान मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये। हमारी एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ ने भी यही सलाह दी है। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रमण्डल श्वेत जातियों की ही संस्था है, और हमें न इससे लाभ था, न हो ही सकता है।

जहां तक हंगरी का प्रश्न है मैं कह ही चुका हूं कि हमारे कूटनीतिज्ञ ने ठीक ढंग से स्थिति का अन्दाजा नहीं लगाया। अन्यथा, कोयम्बटूर में जो कुछ श्री कृष्णा मेनन ने कहा वह मेरी समझ में नहीं आता है। परन्तु ऐसा तो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में गत कुछ वर्षों से हो ही रहा है। मैंने एक बार विदेशी मामलों पर चर्चा के समय कहा था कि हमें उपनिवेशवाद अथवा नये-नये गठबंधनों के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट कर देना चाहिये। यह नहीं कि एक की तो निंदा करें और दूसरे के लिये चुप हो रहें। रूस अपने पड़ौसियों को हड़प करने का प्रयत्न कर रहा है और प्रत्येक गतिविधि को लौह-आवरण के पीछे रखने का प्रयत्न कर रहा है। कठपुतली सरकारें बनायी जाती हैं। जब राष्ट्रीयता विद्रोह करती है तो सैनिक

†मूल अंग्रेजी में।

[आचार्य कृपालानी]

सहायता और टैंकों से उसे दबाया जाता है। स्थायी तौर पर सेना को वहां रखा जा रहा है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र नेटो का सदस्य रहना नहीं चाहता तो क्या इंग्लैंड अथवा फ्रांस उस पर आक्रमण कर देंगे ? मैं तो दोनों प्रकार के उपनिवेशवाद से घृणा करता हूं। परन्तु श्री मेनन ने तो वही किया जो कुछ समय से हमारा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है।

यदि हम संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों को देखें, तो मेरे विचार से प्रत्येक विचारशील व्यक्ति प्रथम प्रस्ताव का समर्थन करेगा। दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा गया कि हम उसके चुनावों वाले एक खण्ड के विरुद्ध थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चुनाव संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में हों। परन्तु मुझे भय यह है कि हम इस प्रकार के प्राधिकार को मान्यता दे चुके हैं। जहां स्थिति खराब हो और पता न चलता हो कि कौन सरकार और कौन दल जनता का प्रतिनिधि है तो किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सहारा लेना ही पड़ता है। हिन्द-चीन के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया था, उसके हम सभापति हैं। परन्तु वहां कुछ कारणों से चुनाव नहीं हो पाये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ठीक नहीं है। उसका चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**आचार्य कृपालानी** : परन्तु हमने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को स्वीकार तो किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यही कह रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का काम चुनाव कराना नहीं था।

†**आचार्य कृपालानी** : तो फिर चुनाव कैसे होंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक और प्रश्न है।

†**आचार्य कृपालानी** : यह किसी प्राधिकार के आधीन ही तो होंगे। मान लीजिये जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न उठता है, तो कोई न कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ही चुनाव करायेगी। मान लीजिये इस खण्ड का आपने विरोध किया परन्तु दूसरे खण्ड में क्या खराबी थी ? खण्ड १ में सोवियत संघ से अविलम्ब अपनी सेनायें हंगरी से वापस बुला लेने के लिये कहा है। यदि श्री मेनन इसके लिये प्रधान मंत्री के आदेश प्राप्त करते तो वह भी इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये न कहते क्योंकि मैं अपने प्रधान मंत्री को अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे नाजुक अवसरों पर हमारे प्रतिनिधियों को मुख्यालय से आदेश प्राप्त करने चाहियें। परन्तु यह कहा गया है कि हमारे प्रतिनिधि तो यहां तक कह देते हैं कि, "हमें आदेशों की चिन्ता नहीं है।"

हमने कल यह जानना चाहा था कि प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देने वाले राष्ट्र कौन-कौन से थे, तो हमें बताया गया था कि वे वही राष्ट्र थे जो लौह-आवरण के पीछे हैं। यह भी पता चला कि यूगोस्लाविया ने भी प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया। हमारे मित्र यूगोस्लाविया की स्थिति से परिचित हैं। आज यदि पूर्व में कोई क्रान्ति होती है तो उसका श्रेय मार्शल टीटो को दिया जाता है। यही नहीं यूगोस्लाविया के विरुद्ध आन्दोलन तीव्र होता जा रहा है। यदि यूगोस्लाविया ने हंगरी सम्बन्धी प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, तो उसका एक औचित्य यह है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अधिक क्षति उठा चुका है। लेकिन, हमारी तो वह स्थिति नहीं है। अरब देश भी उसके प्रति तटस्थ हो रहे थे, तब हम क्यों तटस्थ नहीं रह सकते थे ? हमें कम से कम तटस्थ तो रहना ही चाहिये था।

संयुक्त राष्ट्र संगठन में हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने आज जो एक वक्तव्य दिया है, वह बहुत ही खेदजनक है। सभी प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं। उस पर कुल सात के हस्ताक्षर हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसमें हमारे कुल बीस प्रतिनिधि हैं, और इन सात को छोड़ कर बाक़ी सभी अधिकारी हैं ।

†**आचार्य कृपालानी** : जो भी हो । पर मैं समझता था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के हमारे प्रतिनिधियों को कुछ स्वतंत्रता रहती है । मैं नहीं समझता कि यदि वे उस पर हस्ताक्षर कर देते, तो सरकार उनसे क्रुद्ध हो जाती ।

उस वक्तव्य के अन्त में उन्होंने कहा है कि हंगरी से रूसी सेनायें तभी हटाई जायेंगी जबकि साम्राज्यवादी शक्तियां भी अपने सैनिक अड्डे छोड़ देंगी। मुझे भी यही विश्वास है कि जब तक साम्राज्यवादी शक्तियां और साथ ही रूस अपने-अपने सनिक अड्डों को त्याग नहीं देते हैं तब तक विश्व शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। लेकिन दोनों मामलों को गड़बड़ा नहीं देना चाहिये। पहली बात पहले आनी चाहिये। यह कहना ठीक नहीं है कि जब तक बड़ा प्रश्न हल नहीं होता तब तक रूसी सेनायें वापस नहीं बुलाई जायेंगी। रूस ने भी ठीक यही दलील दी है। क्या हमारे प्रतिनिधियों को आंख मूंद कर रूस का समर्थन करना चाहिये ? यदि हम तटस्थता का दम भरते हैं, तो हमें तटस्थ ही रहना चाहिये। ताकि इस प्रकार प्रत्येक हमारी तटस्थता को देख सके। केवल तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है, दूसरों को भी हमें तटस्थ समझना चाहिये ।

प्रधान मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा कि हंगरी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और विदेशी शस्त्रों द्वारा उसका दमन किया जा रहा था। यह ठीक है। मुझे विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति में, हमारी सरकार केवल अपनी राय व्यक्त करके ही संतोष नहीं कर लेगी। सरकार को हंगरी में किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिये जिसे रूसी शस्त्रों के बल पर सत्तारूढ़ किया गया हो, जैसे कि कादर सरकार को किया गया है। मुझे आशा है कि वह हंगरी की स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाली शक्तियों को प्रोत्साहित करेगी ।

प्रधानमंत्री के कल के भाषण में समूचे देश की सामान्य राय व्यक्त की गई थी। सभी को उससे प्रसन्नता है। राष्ट्रीयता के समर्थक विरोधी दल के सदस्यों के पास उस भाषण के विरुद्ध कहने के लिये कुछ भी नहीं रह गया है। ऐसा यदि प्रत्येक अवसर पर हो तो, मुझे और भी प्रसन्नता होगी।

श्री वि० घ० देशपांडे ने हंगरी और मिस्र की समस्या के प्रति भारत सरकार की नीति के विषय में अपने संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत किये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये दोनों संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : इस सभा में इस से पहले कभी भी विश्व शान्ति और हमारी सभ्यता के अस्तित्व के लिये आवश्यक इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं की गई थी ।

पिछले शुक्रवार को प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस वर्तमान संकट की गम्भीरता और उसे तत्काल हल करने के प्रयास के महत्व को बताया था। हम उसका स्वागत करते हैं, हालांकि हम उसके कुछ उपलक्षणों और एक-दो सूत्रों से सहमत नहीं हैं ।

प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि मिस्र की स्थिति अभी भी उतनी ही गम्भीर बनी हुई है। इसीलिये मैं सबसे पहले उसी के सम्बन्ध में कहूंगा ।

मिस्र में जो कुछ भी हुआ है वह केवल आंग्ल-फ्रांसीसी राजनीति का एक दुःसाहसपूर्ण कार्य ही नहीं है। बात उससे भी गहरी है। यह सच नहीं है कि इज़राइल जैसे छोटे से राष्ट्र ने अपने आप ही

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मिस्र पर चढ़ाई कर दी हो, और ब्रिटेन तथा फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की परवाह न करते हुए उसमें भाग लेना शुरू कर दिया हो। यह भी सच नहीं है कि अब अमरीका की धमकी पर सब कुछ ठीक हो जायेगा। प्रधान मंत्री ने हमें चेतावनी दी है कि आत्म-संतुष्टि की यह भावना हमें नहीं रखनी चाहिये।

मिस्र पर हुए आक्रमण के बाद की घटनायें स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि मध्यपूर्व पर औपनिवेशिक शासन लादने और उसे समाजवादी देशों के विरुद्ध युद्ध का अड्डा बनाने का ही यह एक प्रयास है। साम्राज्यवादियों ने सोचा था कि पाकिस्तान से लेकर अलजीरिया तक सभी मुस्लिम राष्ट्र उसका समर्थन करेंगे, लेकिन वे उसके विरुद्ध हो गये हैं। इसी एक तथ्य से साम्राज्यवाद को एक घातक चोट पहुंची है। इसीलिये, वे नासिर से घृणा करते हैं; इसीलिये उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि और शिष्टाचार को उठा कर ताक़ पर रख दिया है।

नासिर कोई कम्युनिस्ट नहीं हैं, वे अरब जनता के उत्थान के प्रतीक हैं। चूंकि अरब देशों में ही संसार के बड़े-बड़े तेल स्रोत हैं, और वहीं से महत्वपूर्ण जल मार्ग गुजरते हैं, इसलिये उनके नेता मिस्र को ये साम्राज्यवादी एक सीख देना चाहते थे। इस आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण का यही कारण था। इसीलिये, एन्थनी ईडन ने १७ नवम्बर को कहा था कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस यह आक्रमण न करते तो दोनों को धीरे-धीरे नष्ट कर दिया जाता। यह वक्तव्य बताता है कि साम्राज्यवादी पूर्व में अपने इस अड्डे को बनाये रखने के लिये कितने चिन्तित थे।

लेकिन अब ब्रिटिश सिंह अशक्त हो गया है। अमरीका अभी मरने-मारने पर इतना अधिक उतारू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भावना भी यही है। अमरीका एक दो-रुखी नीति बरत रहा है। वह चाहता था कि ब्रिटेन और फ्रांस नासिर से भिड़ जायें, और वे दोनों सभी के अप्रिय बन जायें, साथ ही नासिर को भी एक सबक मिल जाये, तब इसके बाद ही वह पंच बन कर बीच में आये और अरब जनता की सहानुभूति भी प्राप्त कर ले। लेकिन, यह प्रयत्न भी असफल रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय, अमरीका वैसे भी खुले रूप में ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण का समर्थन नहीं कर सकता था। अमरीका ने यह तो फिर भी कहा ही था कि नासिर ने स्वेज़ के मसले पर ब्रिटेन और फ्रांस को उत्तेजित कर दिया था। प्रधान मंत्री ने शायद इसीलिये कहा था कि इस "नृशंस" आक्रमण को भी उचित ठहराने का प्रयास किया गया था।

अमरीका ने सोवियट संघ का यह सुझाव बड़ी सख्ती से ठुकरा दिया था कि उसके सैनिक संयुक्त राष्ट्र संगठन के नियंत्रण में ही वहां जाकर मिस्री जनता की सहायता करें। यदि सोवियट संघ ५ नवम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस को चुनौती न देता, तो वे मिस्र में लूट-पाट को जारी रखते। उसी चुनौती के कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध बन्द किया है, वरना संयुक्त राष्ट्र के आदेशों को तो वे आज तक नहीं मान रहे हैं। अमरीका ने उस चुनौती का विरोध किया है। अमरीका ने सोवियट संघ के स्वयंसेवक तक भेजने के सुझाव का भी विरोध किया। अरब जनता इसे स्पष्ट तौर पर समझ गई है।

विश्व के जनमत ने इस आक्रमण के कार्यक्रम को विफल बना दिया है। दूसरी बात यह भी है कि अरब राष्ट्रीयता भी अब उसके विरुद्ध पहले से कहीं अधिक संगठित हो गई है। नासिर की स्थिति अधिक सुदृढ़ हो गई है। साथ ही, पूर्वीय जनता के स्वतन्त्रता आन्दोलन और पूर्व के देशों तथा समाजवादी संसार के बीच की कड़ियां अब अधिक दृढ़ हो गई हैं। अब साम्राज्यवाद और भी बुरी अवस्था में फंस गया है।

यही कारण है कि इंग्लैंड और फ्रांस स्वेज़ नहर के क्षेत्र में जमे रहने की योजना बना रहे हैं, और बहाने ये बनाते हैं कि नहर को साफ करने में कई महीने लगेंगे। पर हमें यह स्पष्ट रूप से समझ

लेना चाहिये कि मध्य-पूर्व में उनके साम्राज्यों पर उनका नियंत्रण तभी रह सकता है जब कि वहां के देशों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का दमन कर दिया जाये और उनके दमन से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता है। इसीलिये, प्रधान मंत्री ने हमें सतर्क रहने के लिये कहा है। हमें साम्राज्यवादियों को चेतावनी दे देनी चाहिये कि हम उनकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इसीलिये श्री राजगोपालाचार्य ने यह मांग की है कि हमें राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिये। राष्ट्रमंडल के नेता ब्रिटेन ने केवल राष्ट्र संघ की ही उपेक्षा नहीं की है, उसने राष्ट्रमंडल के सदस्यों से भी इस सम्बन्ध में कोई परामर्श किये बिना, राष्ट्रमंडल के सबसे बड़े सदस्य भारत से परामर्श किये बिना ही कार्यवाही की है। हो सकता है कि प्रधान मंत्री भारत के राष्ट्रमंडल में अभी भी बने रहने का कोई लाभ देखते हों, पर मुझे तो कोई लाभ दिखाई नहीं देता। लेकिन, हमें राष्ट्रमंडल की अपनी सदस्यता को बनाये रख कर ब्रिटेन को अपने नैतिक समर्थन का लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। हमारे राष्ट्रमंडल से त्यागपत्र देने से समूचे पूर्व के देशों को बल मिलेगा।

हंगरी के वर्तमान संकट और उसमें सोवियत संघ की गतिविधियों को इसीलिये अधिक उछाला जा रहा है कि उससे मिस्र पर हुए साम्राज्यवादी आक्रमण पर पर्दा पड़ जाये। हंगरी में भी बड़ी गम्भीर घटनायें हुई हैं। जब किसी समाजवादी देश में इस तरह से इतनी अधिक जनता को कष्ट होता है, तो हमें विशेष दुःख होता है। यह इसलिये कि हम भी समाजवाद का सपना देखते हैं। इन घटनाओं को देख कर हम सोचते हैं कि क्या हमारे प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकलेगा। लेकिन, नहीं, हम जानते हैं कि समाजवाद और समाजवादी देशों के विरुद्ध गंदा प्रचार किया जा रहा है। हम अपने हृदयों में जानते हैं कि इन बाधाओं के रहते हुए भी हम समाजवादी समाज की स्थापना करके ही दम लेंगे।

इसलिये, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ हंगरी में सोवियत सेनाओं की गतिविधियों और मिस्र में आंग्ल-फ्रान्सीसी सैनिक कार्यवाहियों को एक ही तराजू पर तौले जाने का विरोध करता हूं। आचार्य कृपालानी ने यही किया है। दोनों को एक समान मान लेने से उन्हीं शक्तियों को बल मिलेगा जो इतिहास की गति को पीछे की ओर लौटाना चाहते हैं।

आइये, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बीसवीं कांग्रेस में अपने देश के प्रशासन की बड़ी-कड़ी आत्म-परीक्षा की थी, और अपनी गलतियों, यहां तक कि अपराधों का भंडा फोड़ किया था। चूंकि इस क्रांति को सारे संसार के विरोध का सामना करना पड़ा था, इसलिये कुछ बातों में उसे तानाशाही का व्यवहार करना आवश्यक ही था। क्रांतियों को उन निहित हितों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है जो पहले से शासन करते आ रहे होते हैं। इसीलिये, क्रांतियों में कुछ तानाशाहीपन आ ही जाता है। आपके न चाहने पर भी वह आ ही जाता है, क्योंकि नरमी के साथ आप कोई क्रांति नहीं कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अब दो विश्व युद्धों के बाद भी क्रांतियों का ढंग वही पुराना ही रहना चाहिये। चीन में क्रांति दूसरे ढंग से की गई है। हम ने अपने देश में भी अपनी परम्पराओं के अनुसार ही मूलभूत परिवर्तन करने का तरीका अपनाया है, लेकिन अभी तक तो क्रांतियों का मूल्य चुकाना ही पड़ा है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गलतियों को खुद ही संसार के सामने रखा है। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। इसीलिये, उसने अपनी आत्म-परीक्षा की थी। हंगरी में भी यही हो रहा था, लेकिन वहां दुर्भाग्यवश परिस्थिति ने एक दूसरा ही मोड़ ले लिया। पिछली गलतियों को दूर करने के जनता के आन्दोलन में क्रांति-विरोधी लोग भी घुस गये। उन क्रांति विरोधियों को उन साम्राज्यवादियों का पूरा समर्थन मिला जो स्वेज पर अपना अधिकार जमा लेने की घात में थे। उन्होंने क्रांति की ज्यादतियों को खूब बढ़ा-चढ़ा कर जनता के सामने रखा, उनका प्रचार किया। ये वही साम्राज्यवादी थे जो विश्व युद्ध छेड़ने में भी नहीं हिचके

श्री ही० ना० मुकर्जी

थे । ये वही लोग थे जो रूस के क्रांतिकारियों पर हुई ज्यादतियों पर खुश होते थे । हंगरी में स्थित सोवियत गण-राज्य बेला कुन को उन्होंने १९१८ में बड़ी नृशंसता से कुचल डाला था । हंगरी में हो रही वर्तमान ज्यादतियों की तुलना में तो वे शायद कहीं अधिक नृशंस थीं ।

पोलैंड में सुधार की यही प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हो गई थी, लेकिन हंगरी में यह सब कुछ कारणों से शांति के साथ नहीं हो सका । हंगरी में कैथोलिक चर्चा का बहुत अधिक प्रभाव रहा है । वहां सामंती और सैनिक शासन अर्से तक रहा है । जातीय गर्व भी हंगरी वासियों में बहुत अधिक है । विगत काल में रूसी ज़ारशाही ने कई बार हंगरी पर आक्रमण किया था, इसलिये उनमें रूसियों के प्रति घृणा भी है । क्रांति विरोधियों ने इसका लाभ उठाया और इसके साथ ही साथ उन्हें अमरीकी धन की सहायता—यहां तक कि २,००० लाख डालरों तक की सहायता—मिली । और, ऐसी ही परिस्थितियों में जनता के एक लोकप्रिय आन्दोलन को नृशंसता से कुचल दिया गया । हंगरी में पहले कभी भी सामान्य जनतंत्रात्मक जीवन नहीं था । इसी कारण हंगरी वासियों के मानस में कुछ विचित्र पेचीदगियां आ गई हैं, और इसीलिये, क्रांति-विरोधी इतना आगे बढ़ सके हैं कि समाजवादी समाज को खतरा पैदा हो गया है । इसीलिये कादर सरकार ने सोवियत सरकार की मदद मांगी थी । वहां की सरकार समाजवादी बनी रहना चाहती है, इसीलिये उसने दूसरे देशों की सहायता को ठुकरा दिया है । वारसा संधि के अनुसार सोवियत सरकार हंगरी में अपनी सेना रख भी सकता था । हो सकता है कि यह बहुत ही अवांछनीय हो । परन्तु सच तो यह है कि वारसा संधि नैटो जैसे गठबन्धन के लिये एक प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था थी । इसके अधीन क्रांति विरोधी उपद्रव को दबाने के लिये रूसी सेना की सहायता ली जा सकती थी ।

हंगरी की क्रांति की शक्ति पोलेंड की तरह दृढ़ नहीं थी कि वह खतरे को दूर कर सकती । वहां का प्रशासन इतना लोकप्रिय न रहा जिस के परिणामस्वरूप क्रांति विरोधी उपद्रव खड़ा हो गया । हंगरी और रूस के समक्ष सुरक्षा की भी समस्या थी । ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता था । मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि रूस का शासन अस्त-व्यसत था और वह कतिपय त्रास का कारण था । सभी गृह-युद्धों में—और यह भी एक गृह-युद्ध ही है—अत्याचार होते हैं । परन्तु विदेशी साम्राज्यवाद से सहायता प्राप्त क्रांति विरोधी उपद्रव जब सिर उठा रहा था तो क्या किया जाना चाहिये था ?

भूतकाल में बहुत से अपराध और गलतियां हुई थीं परन्तु जब नैटो जैसे फौजी गठ बन्धन का भय है और जर्मनी की पुनः शस्त्रीकृत सेना का भय है तो क्या फासिज्म का बोलबाला होना ठीक होगा ? जब साम्राज्यवाद समाजवाद को समाप्त करके शक्ति प्राप्त करने में लगा हुआ हो तो रूस कैसे चुप बैठ सकता है हमुनेगी को जनता का समर्थन प्राप्त था और उसकी मांग पर रूस ने अपनी सेनायें वापस बुला ली थीं । पूरी सेना के वापस बुलाने के सम्बन्ध में अभी चर्चा होनी थी । तत्पश्चात् स्थिति और खराब हो गई । नेगी प्रतिक्रियावादियों के हाथों में पड़ गया और कादर दल ने प्रशासन की बागडोर सम्भाल ली तथा रूस से क्रांतिविरोधियों को दबाने के लिये सहायता मांगी । रूस ने समझा कि समाजवाद के अस्तित्व के विरुद्ध गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी । अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिये जाने और उसके काश्मीर के प्रति बदले हुए दृष्टिकोण और मीडो के अस्तित्व में आने पर हमारे प्रधान मंत्री को भी अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना पड़ा था । क्योंकि न केवल भारत वरन् समस्त पूर्वी देशों की सुरक्षा और स्वतन्त्रता खतरे में थी ।

जब साम्राज्यवाद सब तरफ से निराश हो जाता है तो प्रायः उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है । वह समाजवाद और रूस को बदनाम करने के लिये कोई कसर उठा नहीं रखता है । समाजवाद

को न केवल हंगरी में ही खतरा था वरन् सारे विश्व में इस खतरे के फैलने की आशंका थी। समाजवाद की रक्षा शांति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा है। साम्राज्यवाद ने हमारा ध्यान बटाने के लिये जो जाल फैलाया है यदि हम उसमें फंस जायें तो हमें न ईश्वर बचा सकता है और न शैतान ही।

क्या हाल ही में हुई पोलेंड की घटनाओं से यह पता लगता है कि रूस पूर्वी यूरोप को अपने अधीन रखना चाहता है? क्या रूस ने कई बार यह नहीं कहा है कि यदि नैटो को समाप्त कर दिया जाये तो वह वारसा संधि का तुरन्त अन्त कर देगा? क्या पश्चिमी शक्तियों का ऐसी संधियों और नाभिकीय तथा ताप नाभिकीय शस्त्रों सम्बन्धी प्रयोगों के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण है? परन्तु रूस इन्हें इस शर्त पर छोड़ देने के लिये तैयार है कि और शक्तियां भी इन्हें छोड़ दें। हमें सभी सैनिक समझौतों को समाप्त करने की मांग करनी चाहिये।

मुझे आश्चर्य होता है कि अशोक मेहता जैसे राजनीतिज्ञ, जो हंगरी की व्यथा से प्रभावित हुए हैं, ऐसे साधनों का सुझाव दे रहे हैं जो हंगरी के घावों का उपचार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोलैंड के गोमुल्का रूस के प्रभाव में आ गये हैं, कादर नीच है, उसे निकाल दिया जाना चाहिये। हंगरी और पूर्वी यूरोप के देश परतन्त्र हैं और रूस के हाथों में कठपुतली हैं। यह सब हठ धर्मी है। आचार्य कृपालानी ने कहा कि हंगरी के शासन को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये। हमें इस प्रकार के निष्कर्ष शीघ्रता से नहीं निकाल लेने चाहिये। क्या लोकतन्त्रात्मक समाजवाद का यही ढंग है अथवा यह क्रांति के प्रति घृणा है जिससे कि वह समाजवाद का उन्मूलन कर देना चाहते हैं। क्या यह कम बात है कि मेरे मित्र श्री तुलसीदास भी समाज की समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। यह समाजवादी विचारधारा सफल प्रगति का प्रमाण है। क्या इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये? साम्राज्यवादी यही तो चाहते हैं।

श्री अशोक मेहता ने साइप्रेस और अल्जीरिया का उल्लेख करके अपने तर्क को स्वयं काट दिया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके साथी अर्ल एटली और एम० मौले साइप्रेस और अल्जीरिया के सम्बन्ध में उपनिवेशवाद के समर्थक हैं। रूस की क्रांति और अन्य क्रांतियों में भारी मूल्य चुकाना पड़ा है। यह मज़ाक नहीं है। कुछ पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण हम समाजवादी प्रगति को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं।

श्री अशोक मेहता और आचार्य कृपालानी ने जो श्री कृष्ण मेनन का विरोध किया है मैं उस के विरुद्ध आवाज उठाना चाहता हूं। मैं श्री कृष्ण मेनन का अन्ध समर्थक नहीं हूं परन्तु उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी योग्यता दूरदर्शिता और राजनैतिज्ञता से कार्य किया है। श्री कामत की तरह आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण मेनन ने वही किया है जो हम भी कर्त्तव्य और उत्तर-दायित्व के नाते करते।

और पाकिस्तान को उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आदेश दिया गया जिस के प्रधान मंत्री ने कहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रख्यापित काश्मीर का संविधान प्रकोपक है और इस से जान-बूझ कर भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध खराब किये जा रहे हैं। उसी पाकिस्तान की ओर से यह विचार रखा गया था कि हंगरी में राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण में निर्वाचन किये जायें। इस देश को काश्मीर के अनुभव से पता है कि राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण का क्या अभिप्राय होता है। अतः श्री कृष्ण मेनन ने भारत के दृष्टिकोण को राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करके एक महान् कार्य किया है। निर्वाचन के अतिरिक्त उस संकल्प में कुछ ऐसे निष्कर्ष भी थे जो राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही निकाले जा सकते हैं। महासचिव का प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिला है और ऐसी स्थिति में उस संकल्प को पारित करना भारत के सम्मान और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के प्रति उसके उत्तर-दायित्व की भावना के विरुद्ध होता।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

कुछ समय से भारत ने विश्व की समस्याओं पर सदय प्रभाव डाला है । आज स्थिति पहले से भी अधिक खतरनाक है और शांति बनाये रखने का हमारा कर्त्तव्य और भी बढ़ गया है । क्या हम उत्तरोत्तर निःशस्त्रीकरण और सभी देशों पर वायुयान उड़ान की छूट के सम्बन्ध में बड़े देशों के एक शिखर सम्मेलन के आयोजित किये जाने के विषय में रूस के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये अपने प्रभाव को काम में नहीं ला सकते हैं ? क्या हमें सर्वप्रथम मिस्र की समस्या को सुलझाना नहीं चाहिये ? क्या हमें पीड़ित हंगरी का वास्तविक मित्र नहीं बनना चाहिये ?

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम किसी गलती का विरोध न करें, परन्तु हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम व्यथा को दूर करें और देशों में परस्पर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध पैदा करें ।

प्रधान मंत्री ने इस सभा में नाभिकीय और ताप-नाभिकीय शस्त्रों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था । कौन यह नहीं चाहता कि क्रांतियां हों और हमें सफलता प्राप्त हो, परन्तु हमें लोक-पीड़न के रूप में मूल्य न चुकाना पड़े ? परन्तु इतिहास ऐसी निर्दयी देवी है कि उस के रथ के सामने जो भी आता है वह पिस जाता है यह भाग्यवाद नहीं है वरन् वास्तविकता है । जीवन बदल रहा है और शीघ्र ही ऐसा समय आयेगा कि हम क्रांतियों का मूल्य बिना दुख के चुका सकेंगे । परन्तु अभी हम पीछे हैं । वह समय अभी नहीं आया है । इसका पता हंगरी की दुखद घटना से लगता है । यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता लगेगा कि भारत का दृष्टिकोण ठीक है और वही है जो प्रधान मंत्री ने बताया है ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : एसी गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करते समय, जो कि एक ओर विश्व युद्ध के समीप पहुंच चुकी थी, हमें स्थिति का ध्यान रखते हुए नम्रता से बोलना चाहिये । इसमें दलगत राजनीति की चर्चा अथवा वाद-विवाद को नहीं घसीटना चाहिये ।

राष्ट्रसंघ में हंगरी के सम्बन्ध में भारत के मत की आलोचना विदेशों और स्वयं भारत दोनों में की गई है । ब्रिटेन और अमरीका के कुछ पत्र तो भारत का विरोध करने का जैसे अवसर ही ढूंढते रहते हैं ।

भारत में इस आलोचना के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि सामान्य निर्वाचनों के समीप होने के कारण सरकार के प्रत्येक मत और वक्तव्य की आलोचना करने के लोभ का संवरण नहीं होता है ।

भारत ने इजराइल की कार्यवाही का एक पूर्व कल्पित आक्रमण के रूप में विरोध किया है । मैं अनुभव करता हूं कि इजराइल का कार्य वैसा नहीं है जैसा कि फ्रांस और ब्रिटेन का है । निस्संदेह इजराइल की यह कार्यवाही युद्ध-विराम करार के विरुद्ध थी । परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अरब देशों और मिस्र ने कई बार यह घोषणा की है कि वे इजराइल को समाप्त कर देंगे । मिस्र ने अवैध रूप से इजराइल के जहाजों का स्वेज नहर से हो कर गुजरना बन्द कर दिया था । इस पर यदि इजराइल ने किसी और समय ऐसी कार्यवाही की होती तो क्या हम उसे आक्रमण कहते ? ऐसे अवसर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमला करने के लिये इस कार्यवाही को बहाना बनाया है इसी लिये इजराइल पर षड़यंत्र करने का संदेह होता है । इस लिये इजराइल की कार्यवाही ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा की गई कार्यवाही से है ; मिस्र और अरब राज्यों ने इजराइल को मिटा देने की घोषणा की थी, तब फिर उसके सामने और मार्ग ही क्या रह गया था ? पर परिस्थिति ने उसके प्रयत्न को सन्देह का कारण बना दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जहां तक आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही का सम्बन्ध है कोई भी विवेकशील व्यक्ति कह सकता है कि वह आक्रमण और लज्जाहीन नग्न आक्रमण है। वे आक्रमण को न्यायोचित सिद्ध करने के लिये कोई युक्तियुक्त तर्क भी नहीं दे सके।

उनके कथनानुसार वे मिस्र और इजराइल की सेनाओं को पृथक्-पृथक् करने के लिये वहां गये, परन्तु उनके आक्रमण मिस्री सेनाओं और नगरों पर ही होते रहे। मैं अनुभव करता हूं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की इस मूर्खतापूर्ण कार्यवाही से तो रूस का प्रभाव, जिसे वे दूर करना चाहते थे, मध्यपूर्व में बढ़ा ही है। इस कार्यवाही से न केवल राजनीतिज्ञता का दिवालियापन सिद्ध होता है अपितु साधारण विवेक को भी तिलांजलि दे दी गई है। उनका कहना था कि नहर स्वेज खुली रहे, और मुझे ज्ञात नहीं कि कभी भी मिस्र ने यह कहा हो कि वह स्वेज को बन्द कर देगा। आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही का फल यह निकला है कि नहर स्वेज बन्द हो गई है और न जाने वह कितने समय तक और बन्द रहेगी। एशिया और अफ्रीका में आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही के विरुद्ध घोर विक्षोभ फैल रहा है। टोरी सरकार को एशिया के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में सीखना चाहिये क्योंकि यूरोपियन उपनिवेशवाद की पुरानी स्मृति के कारण एशिया का प्रत्येक देश उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा है।

मिस्र से एशिया के लोगों का मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध है जब कि हंगरी से केवल सैद्धान्तिक सम्बन्ध है। जनसाधारण में हंगरी के प्रति वही भावनायें नहीं हैं जैसी कि मिस्र के प्रति हैं। पश्चिमी देशों को यह सीखना चाहिये कि मिस्र पर आक्रमण करके उन्होंने अफ्रीका और एशिया में विरोध की भावना को बढ़ाया ही है।

हममें से अभी भी बहुत से व्यक्ति अंग्रेजों के प्रशंसक हैं, परन्तु हमें इस कार्यवाही से दुख हुआ है। इस कार्यवाही से इंग्लैंड के नाम पर और विशेषतया टोरी दल की कीर्त्ति पर धब्बा लगा है। टोरी सरकार ने ब्रटिश जनता को एक विचित्र परिस्थिति में फंसा दिया है।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस आंग्ल-फ्रैंच कार्यवाही ने प्रजातन्त्र के सिद्धान्त पर भी आघात किया है। यदि ब्रटिश और फैंच सेनाओं ने मिस्र पर आक्रमण न किया होता तो सोवियत संघ को हंगरी में भीषण नरसंहार करने का साहस न होता। स्वेज के प्रश्न पर मिस्र पर आक्रमण करके इंग्लैंड और फ्रांस ने सोवियत रूस को एक ऐसा आवरण दे दिया है जिस के पीछे वह अपने अत्याचारों को छुपा सकता है।

हंगरी के प्रश्न पर भारत ने जो मतदान किया था उसकी कटु आलोचना इस सभा में भी हो चुकी है। मेरा अपना यह निश्चित विचार है कि यह मतदान प्रधान मंत्री के स्पष्ट तथा निश्चित वक्तव्य के बिल्कुल प्रतिकूल किया गया है। यदि केवल एक संकल्प पर ही मतदान हुआ होता तो मैं भी यह कह देता कि हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये था। घटना चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है और एक के बाद दूसरा संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने अपने स्वविवेक से अवश्य काम लिया परन्तु उसका गलत उपयोग किया। यह निर्णय करने में कोई भूल होने का प्रश्न नहीं है यह तो भारत की निश्चित नीति को एक प्रकार से ठुकराना है।

पहला संकल्प आक्रान्ता के वापस लौट जाने के सम्बन्ध में था, हमने उस पर मतदान नहीं किया। उक्त संकल्प के दूसरे पैरा के सम्बन्ध में, क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों द्वारा अधीक्षण किये जाने के विरुद्ध थे, इसलिये, हमने मतदान में भाग नहीं लिया। इसके लिये कुछ औचित्य हो सकता है। तीसरे पैरा के सम्बन्ध में, जिस में संयुक्त राष्ट्र संघ से एक जांच दल भेजने की प्रार्थना की गई थी, हमने फिर मतदान में भाग नहीं लिया। परन्तु अब हम अन्वेषक दल में शामिल

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

हो गये हैं। इसका यह परिणाम हुआ कि भारत ने विभिन्न विश्व संगठनों में इतने जोर-शोर से जो कुछ कहा था वह सब व्यर्थ हो जायेगा। इन सब बातों से यही जानकारी होती है कि भारत ने रूस के आक्रमण का पूर्णतः विरोध नहीं किया जब कि उसे दोनों आक्रमणों का पूर्णतः विरोध करना चाहिये था। मैं पूरी तरह नहीं जानता कि वारसा करार में क्या है परन्तु क्या ऐसी संधि को मान्यता दी जा सकती है जो दूसरे देश की प्रभु सत्ता को समाप्त करने के लिये की गई हो। जब हंगरी सरकार ने जानबूझ कर अपनी प्रभु सत्ता रूस को सौंपी तभी यह ज्ञात हो जाता है कि हंगरी स्वतन्त्र देश न हो कर एक उपनिवेश है। मेरे विचार से आप इसको चाहे स्वतन्त्र राष्ट्र मानें अथवा उपनिवेश, इसका विरोध किया जाना जरूरी है क्योंकि यदि यह स्वतन्त्र राष्ट्र है तो रूस ने इस पर आक्रमण किया है तथा यदि यह उपनिवेश है तो अल्जीरिया पर फ्रांस के आक्रमण के समान इसको मानना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को भेजने से एक खतरनाक पूर्वदृष्टान्त बन जायेगा। परन्तु एक देश के दूसरे पर उस देश की सरकार की आड़ लेकर आक्रमण का सिद्धान्त तो और भी खतरनाक है। यदि कल को भारत अथवा नेपाल में साम्यवादी सरकार बन जाने पर श्री गोपालन अथवा श्री डी० के० सिंह साम्यवादियों को बुला लें तो क्या हमारे प्रतिनिधि यही कहेंगे कि यह हमारा आन्तरिक मामला है। इसीलिये हमें उन देशों के आन्तरिक मामलों में रूसी हस्तक्षेप को आक्रमण मान कर उसका विरोध करना चाहिये। इस प्रकार किसी की आलोचना करना तथा किसी की आलोचना एक ही काम के लिये न करने से हमारी क्या स्थिति होगी। भारत का उद्देश्य संकट को हटाना है। स्वेज़ का संकट अमेरिका तथा पश्चिमी जनतन्त्रों के सैनिक संगठनों से आया है। अमेरिका ने जान बूझ कर इजराइल को शस्त्रास्त्र दिये। मैं मानता हूं कि अमेरिका रूसी आक्रमण को रोकने के लिये हथियार बन्द रहे। परन्तु शांति तो इजराइल को शस्त्रास्त्र देकर नहीं होगी। यह तो राष्ट्र संगठन की गारंटी से किया जा सकता है। इजराइल को शस्त्रास्त्र देकर उन्होंने अरब राष्ट्रों को भयाक्रान्त कर दिया तथा इस प्रकार अरब के देशों तथा इजराइल में आपस में घृणा उत्पन्न हो गई।

अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों का कहना है कि मिस्र ने सैनिक शक्तियों का संतुलन साम्यवादी शस्त्रास्त्र लेकर समाप्त कर दिया है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा विचार है कि इजराइल को शस्त्रास्त्र देना संतुलन को समाप्त करना है। तभी अरब राष्ट्रों को रूस से शस्त्रास्त्र लेने को बाध्य होना पड़ा।

क्या आप का विचार है कि मिस्र को पश्चिमी देशों द्वारा थोपी गई बातों को मानना चाहिये। ऐसा अब सम्भव नहीं है क्योंकि अब एशिया तथा अन्य देशों, जो योरोप में नहीं है, में आत्म सम्मान की भावना बढ़ रही है। यह पश्चिमी देशों को समझना चाहिये। उन्होंने इजराइल को शस्त्रास्त्र देकर शक्ति सन्तुलन बिगाड़ना चाहा। परन्तु मिस्र उनकी बात को न मान कर साम्यवादी सहायता की ओर बढ़ गया। परन्तु उन्होंने साम्यवादियों को भी पूर्णरूपेण अपने पर प्रभुत्व जमाने नहीं दिया है।

इजराइल को शस्त्रास्त्र देना बन्द करके अब भी स्थिति सुधारी जा सकती है। केवल इजराइलियों के भय को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये अपितु अरब देशों के भय को दूर करने का भी प्रयत्न करना चाहिये। ब्रटेन तथा फ्रान्स दोनों को मिस्र में अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहिये, तभी मध्य पूर्व में शांति हो सकती है।

अमेरिका वैसी ही गलती कर रहा है जैसी कि मध्य पूर्व में की जा रही है। पाकिस्तान आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से बड़ा कमजोर है परन्तु उसको शस्त्रास्त्र दिये जा रहे हैं तथा शक्ति बढ़ाई

जा रही है। इजराइल ने भय से मिस्र पर हमला किया। मेरा विचार है कि पाकिस्तान भी शीघ्र ही, भारत की आन्तरिक कमजोरियों का लाभ उठा कर इस देश पर अवश्य हमला कर देगा। तब क्या भारत अमेरिका तथा ब्रिटेन से शस्त्रास्त्र मांगेगा तथा जो कुछ वह कहेंगे वह करेगा, कभी नहीं। यह जानते हुए भी कि साम्यवाद ीक सिद्धान्त नहीं है वह साम्यवादी देशों से ही सहायता मांगेगा। जो कुछ मध्य पू ं में हुआ है वही परिस्थितिवश भारत में भी होगा।

जब हमारे प्रधान मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति से मिलेंगे तब अमरीकन सरकार को अपनी नीति पर पुनः विचार कर के कुछ परिवर्तन करना चाहिये।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं इस चर्चा में उस समय भाग ले रहा हूं जब कि इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि श्री ईडन त्याग पत्र देने वाले हैं तथा श्री बटलर, श्री मेकमिलन, तथा श्री लायड नवीन मंत्रिमंडल बना रहे हैं। मुझे इसका खेद है परन्तु फिर भी मैं इतना कहूंगा कि इससे ब्रिटिश राजनीति को परिवर्तित करने का अवसर इंग्लैंड को मिलेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री के आज के तथा शुक्रवार के वक्तव्यों से इस देश की जनता के विचार स्थिर हो गये हैं। अपने सहयोगियों से प्रथमतः विचार-विमर्श के पश्चात् मेरा इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से पत्र व्यवहार हुआ था तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रधान मंत्री अथवा सरकार अथवा विरोधी पक्ष किसी को भी मिस्र तथा हंगरी के मामले की पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसी कारण हमारे मन में संदेह थे जो कि अब दूर हो चुके हैं। अब यह जो आलोचना हो रही है वह प्रधान मंत्री के द्वारा जल्दी-जल्दी भाषणों से, जिन में आपस में विभिन्नता है, के कारण है। उन्होंने यूनेस्को सम्मेलन में जो कहा वह कांग्रेस समिति के भाषण से बिल्कुल उल्टा है।

मैंने प्रधान मंत्री के भाषण तथा आज हंगरी के सम्बन्ध में, संकल्प आदि पर विचार किया तथा मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि प्रधान मंत्री ने कल जो कुछ कहा वह संयुक्त राष्ट्र संघ में श्री कृष्णा मेनन के कार्य से बहुत भिन्न है। अब तक सभा में विवाद का प्रश्न यही है कि संकल्प के विरोध में मतदान देना अच्छा है अथवा मत न देना अच्छा है। मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ शुक्रवार को कहा वही नीति ठीक है और उसी के अनुसार हम ने रूस से कहा है कि वह हंगरी से निकल आये।

हमने हंगरी के संग्राम को स्वतन्त्रता संग्राम मान लिया है। मैं यह कहूंगा कि पूर्वी योरोप के देशों के सम्बन्ध में हमें अपनी नीति अब बदलनी चाहिये। उदाहरणतः पश्चिमी जर्मनी में हमारा दूतावास है जब कि पूर्वी जर्मनी से हमारे केवल व्यापारिक सम्बन्ध हैं। इसीलिये पूर्वी योरोप अर्थात् रूस द्वारा नियंत्रित देशों के सम्बन्ध में हमारी नीति संतोषजनक नहीं है।

मेरा विचार है कि हमारा समस्त देश, हमारे प्रधान मंत्री की मिस्र की नीति से पूर्णतया सहमत नहीं है। हम सभी मिस्र की जनता की महानता, स्थिरता, त्याग तथा बलिदान की प्रशंसा करते हैं। अब युद्ध विराम हो गया है चाहे वह संयुक्तराष्ट्र के संकल्प से हुआ हो, चाहे वह रूस की धमकी से हुआ हो अथवा वह ब्रिटेन की जनता के प्रदर्शनों से हुआ हो। अब उस पर चर्चा व्यर्थ है। परन्तु वर्तमान स्थिति क्या है? मेरा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र जब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक इजराइल तथा ब्रिटेन, फ्रान्स मिस्र की भूमि को छोड़ नहीं देते हैं। हमने इसी शर्त पर अपने भारतीय सैनिकों को भेजना स्वीकार किया है परन्तु अभी तक आक्रमकों ने मिस्र की भूमि को नहीं छोड़ा है। यदि स्थिति ऐसी रही तो हमारे सैनिक अपने कर्त्तव्यों को किस प्रकार पूर्ण करेंगे। मैंने यह प्रश्न प्रधान मंत्री से किया था, मुझे यह उत्तर मिला कि यह तो राष्ट्रपति नासिर पर निर्भर है कि वह किन शर्तों पर युद्ध विराम

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० लंका सुन्दरम्]

कराते हैं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि यदि उन्होंने गाजा, पोर्ट सईद, पोर्ट फुआद को नहीं छोड़ा है तो ठीक संधि नहीं हुई है।

मुझे खेद है कि अभी तक इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है कि मिस्र से हमारी मित्रता है तथा इस मित्रता के नाते हमने मिस्र को क्या सहायता दी है तथा इसी सम्बन्ध में मैं राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति की ओर निर्देश करना चाहता हूं। श्री राजगोपालाचारी चाहते हैं कि हमें राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिये। श्री जयप्रकाश नारायण का कथन है कि अब हमें अलग नहीं होना चाहिये। परन्तु स्थिति क्या है अब वह दिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन का किसी से युद्ध है तो भारत का भी उससे युद्ध है। इसीलिये मेरा विचार है कि जब हम, संयुक्त राष्ट्र में मिस्र का समर्थन कर रहे हैं तथा अंग्रेजों के आक्रमण का विरोध कर रहे हैं तब राष्ट्रमंडल में अपनी स्थिति को किस प्रकार न्यायसंगत बना सकते हैं। मेरा विचार है कि इस पर अब पूर्णतः विचार किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न——दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति——की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जसा कि मुझे ज्ञात हुआ ह कि दक्षिण अफ्रीका इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र को भी छोड़ने को उत्सुक है। गत ११ वर्षों से दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जिन से १२० करोड़ रुपये की हानि हुई है। क्या हम ब्रिटेन, फ्रान्स तथा इजराइल से यह नहीं कह सकते कि यदि गाज़ा, पोर्ट सईद-पोर्ट फुआद से नहीं हटते तो हम आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दें।

मैं फिर दोहराता हूं कि यदि हम आर्थिक प्रतिबन्ध लगायें, तो हमें राष्ट्रमंडल में रहने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि पिछले ग्यारह वर्षों से दक्षिण अफ्रीका के साथ हम राष्ट्रमंडल में रहते आये हैं और हमने आर्थिक प्रतिबन्ध के फलस्वरूप १२० करोड़ रुपये की हानि सहन की है। हमारे प्रधान मंत्री और भारत सरकार इस पहलु पर विचार करें और तब उसे आगे बढ़ायें।

मेरी इच्छा है कि इस वाद-विाद में साइप्रस, अल्जीरिया, ट्युनिशिया आदि की निकट-पूर्वी तथा अफ्रीकी समस्याओं पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाय। उन देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का हमारा उद्देश्य नहीं है किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि साइप्रस, अल्जीरिया और ट्युनिशिया की समस्याओं को सुलझाने के विषय में भी उसी तरह की चिन्ता व्यक्त की जानी चाहिये जो मिस्र के सम्बन्ध में व्यक्त की गयी है।

मैंने कहा है कि वाद-विवाद में कुछ कमी है क्योंकि यह सारा वाद-विवाद ही उस कमी पर आधारित है जो प्रधान मंत्री के वक्तव्य में पायी जाती है। पिछले चार-पांच दिनों से सभा में युद्ध और शांति की समस्याओं तथा हंगरी की जनता की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श हो तो रहा है किन्तु पड़ोसी देशों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पिछले कई वर्षों से धमकियां दी जा रही है। प्रधान मंत्री को खासकर सर फीरोज खान नून के वक्तव्यों पर ध्यान देना चाहिये और मुझे आशा है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय उन्हें उन वक्तव्यों का विश्लेषण करने तथा उनका उत्तर देने का अवसर मिलेगा। श्री फ्रैंक एन्थनी ने बिलकुल ठीक कहा है कि इस बात पर अवश्य ध्यान देना होगा कि किस प्रकार पाकिस्तान विशेषकर अमेरिका से प्राप्त ऐसे शस्त्रास्त्रों से और इतने बड़े परिमाण में, जो भारत के पास नहीं है, अपने को सुसज्जित कर रहा है और वह भी खासकर ऐसे समय में जब कि काश्मीर संविधान सभा ने काश्मीर के बारे में अन्तिम निर्णय किया है। अब वह समय आ गया है कि प्रधान मंत्री हमेशा के लिये यह घोषणा कर दें कि यदि पाकिस्तान ने ऐसी नीति अपनायी जिस से कि भारत को सारा ध्यान उसी ओर लगाना पड़े, तो उस नीति का आखिर तक विरोध किया जायगा। हमारे प्रधान मंत्री ने पहले एक बार युद्ध न करने की घोषणा का प्रस्ताव पाकिस्तान के समक्ष रखा था किन्तु पाकिस्तान ने वह अस्वीकार कर दिया। बाद

में उन्होंने सहकारिता और मित्रता के और कई प्रस्ताव रखे किन्तु वे भी ठुकरा दिये गये। अब जेहाद का प्रश्न आगे रखा जा रहा है और वह दिन प्रति दिन भयंकर रूप धारण कर रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की ओर से सर फीरोज खान नून के युद्धोत्तेजक तथा द्वेषपूर्ण भाषणों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मेरे विचार से, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने का अब समय आ गया है।

इस बात का मुझे बड़ा खेद है कि प्रधान मंत्री के गत शुक्रवार के और कल के भाषण में भारत में पुर्तगाली बस्तियों का कोई उल्लेख नहीं था। कलकत्ते में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में प्रधान मंत्री ने हमारे साथी श्री टी० के० चौधरी का, जो इस समय गोआ में पुर्तगाली जेलों में सड़ रहे हैं, उल्लेख किया था। गोआ की सीमा पर बांदा और अन्य स्थानों में जो भयंकर हत्यायें हुईं उसके ठीक २४ घण्टे बाद की घटनाओं से यह दिखायी पड़ता है कि नीति पूर्णतः बदल दी गयी है। आज नगर हवेली की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने है और इस उत्तरदायी सभा में हम में से किसी को इस प्रश्न पर ऐसे तर्क नहीं करने चाहियें जिन के कारण हमारा मामला बिगड़ जाये। तब से ऐसी घोषणाओं के अतिरिक्त कि "यथा समय गोआ हमारे अधिकार में आ जायगा" और कोई आवाज नहीं उठायी गयी है। किन्तु मैं पूछता हूं कि गोआ, दीव और दमन के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है।

आज प्रातःकाल मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि गोआ से चोरी-छिपे माल लाने ले-जाने के प्रश्न के उत्तर में मेरे माननीय मित्र श्री अ० प्र० जैन ने कुछ भी नहीं कहा। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि गोआ के न केवल सम्पूर्ण भू-सीमा पर बल्कि समुद्री सीमा पर भी चोरी-छिपे माल लाया ले-जाया जा रहा है। समुद्री सीमा पर उसे रोकने में हम निश्चय असमर्थ हैं किन्तु भू-सीमा पर तो हम उसे रोक सकते हैं। । इस प्रकार गोआ तट पर और सम्पूर्ण पश्चिमी तट पर चोर बाजार व्यापक रूप में फैला हुआ है और वह देश के अन्य भागों में भी फैल रहा है। किन्तु उससे बड़ी बात यह है कि वहां स्वातन्त्र्य योद्धाओं पर मुक्त रूप से अत्याचार किया जा रहा है जिस का नवीनतम उदाहरण कुमारी रामा हेगडे है, जिसे १५ वर्ष का कारावास का दंड दिया गया है। किन्तु उसके विरुद्ध किसी ने भी आवाज नहीं उठायी है। मेरे विचार से सभा को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जहां तक नगर हवेली तथा अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां गोआ की जनता की राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रयत्न हो रहा है और हमें तथा भारत सरकार को उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालनी चाहिये। आशा है कि प्रधान मंत्री तथा अन्य लोग इस विषय पर विचार करेंगे और तुरन्त ऐसी कोई ठोस कार्यवाही करेंगे जिस से भारतीय भूमि पर पुर्तगाली कब्जा अब एक क्षण भी कायम न रहे।

अन्त में मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री कामत** : यहां जो वाद-विवाद चल रहा है उसे मैं व्यर्थ समझता हूं। समाचार-पत्र से ज्ञात होता है कि रूसी सेना हंगरी में आगे बढ़ रही है। मैं नहीं जानता कि क्या हंगरी के बाद उनकी सूची पर रूमानिया का नाम है।

जब मैंने अपने माननीय मित्र श्री मुकर्जी का भाषण सुना तब मुझे १९४२ की याद आयी जब कि उनके दल ने स्वातन्त्र्य आन्दोलन को प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का नाम दिया था और नेता जी सुभाष बोस को फासिस्ट कहा था।

वारसा संधि का निर्देश करते हुए उन्होंने कहा कि हंगरी में रूसी सेना का हस्तक्षेप उस संधि के अनुसार न्यायोचित है। मैं सभा का ध्यान उस संधि के अनुच्छेद ४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

किसी सदस्य राज्य द्वारा आक्रमण की दशा में किसी राज्य द्वारा सशस्त्र सहायता का उपबन्ध है । उस अनुच्छेद में यह भी उपबन्ध है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को इस अनुच्छेद के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मंत्रणा दी जाये । किन्तु उस संधि में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि गृह-संघर्ष या आन्तरिक विद्रोह की स्थिति में किसी राज्य के सशस्त्र बल किसी दूसरे सदस्य राज्य में सैनिक हस्तक्षेप कर सकेंगे । अतः मेरे विचार से वारसा संधि के उपबन्धों की बात यहीं समाप्त हो जानी चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह खेद का विषय है कि प्रधान मंत्री और श्री कृष्णा मेनन ने हंगरी की जन-क्रांति का इन्हीं शब्दों में उल्लेख किया है । १० नवम्बर, १९५६ के इंडियन एक्सप्रेस नामक समाचारपत्र का समाचार है कि मार्शल बुलगानिन के व्यक्तिगत पत्र के आधार पर प्रधान मंत्री ने कलकत्ते में हंगरी की घटना को गृह-संघर्ष का नाम दिया । यह दुख की बात है कि उनके पास उस समय तक और कोई दूसरा प्रलेख न था और हमें अपने कार्यदूत से अपने शिष्टमंडल का प्रतिवेदन बाद में प्राप्त हुआ । मैं पूछता हूं कि केवल श्री बुलगानिन के पत्र के आधार पर ही यह निर्णय करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गयी । मुझे हर्ष है कि हमारे दल ने और सहयोगी श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रधान मंत्री पर से बुलगानिन का यह प्रभाव दूर करने में सहायता की है । हंगरी के कठपुतली प्रधान मंत्री श्री कादार के विरुद्ध जनता के आन्दोलन को हमारे प्रधान मंत्री ने घरेलू मामला कहा है । कोम्यबटूर में उनके भाषण से यही तात्पर्य निकलता है कि हंगरी सोवियत साम्राज्य का एक प्रांत है । यह आश्चर्य और दुर्भाग्य है कि हंगरी के मामले की श्री कृष्णा मेनन और गोआ के मामले में श्री डलेस एक दूसरे के प्रतिरूप मालूम होते हैं । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री के कल के भाषण से यह ग़लत धारणा अब दूर हो गयी होगी ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में संकल्प के पैरा १ पर सभी एशियाई-अफ्रीकी देशों और भारत तथा यूगोस्लाविया ने कोई मत नहीं दिया किन्तु सम्पूर्ण संकल्प मतदान के लिये रखे जाने पर, केवल इस भाग के कारण, जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया, भारत ने विरोध किया जब कि अन्य राष्ट्रों ने इस अन्तिम दशा में भी कोई मत नहीं दिया । इस पर शायद यही कहना होगा कि सम्पूर्ण एशियाई-अफ्रीकी समुदाय इस विषय में ग़लत चल रहा हो और केवल एकमात्र श्री कृष्णा मेनन ही ठीक चल रहे हों ।

३१ अक्टूबर को कम्यूनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री अजय घोष ने कहा था कि हंगरी की इस घटना का महत्व या उसका नैतिक प्रभाव कम करने से कोई लाभ न होगा तथा यह और भी शर्म की बात है कि रूसी सेना को बुलाना पड़ा । यह उनकी पहली प्रतिक्रिया थी । इस सारे मामले में मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि रूस ने मास्को में नेहरू-बुलगानिन घोषणा में और बाद में दिल्ली में बुलगानिन-ख्रुश्चेव-नेहरू संयुक्त घोषणा से अपने को पंचशील का समर्थक अनुयायी और इस मामले में भारत का मित्र घोषित किया, किन्तु उसने अब पंचशील के पहले ही सिद्धान्त का उल्लंघन किया है । यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाय, तो यह सब वाहियाती है । इसी समय भारत को रूस से अपना सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहिये और इस धोखेबाजी का दुनिया के सामने भंडाफोड़ करना चाहिये । वर्तमान घटनाओं से भारत की प्रतिष्ठा को, जो उसने गत नौ वर्षों में प्राप्त की है, एक भारी धक्का लगा है । हंगरी सम्बन्धी संकल्प के पैरा १ पर भारत का मतदान वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा पर एक आघात था । प्रधान मंत्री के वक्तव्य से कुछ ही अंशों में उस हानि की भरपाई हुई है किन्तु पूरी भरपाई होने में काफी समय लगेगा । आशा है कि प्रधान मंत्री के कल के भाषण से योरप के विचारकों तथा प्रधान मंत्री के बीच पुनः अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे ।

मैं प्रधान मंत्री को बताना चाहता हूं कि हंगरी में जो कुछ हुआ वैसा ही दुनिया के दूसरे हिस्से में भी हुआ था। १९५० में हमारे प्रधान मंत्री ने तिब्बत से आये शिष्टमंडल को पेकिंग जाने के लिये सलाह दी, किन्तु उसके पेकिंग पहुंचने के पहिले ही चीनी कम्यूनिस्ट सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। ऐसी ही बात हंगरी में हुई। रूसी सरकार ने बताया कि सेना हटाने के सम्बन्ध में वह श्री नाज से बात-चीत कर रही है किन्तु एकाएक मध्य रात्रि में उसने हंगरी पर भीषण आक्रमण कर दिया। पंचशील का समर्थन करने वाले रूस ने इस प्रकार नीति अपनायी है और यही समय है कि हम रूस की इस प्रकार की कुनीति के कारण उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें और उसके कार्यों की खुली निन्दा करें। १८४८ में कार्ल मार्क्स ने कम्यूनिस्ट घोषणापत्र में कहा था कि योरोप के समक्ष साम्यवाद का हौवा उपस्थित है किन्तु १९४८ से योरोप के सामने कम्यूनिस्ट साम्राज्यवाद का हौवा उपस्थित है। हम एशियावासी इस कम्यूनिस्ट साम्राज्यवाद का सामना करेंगे और उसे परास्त करेंगे और सारे विश्व का नहीं तो कम से कम एशिया और अफ्रीका का, शांतिपूर्ण साधनों से लोकतन्त्रात्मक समाजवादी क्रांति द्वारा पुनर्निर्माण करेंगे ताकि मानवीय स्वतन्त्रता और शांति सुरक्षित रहे।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : कल के कुछ भाषणों से यह धारणा हुई है कि हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार की नीति एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों के स्वातन्त्र्य-आन्दोलनों के लिये उतनी संतोषजनक नहीं है। किन्तु यह बात नहीं है। कुछ महीने पहले अमेरिका तथा योरोप और अफ्रीका के दौरे से मुझे यह दिखायी पड़ा है कि एशिया और अफ्रीका के प्रत्येक देश ने हमारी विचार-धारा का समर्थन किया है और स्वातन्त्र्य युद्ध के लिये उसे एक शक्तिशाली बल समझा है। अतः यह कहना कि हमने जो कुछ किया है वह पर्याप्त नहीं है, ग़लत है। मैं समझता हूं कि हमने यथाशक्ति सब कुछ किया है। वास्तव में पिछले दस वर्षों में हमने जो नीति अपनायी है वह एशिया और अफ्रीका में स्वतन्त्रता का अधिक क्षेत्र बढ़ाने के लिये है।

अमेरिका में भी मैंने यह देखा कि वहां की जनता हमारे देश से मैत्री रखने के लिये बहुत उत्सुक है। उन्होंने यह समझ लिया है कि न केवल एशिया बल्कि अफ्रीका में भी हमारा देश सब से आगे है और सभी छोटे राष्ट्र यह समझते हैं कि उन पर विपत्ति के समय हमारा देश उनकी सहायता करेगा और उनका समर्थन करेगा। किन्तु कुछ तत्व ऐसे हैं जो कदाचित् द्वेष के कारण या अन्य बातों के कारण हम से सहमत नहीं हो सकते। उस तरह के कुछ लोग यह कहते हैं कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में हाल ही का एक उदाहरण सीनेटर नोलैंड का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री मेनन रूसियों के प्रवक्ता हैं। सीनेटर नोलैंड के लिये व्यक्तिगत रूप में ऐसी बात कहनी उचित नहीं थी। मैं जानता हूं कि अमेरिका में राजनैतिक पद्धति संयुक्त उत्तरदायित्व की नहीं है—किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय ऐसी बात कहना अनुचित है।

हमारे प्रधान मंत्री अभी अमेरिका जाने वाले हैं—हमें आशा है कि वहां उनके जाने से विश्व शांति और दृढ़ होगी।

आजकल राष्ट्रमंडल तथा हमारे सम्बन्धों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है—यह ठीक है कि ब्रिटेन ने मिस्र पर खुल्लमखुला आक्रमण किया है—किन्तु वहां पर भी 'लेबर' दल इस का घोर विरोध करता रहा है। इसलिये जब हम इंग्लैंड की बातें करें तो हमें यह नहीं समझना चाहिये कि केवल 'कंजरवेटिव' दल ही इंग्लैंड है। यदि हम 'लेबर' दल को देखें तो उस दृष्टिकोण से अभी राष्ट्र-मंडल छोड़ने का समय नहीं आया है। हां, एक बात जरूर है कि अभी तक कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडल)

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री हेडा]

की बैठकें केवल लन्दन में ही होती रही हैं—यह बात ठीक नहीं है—क्योंकि राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य अब बराबर के हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में बैठकें सभी देशों में बारी-बारी हुआ करेंगी।

जहां तक हंगरी के मामले का सम्बन्ध है—हमारे प्रधान मंत्री की जो नीति है सभी उसका समर्थन करते हैं। पहले पहल मामलात स्पष्ट नहीं रहे। वास्तव में इन "जनता के लोकतन्त्र" कहलाने वाले देशों में विरोधी दल नहीं होते—इसलिये यह जानना बड़ा कठिन हो जाता है कि लोगों की राय क्या है और कौन-सी सरकार जनता की अपनी है तथा कौन-सी लादी गई है। किन्तु अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि वहां जो आन्दोलन चला है वह वास्तव में जनता का आन्दोलन है। अब हंगरी के मामले में सभी को एकमत हो जाना चाहिये।

कल हमने बर्मा के प्रधान मंत्री का भाषण सुना—उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिये दुनिया में उपनिवेशवाद समाप्त होना चाहिये, सैनिक गुटबन्दियां समाप्त होनी चाहियें तथा आर्थिक संतुलन ठीक होने चाहियें। मध्य-पूर्व में झगड़े का वास्तविक कारण यह है कि इजराइल के पास जरूरत से ज्यादा हथियार थे। इसी प्रकार पाकिस्तान को अत्यधिक हथियार भेजे जा रहे हैं। हो सकता है कल पाकिस्तान आक्रमण कर बैठे। उनके लिये झगड़ा छेड़ने को काश्मीर का प्रश्न बड़ा ही सरल है। काश्मीर की निर्वाचित संविधान सभा का मत अन्तिम होना चाहिये और हमारे प्रधान मंत्री को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि अब भविष्य में काश्मीर के बारे में कोई बात न उठे।

अब मैं गोआ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारी नीति यद्यपि स्पष्ट है—किन्तु कठिनाई लोगों को समझाने के बारे में होती है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं वहां भी एक बार गोआ जैसी स्थिति पैदा हुई थी। उस समय भी सरकार ने शांति आदि की बातचीत की—हम यही सोचा करते थे कि क्या खराबी है? किन्तु थोड़े समय बाद ही पुलिस कार्यवाही हुई और मामला ठीक हो गया। अभी तक गोआ के बारे में भी शांतिपूर्ण तरीकों से सफलता नहीं मिली है—आखिर हमारे नेताओं को ही इस का हल करना होगा।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला–शिमला): आज सभी लोगों की जुबान पर एक ही प्रश्न है—यह स्थिति कैसे पैदा हुई और इसका हल क्या है? इस सभा में बहुत महत्वपूर्ण मामले पर वाद-विवाद हुआ है—जिसका अभिप्राय यह है कि दुनिया में शांति होगी या सर्वनाश। हमें यह देखना है कि मनुष्य क्या है? क्या वह नेकी का पुतला है अथवा उसमें बुराई ही बुराई है। वास्तव में दोनों चीजें मनुष्य में मौजूद हैं। आरम्भ से ही मनुष्य लड़ता आया है—उसकी अपने ही जैसे मनुष्यों के रक्त की प्यास अभी पूर्णतया नहीं बुझी—कुछ कम अवश्य हुई है। इस शताब्दी से पूर्व की उन्नीस शताब्दियों में साधारण युद्ध हुए—सब से महान् युद्ध इसी शताब्दी में हुये—पहले युद्धों में केवल सेनायें लड़ती थीं किन्तु आज की लड़ाई में नागरिक—स्त्री पुरुष बच्चे सभी काम आते हैं। आणविक शस्त्र बनने से और भी मामला खराब हो चुका है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तो जीवन का है और दूसरा स्वतः सर्वनाश करने का है। युद्ध की काली घटायें चहुं ओर मंडरा रही हैं—क्या कोई आशा दिखाई पड़ती है? युद्ध से कुछ लाभ नहीं होता। पिछली शताब्दी में कुछ लोगों का यह मत था कि युद्ध की तैयारी से शांति स्थापित होती है। यह सिद्धान्त ग़लत सिद्ध हुआ है। पारस्परिक घृणा, अविश्वास तथा लालच की वृद्धि हो रही है। यदि इसे रोका जा सकता है तो केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता है अर्थात् एक दूसरे की बात सहन की जाये, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान किया जाये। भारत ने जो मिस्र का समर्थन किया है—उसका अर्थ यह नहीं है कि हम मिस्र के ही अधिक मित्र हैं। वास्तव में मिस्र आक्रमण

†मूल अंग्रेजी में।

का शिकार बना है। भारत ने स्पष्टतया यह बात प्रकट कर दी है कि यदि इन्सान को जिन्दा रहना है तो सिद्धान्तों को कायम रखा जाये।

हम जब भी कोई आवाज उठाते हैं वह किसी गुटबन्दी के आधार पर नहीं होती--किन्तु हमारी हरेक बात सिद्धान्तों पर आधारित होती है।

अब हमारे तथा राष्ट्रमंडल के सम्बन्धों की बात पर यहां विचार हुआ है। हमें हर बात पर वस्तुनिष्ट दृष्टिकोण से विचार करना है। केवल भावुकता तथा क्रोध या आवेश में आकर हमें कुछ नहीं करना चाहिये। यदि इंग्लैंड का अर्थ केवल "टोरी" दल होता तो यह बात ठीक थी। हमें इस मामले में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। हां, यदि हम सोचें कि हम राष्ट्रमंडल में रहकर कुछ लाभदायक काम नहीं कर सकते तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। हमें केवल इंग्लैंड की कार्यवाही के कारण राष्ट्रमंडल छोड़ना नहीं चाहिये। यह बात ठीक है कि इन दिनों इंग्लैंड ने कुछ ऐसे काम किये हैं जिनसे समस्त संसार दुखी है। इंग्लैंड में भी इसका विरोध किया जा रहा है।

फ्रांस का रवैया और भी खराब रहा है। फ्रांस के लिये ऐसी कार्यवाही घातक है। फ्रांस के नेता इससे होने वाली हानि पर ध्यान नहीं दे रहे।

जहां तक हंगरी का सम्बन्ध है यह बड़े दुख की बात है कि वहां निरपराध लोगों का रक्त बहाया गया।

हमारे प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं--उनके आचरण की भी कुछ आलोचना हुई है। इस आलोचना का कारण यह है कि अभी हमें तथ्यों का ज्ञान नहीं है--श्री कृष्णा मेनन ने ८ नवम्बर को अपने भाषण में कहा था कि हमने संकल्प पर मत इस कारण नहीं दिया क्योंकि उसके कुछ भागों से हम सहमत थे और कुछ से असहमत। इसलिये इससे यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिये कि हमें मामले में कोई रुचि नहीं हैं। उन्होंने दोबारा इस बात को स्पष्ट किया कि यदि संकल्प के भाग अलग-अलग रखे जाते तो हम उनका समर्थन करते--- किन्तु इसमें कई मामले ऐसे थे जिन का समर्थन हम नहीं कर सकते थे इस कारण हमने इस पर मत नहीं दिया।

इस बात पर विचार करते हुए---क्या यह कहा जा सकता है कि उन्होंने गलती की ? मेरे विचार में उनका मार्ग ठीक था।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सावधान रहना चाहिये। पाकिस्तान, इजराइल का सा व्यवहार कर सकता है। वहां के विदेश मंत्री के वक्तव्य हाल ही में कुछ ऐसी ही बातों से भरे थे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर "सत्यमेव जयते" के शब्द लिखे हैं--उनके लिखे जाने के समय हमने यह नहीं सोचा था कि हमें---

"सत्यम् ब्रूयात प्रियं ब्रूयात,
माब्रूयात सत्यम प्रियम्।"

की नीति का सामना करना पड़ेगा। हमारे प्रधान मंत्री ने अब एक सप्ताह बाद स्थिति स्पष्ट की है--किन्तु मैं श्री कृष्णा मेनन के वक्तव्य का कारण अभी तक नहीं समझा हूं।

९ नवम्बर को हंगरी के संकल्प के बारे में श्री कृष्णा मेनन ने कहा था कि हंगरी से विदेशी सेनायें वापस बुलाने में जो रुकावट होगी वह सामान्य प्रयोजनों के विरुद्ध होगी। संकल्प के पहले

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

भाग का आशय यह था कि रूस अपनी सेनायें हंगरी से वापस बुला ले। इस बात को देखते हुए हम यह नहीं समझ सके कि उन्होंने किस प्रकार क्यूबा के संकल्प का समर्थन न किया।

आज सब लोग कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिये—मैं इस बात को भी नहीं समझ सका हूं—यदि हमारा कोई मित्र आज गलती करता है—तो उससे सम्बन्ध तोड़ देना ठीक नहीं है। राष्ट्रमंडल छोड़ देने का यह कोई पर्याप्त कारण नहीं है। श्री मुकर्जी के भाषण से एक पहलू का पता लगा है—किन्तु वास्तव में साम्यवादी दल की आत्मा लाखों लोगों की मृत्यु से नहीं पिघली—वे केवल क्रांति चाहते हैं। हमने ऐसे व्यक्तियों से बातचीत की जिन के हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे हैं। हम यह सब न भी कर सकते थे।

आचार्य कृपालानी ने एक बात ठीक ही कही है कि हमारे इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध अभी तक क्यों नहीं हैं। यह राज्य स्थिर हो चुका है। हमने पाकिस्तान बनाये जाने का विरोध किया—किन्तु फिर हमने पाकिस्तान को माना और उससे राजनयिक सम्बन्ध भी कायम किये। इसी प्रकार इजराइल भी कायम हो गया है और प्रगति कर रहा है। मिस्र भी हमारा मित्र है किन्तु उसने इजराइली जहाजों के लिय स्वेज नहर बन्द की—इसी कारण इजराइल ने आक्रमण किया जो कि प्राकृतिक था।

यहां मेरा आशय आक्रमण का समर्थन करना नहीं है किन्तु इससे हमारी आंखें खुलनी चाहियें। छोटे-छोटे देश भी अपनी रक्षा के लिये हथियार उठा सकते हैं। यह शिक्षा हमें लेनी चाहिये। ब्रिटेन के बनाये राष्ट्र सीरिया, जोर्डन आदि भी आज उसका विरोध कर रहे हैं—और यहां हम पंचशील का प्रचार कर रहे हैं। हमें भी मजबूत होना चाहिये और स्पष्ट बात कहनी चाहिये।

क्या हमें रूस से मित्रता रखनी चाहिये? क्यों नहीं? जब हम राष्ट्रमंडल में रहते हैं तो फिर रूस से मित्रता रखने में क्या आपत्ति है। यदि रूस हमारी बात माने तो अच्छा है।

यह सच है कि हमने स्टालिनवाद तथा उसके विरोधीवाद के बारे में बहुत बातें कीं। हमें अपनी सीमा में रहना चाहिये था। किन्तु इस संसार में हम अलग-अलग नहीं रह सकते।

इसलिये हमें न राष्ट्रमंडल से अलग होना चाहिये और न रूस से मित्रता भंग करनी चाहिये। रूस को बताना यह चाहिये कि उनका आचरण ठीक नहीं रहा और भारत इसका पूर्ण विरोध करता है।

अगला प्रश्न यह है कि क्या हम मिस्र से ऐसी स्थिति में मित्रता रख सकते हैं जब कि वह इजराइल को नष्ट करने पर तुला हुआ है। हमें यहां भी सत्य बोलना चाहिये।

और फिर क्या हम मिस्र की प्रभुता में हस्तक्षेप सहन कर सकते हैं? मेरे विचार में यह असहय बात है—किन्तु राष्ट्रीय प्रभुता दूसरे के हितों में बाधक नहीं होनी चाहिये। मिस्र वालों का रवैया यह नहीं होना चाहिये कि वे स्वेज नहर में से जहाज गुजरने के मामले में मत-भेद की नीति का अनुसरण करें।

क्या हंगरी क आक्रमण को सहन किया जा सकता है—नहीं सहा जा कता—हंगरी में अत्यधिक अमानुषिक अत्याचार हुए हैं। नाज सरकार के समय सब यह सोचते थे कि रूसी सेनायें वापस भेजी जायेंगी—किन्तु अकस्मात ही नई सरकार वहां बनी और रूसी सेनायें दोबारा वहां आ गईं—क्या हम इन बातों को सहन करें?

कुछ मित्र चाहते हैं कि हम राष्ट्रमंडल छोड़ दें---किन्तु प्रश्न यह है क्या इससे कोई बात हल हो जायेगी । क्या हमें इससे कुछ लाभ होगा ? आचार्य कृपालानी ने बर्मा का उदाहरण दिया । राष्ट्रमंडल से निकल जाने के कारण बर्मा को कोई कठिनाई नहीं हुई---किन्तु वहां की स्थिति बर्मा वाले ही अच्छी तरह जानते हैं---उन्हें दक्षिण से कम्युनिस्टों के घुस आने का भय है---हर जगह चीनी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में वे स्वयं अपने हालात समझ सकते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा है कि क्रान्ति के लिये लाखों लोगों को नष्ट करना आवश्यक है। यदि ये लोग हमारे देश में रहें और एक कठपुतली सरकार की स्थापना के लिये रूसी सहायता की मांग करते रहें और फलस्वरूप रूसी सेनायें हमारे देश में आ गईं तो यह अच्छी बात न होगी। हम वैसी क्रान्ति नहीं चाहते हैं, जैसी क्रांन्ति वह चाहते हैं। हमें उसके बिना ही शान्ति से रहने देना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उपाध्यक्ष महोदय, हमारी नीति के सम्बन्ध में और विशेष रूप से पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान हमारी सरकार द्वारा जो नीति अपनायी गई उसके सम्बन्ध में जो बहुत से सद्-भावना के शब्द कहे गये हैं उनके लिये मैं सदन का आभारी हूं।

जब मैंने अपने प्रस्ताव पर भाषण दिया था तो मैंने स्थिति की गम्भीरता की ओर संकेत किया था और उस पर कुछ ज़ोर दिया था। यह गम्भीरता केवल इस कारण नहीं है कि यह युद्ध और शान्ति का प्रश्न है बल्कि इसलिये है कि इसमें बहुत सी गहरी समस्यायें अर्न्तग्रस्त हैं और मैंने सभा से उन समस्याओं पर इस प्रसंग में विचार करने की अपील की थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने, कुछ बार, कुछ हल्केपन से बातें कहीं हैं जैसे कि यह मामला हंसी मजाक का हो। कुछ ने पुराने संसार के चित्रमय ढंग से भाषण दिया है, जैसा कि वे प्राय: बोलते हैं, और उसका आज के तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे याद दिलाया गया कि प्रथम बातों को हमें पहिले लेना चाहिये। मैं भी कहता हूं, जी हाँ। प्रथम बातों को पहिले लेन चाहिये। परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि बहुत से माननीय सदस्य प्रथम बातों को अपने सामने पहिले नहीं रखते हैं, बल्कि वे ९वीं, १०वीं, ५०वीं और १००वीं बातों को रखते हैं। विचारधारा की जिस लीक में वे धंसे रहे हैं वे उससे कभी बाहिर नहीं निकलते हैं। श्री कामत ने अस्पष्ट रूप से यह कहा कि वे लोकतन्त्रात्मक समाजवाद के एक निडर नए संसार की स्थापना करने जा रहे हैं। इस कार्य में मैं उनके लिये शुभकामनायें प्रकट करता हूं। हाल ही में क्या हुआ है ? इंग्लैण्ड जैसा देश जो अपने लोकतन्त्रवाद पर गर्व करता था उसने लोकतन्त्रवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। फ्रांस जैसा देश, जिसका एक बड़ा समाजवादी दल है, अल्जीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका समर्थन करने के अतिरिक्त मिस्र के इस आक्रमण का समर्थन करता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में समाजवाद और समाजवादी दल की स्थिति क्या है।

जहां तक साम्यवाद का सम्बन्ध है, इस सैनिक कार्यवाही को छोड़ कर जिसमें वह निरत हुआ है, जैसा कि मैंने पहिले कहा था, इसने कुछ ऐसी बातें की हैं जिन्होंने बहुत से साम्यवादियों के गहरे विश्वास की जड़ें उखाड़ दी हैं, इसलिये आप धारणाओं के इस उखड़ने को और उन लोगों के मन के गम्भीर संकट को देख रहे हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें किसी बात का समझाना असम्भव है—नि:सन्देह वे ऐसे लोग हैं जो पुरानी सर्वविदित बातें आदि दोहराते हैं। भौतिक संसार के गहरे संकट को छोड़ कर जो युद्ध की ओर ले जा सकता है, सभी जगह मन का यह गहरा संकट विद्यमान है।

श्री अशोक मेहता जैसे माननीय सदस्यों द्वारा हमसे पूछा गया है कि हमने अल्जीरिया में क्या किया है, साइप्रेस में क्या किया है या इससे पहिले आपने इजराइल में क्या किया है। उन्होंने यह ऐसे ढंग से पूछा है जैसे कि भारत सरकार समस्त विश्व का एक प्रकार से मालिक हो जो उसे आदेश देता है

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और कहता है कि यह करो और वह करो या जैसे कि वैकल्पिक रूप से भारत सरकार माननीय सदस्य के दल की भांति एक प्रकार की वाद-विवाद सभा है जो मिल बैठती है, संकल्प स्वीकार करती है और फिर बिना किसी उत्तरदायित्व के आराम से सो जाती है। हमारी सरकार एक उत्तरदायी सरकार है, वह देश के प्रति उत्तरदायी है और संसद् को उत्तरदायी है। एक गम्भीर संकट के सम्बन्ध में हमें एक उत्तर-दायी ढंग से बात करनी होती है। और पहिली बात युद्ध को रोकना है और लोकतन्त्रवाद, साम्यवाद, स्वतन्त्रता या किसी अन्य बात की ज़ोरदार शब्दों में बात करना नहीं है, क्योंकि यदि युद्ध छिड़ता है तो वे सभी बातें समाप्त हो जाती हैं। यदि युद्ध हो तो कोई लोकतन्त्रवाद नहीं रहता है, कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती है अर्थात् किसी प्रकार की वांछनीय बात नहीं रहती है। यह मुख्य बात है।

माननीय सदस्य कहते हैं, आप क्यों नहीं जाते और ऐसा क्यों नहीं करते ? इसका कारण यह है कि हम सर्वप्रथम हर एक बात को परखते हैं कि क्या इससे स्थिति में सुधार होगा या अधिक कठिन स्थिति उत्पन्न होगी और कहीं वह बात युद्ध की ओर ले नहीं जायेगी। यह वह पहिली बात है जिसे हम देखते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी सिद्धान्त का परित्याग करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे अवसर उपयुक्त हो या न हो, चिल्ला-चिल्ला कर सिद्धान्तों का ढिंढोरा नहीं पीटता है। कोई भी व्यक्ति केवल इसी कारण संसार की सभी बुराइयों की चर्चा नहीं करता कि उसे वे पसन्द नहीं हैं।

स्वयं भारत में सैंकड़ों बुराइयां हैं। हम उन्हें जानते हैं और उसके लिये हमारी आलोचना की जाती है और हम उनकी चर्चा भी करते हैं। परन्तु एक दम ही हम उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। इससे पहिले कि हम उनका धीरे-धीरे क्रमशः निवारण कर सकें हमें एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी होती है और कठिन परिश्रम करना होता है। यदि हम ऐसा स्वयं अपने ही देश में नहीं कर सकते हैं तो समस्त संसार में हम उसे कैसे कर सकते हैं ?

हम जिस राजनीतिक और सैनिक संकट को देख रहे हैं उसके अतिरिक्त भी यदि हम संसार को देखें तो मैं कहूंगा कि यह एक बहुत ही साधारण बात है—हम एक पुराने संसार से नए संसार में भारी संक्रमण की कालावधि देखेंगे। क्या यह नये संसार की ओर ले जाने में सफल होगी, यह मैं नहीं कह सकता परन्तु यह स्पष्ट है—चाहे यह राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, अणुबम है—कि यह विशाल संक्रमण की कालावधि है और यही वह समय है कि हमारा दिमाग भी इस समय के अनुसार कुछ आगे बढ़े और इस सम्बन्ध में सोचें। इस समय पुरानी सभ्यता बदल रही है। मैं प्राचीन सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं, अब मेरा पुरानी सभ्यता से अभिप्राय वर्तमान सभ्यता है जो आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रूप से अच्छी या बुरी दिशा में बदल रही है। परन्तु तथ्य यह है कि यह बदल रही है।

उदाहरणार्थ आप अमेरिका को लीजिये जिसे पूंजीवाद में अत्याधिक धंसा हुआ देश कहा जाता है। सभी इस बात को जानते हैं कि आज अमेरिका पूंजीवादी देश है। परन्तु अमेरिका में आज का पूंजी-वाद ५० वर्ष पहिले के पूंजीवाद से कहीं विभिन्न है। वह अधिकाधिक समाजवादी रूप ग्रहण करता जा रहा है। वह एक विशिष्ट दिशा की ओर अग्रसर है क्योंकि वर्तमान संसार की समस्त प्रवृत्ति एक विशिष्ट दिशा में है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि मुझे यह पसन्द नहीं है। हो सकता है कि मुझे रूस में या इंग्लण्ड में विद्यमान कुछ बातें पसन्द न हों। परन्तु हमें इन बातों की ओर इस खंड या इस गुट में बैठे बिना उद्देश्यात्मक दृष्टि से देखना होगा। सर्वप्रथम स्वयं अपने लिये उनसे अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिये। हमें सोचना चाहिये कि स्वयं अपने देश में क्या करना है ?

दूसरे जहां कहीं भी हमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करना है, हमें इस देश या उस देश की निन्दा नहीं करनी है बल्कि शान्तिदायक ढंग से, सभ्यता से और मैत्री भाव से कार्य करना है और अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। हमें कुछ बार एक ऐसा विचार भी अभिव्यक्त करना है जो निन्दा करने के ही

लगभग है और हमारे लिये यह मजबूरी है। परन्तु प्रश्न यह है कि प्राचीन तथा नवीन में एक संघर्ष है। प्रत्येक देश में कुछ ऐसा है जो प्रकट हो कर सामने आ रहा है। सम्भवतः एक प्रकार से हम अमेरिका में प्रौद्योगिकीय संसार में इस बात का एक सब से अधिक उन्नत प्रतिरूप देखते हैं। रूस में यह कुछ विभिन्न है परन्तु फिर भी प्रत्येक एक विशिष्ट प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हम उन्हें किसी न किसी रूप में देखते हैं और केवल किसी रूप में ही नहीं बल्कि युद्ध और संघर्ष की विचारधारा सम्बन्धी बहुत सी कठिनाई के साथ देखते हैं और फिर भी हम देखते हैं कि दोनों एक नए समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्भवतः दूसरा देश इसका अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे लिये अच्छा भी हो सकता है या हमारे लिये बुरा भी हो सकता है। यदि आप में से कोई रूस संघ में गये हों तो आप वहां इस नई सभ्यता को विकसित होते हुए देखेंगे। वहां बुराई भी बहुत है और फिर भी यह नई सभ्यता विकास कर रही है और अपनी जंजीरों को तोड़ने का प्रयत्न कर रही है।

इसका रुचिकर तथा आकर्षक पहलू यह है कि वह धीरे-धीरे अपनी जंजीरों को तोड़ रही थी। हो सकता है वह सफल न हो और कुछ और बात बीच में आ जाये। परन्तु क्या मैं इतना शक्तिशाली या नासमझ हूं कि अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड की इस कारण निन्दा करता फिरूं कि मुझे उनकी कोई विशेष बात पसन्द नहीं है और मैं अपने आपको लोकतन्त्रवाद और समाजवाद और शेष सभी गुणों में, जो किसी देश या व्यक्ति में हो सकते हैं, परिपूर्णता की एक अन्तिम प्रतिमा समझता हूं ?

कई बार लोग हम पर अभियोग लगाते हैं और कहते हैं "ओह, आप बहुत प्रकृष्ट बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, या जैसा कि कहावत है 'जितने पावन हो उससे अधिक पावन' बनने का प्रयत्न कर रहे हो"। हम अपनी अपूर्णताओं को अच्छी तरह से जानते हैं और अपूर्णतायें अन्य देशों की अपूर्णताओं से बड़ी हैं। हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिये क्योंकि यदि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते तो हम कभी विकास नहीं कर सकते और हम अभी विकास नहीं करेंगे। दूसरे देश हम से कई प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक ऊंचे हैं और हम भी कुछ प्रकार से बड़े हो सकते हैं। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह बात पसन्द नहीं है कि हम सन्तुष्ट भाव से बैठे रहें और फिर यह सोचते रहें कि हम यद्यपि भौतिक रूप से बड़े नहीं तथापि हम आध्यात्मिक रूप से बड़े हैं और चाहे हम निर्धन ही हैं। परन्तु यदि हम वास्तव में आध्यात्मिक रूप से विकास करते हैं तो भौतिक बातों का कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि हम ठीक अर्थों में आध्यात्मिक रूप से बड़े नहीं इसलिये यही कारण है कि हम दूसरों में कोई ऐसी बात देखते हैं जिसकी हम निन्दा करते हैं या आलोचना करते हैं।

हम कभी-कभी अपनी राय प्रकट करने का साहस करते हैं, ठीक है, हम अपना विचार प्रकट करते हैं। और क्यों करते हैं ? इसके दो कारण हैं : पहला कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक देश को यह अधिकार है कि वह अपना विचार प्रकट करे और विचारों कीप्रवाह में से कुछ बार सत्यता निकल आती है। दूसरा कारण यह है कि हमारी स्थिति ऐसी है--और यह हमारा एक सद्गुण है--कि हम इस देश या उस देश की घृणा से नहीं भरे हैं, और यदि कोई देश घृणा और भय से भरा हो तब उसका मस्तिष्क अटक जाता है। वह स्पष्ट रूप से कुछ नहीं सोच सकता है। मैं पूर्ण विनम्रता से यह कहता हूं कि अमेरिका में रूस के बारे में बिल्कुल वैसे ही स्पष्ट विचारधारा नहीं है जैसे कि अमेरिका के बारे में रूस में स्पष्ट विचारधारा नहीं है। कारण यह है कि दोनों के मन कोष से सटे पड़े हैं, एक दूसरे से भय और घृणा से भरे हुए हैं। स्वाभाविकतः परिणाम यह है कि सोचना विचारना बिल्कुल ही रुक गया है। मैं यह नहीं कहता कि स्थायी रूप से यह रुकावट उत्पन्न हो गई है परन्तु मैं एक अस्थायी प्रावस्था की बात कह रहा हूं। मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि यदि वे एक दूसरे को और अधिक समझ लें--इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि वे सहमत होते हैं या नहीं और सम्भवतः वे बहुत सी बातों में सहमत भी नहीं होंगे--तो घृणा और मिथ्या धारणायें दूर हो जायेंगी और वे अन्य किसी बात के अतिरिक्त इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

एक बात को अधिक समझने लगेंगे कि दूसरा देश, चाहे वह कोई सा भी है, अपने विचार में कितना ही ग़लत क्यों न हो, एक जागरूक देश है, विकास की ओर अग्रसर देश है, उसकी कुछ ऐसी नवीनता तथा सार्थकता है कि उसका अध्ययन करना होगा और उससे कुछ सीखना होगा। यही महत्वपूर्ण बात है। यही कारण है कि हमने सदैव सम्बन्धों तथा परस्पर बोध को प्रोत्साहन देने की चेष्टा की है।

अब जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमें यह लाभ प्राप्त है और अन्य देशों को भी या कम से कम उन में से कुछ को भी यह लाभ प्राप्त है कि हम मैत्री भाव से अन्य देशों से सम्पर्क प्राप्त कर सकते हैं। हम उनसे सहमत होते हैं या नहीं यह एक गौण बात है। क्योंकि हम उनके साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से और एक ग्राह्य ढंग से बात कर सकते हैं, हम उस सम्बन्ध और सम्पर्क से लाभ उठा सकते हैं। हम उन्हें समझ कर लाभ उठा सकते हैं, चाहे कुछ ही हो जहां तक हम से हो सकता है, हम प्रतिकूल प्रभाव की रुकावटों को दूर करते हैं।

जिस सब से अधिक खतरे से संसार पीड़ित है, वह शीत युद्ध है। कारण इसका यह है कि शीत युद्ध लौह-आवरण या ईंटों की दीवार या किसी जेलखाने से कहीं बड़ी मानसिक रुकावट खड़ी करता है। यह ऐसी मानसिक रुकावटें उत्पन्न करता है जो एक दूसरे की स्थिति को समझने से इन्कार करती हैं, जो संसार को फ़रिश्तों और शैतानों में बांटती हैं कि हम फ़रिश्ते हैं और अन्य लोग शैतान हैं। हम यह मान सकते हैं कि हम में फ़रिशतों जैसी कुछ बात है, हममें कुछ ईश्वरीय देन है, परन्तु हम में बहुत हद तक शैतान भी भरा है। हम चाहे एक देश हों या एक व्यक्ति हों, असली बात यह है कि हमें, हम में जो अच्छाई है, उस पर ज़ोर देना चाहिये और उससे काम लेना चाहिये और अन्य व्यक्तियों की भी अच्छाई ग्रहण करनी चाहिये और इस प्रकार बुरे पहलुओं का दमन करना चाहिये।

मेरे विचार से यह हमारे देश, हमारी संसद् और हमारी जनता का एक गुण है। हम भयभीत नहीं हैं। हमें किसी देश से घृणा नहीं है। हम किसी देश को नापसन्द भी नहीं करते हैं। हम कोई एक आध चीज़ भले ही नापसन्द करें किन्तु किसी देश विशेष को नापसन्द नहीं करते हैं। इसलिये हमारा हृदय अन्य देशों की अपेक्षा अधिक ग्रहणशील है। भले ही वह साम्यवादी, साम्यवाद का विरोधी असाम्यवादी अथवा समाजवादी राष्ट्र हो। मेरे विचार से यह हमारा एक अच्छा गुण और एक अच्छी प्रजातन्त्रीय परम्परा है। इस परम्परा की समाप्ति से विश्व का भला नहीं होगा और युद्ध छिड़ जायेगा तथा सत्य पर कुठाराघात होगा। युद्ध में सर्वप्रथम सत्य की बलि होती है जिनके उपरान्त कई सद्गुणों की यही दशा होती है। शीत युद्ध में भी सत्य की यही दशा होती है तथापि इतनी नहीं, क्योंकि तब अवरोध इतना तीव्र नहीं होता है और किसी न किसी रूप में विचारों का आदान-प्रदान जारी रहता है। तथापि इससे व्यक्ति का मन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। इसी कारण इन युद्धों तथा शीत युद्धों से क्षति होने के अलावा विश्व तथा मानवता को बहुत हानि हुई है। शीत युद्ध के ही परिणामस्वरूप राष्ट्रों की गुटबन्दी, भय तथा अस्त्रों की दौड़ व सन्धियां हुई हैं। हम कहते हैं कि कोई सैनिक सन्धि अथवा समझौता नहीं होना चाहिये। वस्तुतः सच्चे अर्थों में हम यही चाहते हैं, मैं जानता हूं कि हमारे यह कहने से भी दूसरे पक्ष वालों को भय होता है।

कोई भी राष्ट्र धन का, जब कि उसका अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है, उसे शस्त्रों पर व्यय नहीं करना चाहता है। लेकिन वे ऐसा इसलिये करते हैं कि उन्हें यह भय बना रहता है कि यदि वे ऐसे नहीं करेंगे, तो अधिक खतरा होने की संभावना है। मेरे विचार से ऐसा होना सम्भव नहीं है। रूस के भय से 'नाटो' सन्धि की गई, रूस और चीन के भय से ही 'सीटो' और 'बगदाद सन्धि' की गई। मेरे विचार से इस सभा के सदस्यों में से अधिकांश व्यक्तियों का यह विचार है कि उस विशेष भय अथवा आशंका का सामना करने के लिये यह तरीका सब से बुरा है। घटनाओं से भी यह सिद्ध हो गया है।

वस्तुतः उलटी बात हुई है। 'नाटो' तथा 'बगदाद संधि' के भय से ही 'वारसा सन्धि' की गई है। इस प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।

मेरे विचार से रूस के नेताओं ने कहा था "कि यदि जर्मनी से विदेशी सैनिकों को हटा लिया जाये तो हम पूर्वी यूरोप—पोलेंड, हंगरी, रूमानिया तथा अन्य प्रत्येक देश से समस्त सैनिक हटा लेंगे"। आप इस बात पर भले ही हंसें तथापि इसमें कोई बात अवश्य है। वह इसलिये डरते हैं क्योंकि अमेरिका डरता है। मुझे अवश्य ही ऐसा विश्वास है कि अन्त में सभी सैनिकों को हटा दिया जायेगा

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आज पोलेंड के प्रधान मंत्री तथा रूस के प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं द्वारा उनकी वारसा यात्रा के दौरान हाल ही में दिये गये संयुक्त वक्तव्य का पूरा पाठ पढ़ रहा था। मैं इसे आपको भी सुनाऊंगा क्योंकि यह इस मामले से सम्बन्धित है इसलिये नहीं कि इससे मेरा मत प्रकट होता है, अपितु इस से पोलेंड वासियों की भावनाओं का भी पता चलता है।

> "दोनों पक्षों (पोलेंड की सरकार और रूस की सरकार) ने पोलेंड के राज्य क्षेत्र में रूसी सेना की टुकड़ियों की अस्थाई उपस्थिति से सम्बन्धित प्रश्नों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने यह मत व्यक्त किया है कि अभी तक ऐसा कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हुआ है जिससे कि यूरोपीयन राज्यों को जर्मनी में पुनर्सैन्यीकरण के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिभूति दे। प्रति-शोध चाहने वाले लोगों के द्वारा यूरोपीय राज्यों के बीच की सही-सही सीमाओं और पोलेंड की स्थापित और वर्तमान पश्चिमी सीमा के सम्बन्ध में निरंतर प्रश्न पूछा जाना भी यूरोप के देशों के आपसी सम्बन्धों को सामान्य स्थिति में लाने के बारे में बहुत बड़ी बाधा है।"
>
> "दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह स्थिति तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण पोलेंड में रूस की सेना की टुकड़ियों की अस्थायी उपस्थिति आवश्यक है, यह अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि और समझौतों के अनुसार जर्मनी में रूसी सेनाओं की उपस्थिति और आवश्यकता से सम्बन्धित है।"

भले ही यह बहाना हो तथापि इससे भय का विद्यमान होना स्पष्ट प्रगट होता है। कई माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि पोलेंड की वर्तमान पश्चिमी सीमा को जर्मनी ने कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने चुनौती दी है और कहा है कि हम यह क्षेत्र वापस लेंगे। मैं इस प्रश्न के औचित्य के सम्बन्ध कोई मत नहीं देना चाहता हूं। किन्तु इन समस्याओं की पृष्ठ भूमि में इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि स्वयं मेरी तथा अन्य लोगों की स्मृति में दो बार जर्मन सेनाओं ने पूर्वी यूरोप तथा यूरोप के अन्य भागों को उजाड़ दिया था। वस्तुतः जर्मनी एक महान् देश है, जर्मनी शान्ति की कला में महान् है ही, वह युद्ध की कला में उससे भी महान् है। वह आसानी से युद्ध की कला ग्रहण कर लेता है। वह वैज्ञानिक ज्ञान के सम्बन्ध में महान् है तथा सारे पूर्वी यूरोप में जर्मन आक्रमण की याद ताज़ा है। इसलिये पूर्वी यूरोप के प्रत्येक देश में यह मुख्य विचार है कि जर्मनी का दूसरा आक्रमण नहीं होना चाहिये तथा हमें अपनी रक्षा करनी चाहिये, मेरे विचार से जर्मनी की जनता के अधिकांश भाग की यह इच्छा नहीं है तथापि जर्मनी के सैन्यीकरण की प्रत्येक बात से उन देशों को भय होता है तथा प्रश्न पश्चिमी शक्तियों द्वारा इस खतरे के मोल न लिये जाने का है। उन्होंने 'नाटो' की स्थापना क्यों की। इसका कारण यह है कि वे रूस का खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। जब जीवित रहने का प्रश्न पैदा होता है तो अच्छे सिद्धांत और भलमन-साहत धरी रह जाती है। जीवन और मरण का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। शीत युद्ध ठीक ऐसी स्थिति का परिणाम है।

अब आप इस समस्या पर तनिक विचार करें। आज इस समस्या को लीजिये। हम पर आकस्मिक एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया है। यह विपत्ति विशेषतः स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रारम्भ हो गई थी तथा तदोपरान्त निरन्तर बढ़ती गई और माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि राष्ट्रीयकरण के तत्काल पश्चात् माल्टा और साइप्रस में आंग्ल-फ्रांसीसी सेनायें भेजी गईं। उन्हें वायुयान वाहकों युद्धपोतों इत्यादि के द्वारा भेजा गया जिससे संकट वस्तुतः अधिक बढ़ गया और लोग भयभीत हो गये कि विश्व युद्ध प्रारम्भ होने वाला है। एक ओर तो यह बातें हो रही थीं, दूसरी ओर पोलेंड तथा हंगरी में आन्तरिक अशांति पैदा हो गई। कुछ सीमा तक पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में भी अशांति पैदा हो गई। पोलेंड में क्रमशः शांतिपूर्ण समझौता हो गया। आन्दोलन वैसा ही था। वस्तुतः इस आन्दोलन को शुरूआत रूस ने पोलेंड के कुछ प्रतिबंधों और बन्धनों को हटा कर की। हंगरी में ऐसा नहीं हुआ तथापि मेरे विचार से यह संभव था कि यदि मिस्र पर यह आक्रमण नहीं होता तो हंगरी के इस विद्रोह का, जिसे अन्ततः रूस ने दबाया, बिल्कुल दूसरा रूप होता। इससे भय तथा अन्य कई बुराइयां पैदा हो गईं। सर्वप्रथम एक अत्यन्त संकटमय स्थिति पैदा हो गई है। सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध हो और यदि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध हुआ तो हम कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं।

दूसरे इंग्लैण्ड तथा फ्रांस जैसे देशों का, जिनकी प्रजातन्त्रीय देशों में बड़ी प्रतिष्ठा हैं, बीसवीं शताब्दी के बीच भी ऐसी बात कर रहे थे, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विधि तथा व्यवस्था के सामान्य नियम भी भंग हो गये तथा अन्य देशों के लिये भी भयभीत हो कर ऐसा ही करना अधिक सरल हो गया। वह भय क्या था मैं इसे समझने और उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न कर रहा हूं हंगरी में जो कुछ भी हुआ उससे वह रूस का विरोधी हो गया। इससे विरोध की सीमा रूस तक आ गई जिससे रूमानिया और बलगेरिया प्रभावित हुए और अव्यवस्था बढ़ गई। अब जर्मन सैन्यीकरण के अलावा भी सभी कुछ हो सकता है आप कह सकते हैं कि यह सब न्यायोचित नहीं है। मैंने एक बार इसी सम्बन्ध में एक महान् रूसी नेता से बातचीत की थी और मैंने पूर्ण आदर से उनसे यह निवेदन किया कि उनके भाषणों से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सुधार में बहुत सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उनसे उत्तेजना बढ़ती है। उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं हमने ऐसे भी भाषण दिये हैं किन्तु स्मरण रखिये हम ३० या ४० वर्ष तक घेरे में बन्द रहे हैं। इसी से हम में वे सभी भावनायें पैदा हो गई हैं जो कि कदखाने में रहने वाले व्यक्तियों की होती हैं। किसी भी भय की हम में तुरन्त प्रतिक्रिया होती है। निस्संदेह इसमें बहुत बड़ा खतरा है। हमें यह आदत हो गई है और हम कभी-कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पर हमें पीछे दुःख होता है। इसके पीछे यह मनोविज्ञान है।

वर्तमान समय में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कोई देश युद्ध नहीं चाहता तथापि प्रत्यक देश दूसरे से भयभीत होकर युद्ध की तैयारी करता है।

आचार्य कृपालानी की बात पर मुझे आश्चर्य है मेरे विचार से यह न्यायोचित नहीं है। उन्होंने संकल्प पर मतदान के सम्बन्ध में कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यूगोस्लाविया ने इसलिये मतदान दिया कि उसे रूस का भय है। मेरे विचार से इससे अनुचित और कोई बात नहीं हो सकती है, यूगोस्लाविया अन्य देशों की तरह, 'डान कुइक्सोट' की भांति हाथ में भाला लिये नहीं फिरता। और न हमारे समाजवादी मित्रों की तरह अपने सिद्धान्तों की घोषणा करता है। वह यह नहीं कहता है कि दुनियां बुरी है और उसका सुधार होना चाहिये, ऐसा कह कर वह चुप होकर बैठ नहीं जाता है, बल्कि पिछले कई वर्षों में वह खतरे उठाकर भी रूस के विरुद्ध रहा है और अपने सिद्धांतों का प्रतिपालन किया है। पिछले एक दो वर्षों में रूस और यूगोस्लाविया के बीच की दीवार कुछ हटी है। यह रूस के प्रयत्नों से ही हटी है यूगोस्लाविया केवल इस पर सहमत हुआ है। रूस नें ही इसकी शुरुआत की है, क्योंकि स्वयं उनके देश के अन्दर बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। यह यूगोस्लाविया के भय से नहीं किया गया है। विश्व के उस भाग में यूगोस्लाविया का बहुत प्रभाव है। जो कुछ यूगोस्लाविया में हुआ है, स्वाभावतः उसका प्रभाव पौलेंड, हंगरी तथा अन्य देशों पर पड़ा है; इसका प्रभाव अन्य देशों पर और कुछ हद तक स्वयं रूस

पर पड़ा है। यूगोस्लाविया इन दो प्रकार के आन्दोलनों को प्रोत्साहित करता रहा है। एक आंदोलन उदारीकरण या लोकतन्त्रीकरण के लिये है और दूसरा यह है कि प्रत्येक देश पूर्णतया स्वतन्त्र होना चाहिये और उस पर किसी देश का प्रभाव या दबाव या अधिकार नहीं होना चाहिये। वे विकसित हो सकते हैं। यूगोस्लाविया वाले समाजवादी और साम्यवादी हैं, किन्तु वे ऐसे साम्यवादी नहीं हैं, जैसे रूसी हैं। साम्यवाद के बारे में उनके अपने विचार हैं। उनका कहना है कि प्रत्यक अपने तरीके से समाजवाद को विकसित करे, जोकि बिल्कुल ठीक है। कुछ भी हो, मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने लगातार मुकाबला किया है और रूस के भय से या रूस की किसी अन्य कायवाही के कारण अपनी नीति को नहीं छोड़ा। मेरे विचार में यह कहना बहुत असाधारण बात होगी कि उन्होंने रूस के भय के कारण इस प्रकार मतदान किया है। मैं यह विशेष रूप से कहता हूं क्योंकि यूगोस्लाविया और इसकी नीति के बारे में प्रजा समाजवादी दल की राय बहुत अच्छी है और उसके कुछ नेता वहां गये भी हैं और यूगोस्लाविया के नेताओं से बातचीत की है। यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियों ने उनके सम्मेलनों में भी भाग लिया है। पिछले दो या तीन वर्षों में भारत सरकार का यूगोस्लाविया के साथ काफी सम्पर्क रहा है और यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जिसके साथ हमने अन्य देशों की अपेक्षा स्थिति के बारे में अधिक बार विचार विनिमय किया है। यूरोप की स्थिति के सम्बन्ध में हम इसे बहुत महत्व देते हैं। इसका पहला कारण यह है कि भौगोलिक रूप से यूगोस्लाविया इस प्रकार स्थित है कि उसका केन्द्रीय, पूर्वी और दक्षिण यूरोप की स्थिति से गहरा सम्बन्ध है। ऐतिहासिक और भाषा की दृष्टि से उसका उन से गहरा सम्बन्ध है। पिछले ३० वर्षों में यूगोस्लाविया और रूस तथा यूरोप के अन्य देशों के नेताओं में घनिष्टतम सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। बाद में वे अलग हो गये थे और अन्त में फिर इकट्ठे हो गये हैं। इसके फलस्वरूप यूगोस्लाविया के नेता, विशेषकर प्रधान टीटो स्थिति को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप इससे सहमत हो या न हों, यह और बात है, किन्तु वह एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभव का अभिप्राय उच्च सिद्धांतों से नहीं है, बल्कि इस बात को जानने से है कि दूसरे पक्ष के मन में क्या है। अतः हम इसे बहुत महत्व देते हैं। मैं कह सकता हूं कि हम कुछ हद तक यूगोस्लाविया के नेताओं की राय से प्रभावित हुए हैं। जहां तक एशिया का सम्बन्ध है, हमें उनसे कुछ अधिक ज्ञान है और संभवतः वे एशिया की स्थिति के बारे में हमारी राय से प्रभावित होते हैं। यूरोप की स्थिति के बारे में हम निस्संदेह उनकी बात को महत्व देते हैं।

आज प्रातः मैं प्रधान टीटो के एक भाषण की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो उन्होंने ११ नवम्बर को पुला में दिया था। यह एक लम्बा भाषण है, किन्तु यूगोस्लाविया सरकार ने हमें यह बीस पृष्ठ का भाषण तार द्वारा भेजा है, जो हमें कल मिला है। इसमें उन्होंने हंगरी, मिस्र, यूरोप और विश्व की स्थिति का विश्लेषण किया है और वे अपने निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। यह सच है कि उनके सामने जो उद्देश्य थे, वे हमारे उद्देश्यों या अन्य देशों के उद्देश्यों से भिन्न हो सकते हैं। यह और बात है, मेरा निवेदन यह है कि वह अपने ढंग से पिछले कुछ वर्षों से पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतन्त्रीकरण के लिये काम करते रहे हैं। वह इन देशों के नेताओं से अच्छी तरह परिचित हैं और वह उनकी भाषा भी बोल सकते हैं और उन्हें उनसे बातचीत करने के लिये दुभाषिये की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये उनकी राय से सहायता मिल सकती है। मैं २० पृष्ठों का यह भाषण पढ़ना नहीं चाहता हूं। केवल इतना कहूंगा कि कुछ विषयों में यह बिल्कुल सही है, यद्यपि कुछ मामलों में उनसे सहमत होना बहुत कठिन है। वर्तमान हंगरी सरकार के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। यह मैं इसलिये कहता हूं क्योंकि एक माननीय सदस्य की इस बात से मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ है कि श्री कादार एक देशद्रोही और कठपुतली हैं और उन्हें निकाल देना चाहिये।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं यह आशा करता हूं कि इस सदन में अधिक उत्तरदायित्व से बात की जाये। मुझे खेद है कि इस सदन के एक सदस्य, मेरे अपने दल के एक सदस्य इस प्रकार के बेहूदा वक्तव्य दे सकते हैं। सम्भवतः श्री कादार को हंगरी के अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह बात दूसरी है। किन्तु मेरे विचार में एक ऐसे व्यक्ति की निन्दा करना, और उन्हें क्विजलिंग कहना जिनका सारा जीवन स्वतन्त्रता के संग्राम में गुज़रा है, जिन्हें हंगरी की साम्यवादी अर्थात् पिछली या स्टालिनवादी सरकार ने कई वर्षों तक जेल में रखा है, जो अब बाहर आये हैं और श्री नाज की सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य थे, अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की हद है।

अन्य सदस्यों ने कहा है कि इस सरकार को मान्यता न दी जाये। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य इन समस्याओं के बारे में कैसे सोचते हैं। हम हंगरी को एक स्वतन्त्र देश मानते हैं। यदि कोई माननीय सदस्य कहें कि यह पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है, तो मैं सहमत हो सकता हूं। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि विश्व में बहुत कम देश पूर्णतया स्वतन्त्र हैं और जिनकी बागडोर किसी अन्य के हाथों में नहीं है। वे स्वतन्त्र भले हों और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में मतदान करते हों, किन्तु मुझे इस बात पर संदेह है कि उनका मतदान शतप्रतिशत स्वतन्त्र मतदान होता है ऐसे देशों की संख्या बहुत है, जिन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है।

मैं प्रधान टीटो के लम्बे भाषण में से एक पैरा पढ़ता हूं। विश्लेषण के बाद उन्होंने कहा :

> "हमें आज कादार सरकार की सहायता करनी चाहिये। साथियो! मैं अपने विषय से कुछ दूर चला गया हूं। मैं आपको बताना चाहता था कि हंगरी की वर्तमान घटनाओं को समाजवाद या क्रांति विरोध के दृष्टिकोण से देखते हुए, हमें कादार की वर्तमान सरकार का समर्थन करना चाहिये। हमें इसकी सहायता करनी चाहिये क्योंकि यह संकट में है·····"

मैं और नहीं पढ़ूंगा। बात यह है कि किसी देश या विश्व को जिस स्थिति का सामना है, वह सरल नहीं होता। कई बार, विश्व में या व्यक्तिगत जीवन में या राष्ट्रीय नीतियों में हमें वह विकल्प अपनाना पड़ता है जो दो बुरे विकल्पों में से कम बुरा हो। विपत्ति या युद्ध से बचने के लिये हमें कुछ पग उठाने पड़ते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि हंगरी में जो कुछ हुआ है, वह बिल्कुल स्पष्ट है और हम वहां की स्थिति के बारे में एक शानदार भाषण दे सकते हैं। मैं उन्हें बता सकता हूं कि पिछले २० दिनों में——क्योंकि यह संकट ३१ अक्तूबर के लगभग ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिस्र को चेतावनी दिये जाने से शुरू हुआ था——या पहले पखवाड़े में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने दिन रात काम किया है, क्योंकि हमें यह कठिनाई पेश थी कि हम क्या करें, क्या कहें और क्या उत्तर दें। हमें अपने लोगों से, अन्य देशों से, अन्य देशों के नेताओं से आधी रात को सब प्रकार के संदेश प्राप्त हो रहे थे और हमें इन का तुरन्त उत्तर देना था और हमें कई बार अन्य महाद्वीपों को टेलीफोन करना पड़ा। हमें बहुत जटिल स्थिति का सामना था और किसी स्थिति का मुकाबला कोई सूत्र बता कर नहीं किया जा सकता। एक ऐसा पग उठाना पड़ता है, जिससे स्थिति में सुधार हो हमें सब से अधिक चिन्ता इस बात की थी कि हमें युद्ध से बचना चाहिये और इससे बचने के लिये हम जो कुछ कर सकते हैं, करना चाहिये, क्योंकि युद्ध से सर्वनाश हो जाता है, यदि युद्ध न हो, तो जो हानि हो चुकी है, उसे ठीक किया जा सकता है और कोई रचनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अन्य स्थानों पर हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों का भी यही हाल हुआ है।

श्री शिवाराव ने शिकायत की है कि हमने सदन को पर्याप्त जानकारी नहीं दी और हमें समय-समय पर सदस्यों के लिये ज्ञापन जारी करने चाहिये। मुझे सदन को अधिक से अधिक जानकारी देकर प्रसन्नता

होगी, किन्तु मैं उनका अर्थ नहीं समझा। यदि संसद् का सत्र ही रहा हो और कोई महत्वपूर्ण घटना हो, तो सदन को उसके बारे में बताना मेरा कर्त्तव्य है और किसी ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्र न हो रहा हो, तो मैं दूसरे तरीके से जानकारी दे सकता हूं। किन्तु इन २·५ सप्ताहों में, स्थिति इतनी जल्दी बदल रही थी और तथ्य इतने अस्पष्ट थे कि कोई ज्ञापन जारी करना आसान काम नहीं था। हमें यह डर था कि हम कोई ग़लत बात न कह दें या ठीक बात ग़लत समय पर न कर दें। यह याद रखना चाहिये कि ठीक बात को ग़लत समय पर कहने से भी हानि हो सकती है। ऐसे मामलों में क्या कहना चाहिये, कब कहना चाहिये और कैसे कहना चाहिये, यह बहुत कठिन है।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों को यह पहले ही भाप लेना चाहिये था कि क्या होने वाला है। यदि वे ऐसा कर सकते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, परन्तु मैं यह नहीं समझ सकता कि हम अपने नवयुवकों से इस प्रकार की भावी घटनाओं का पहले से अनुमान लगाने की कैसे आशा कर सकते हैं, जबकि विश्व के किसी आदमी को इनका ज्ञान नहीं था। इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया। तीन-चार दिन पहले इसकी कुछ आशंका थी। सदन को याद होगा कि इस आक्रमण से ठीक एक मास पूर्व इज़राइल के प्रधान मंत्री श्री बेन गूरियन ने घोषणा की थी कि वह निवारक युद्ध के पक्ष में नहीं है। और वह ऐसा युद्ध नहीं करेंगे। यह बहुत असाधारण बात है कि एक प्रधान मंत्री इस प्रकार का आश्वासन देकर एक मास के अन्दर उसका उल्लंघन कर देंगे।

आशंका इस बात से उत्पन्न हुई थी कि प्रधान आइजनाहोवर ने—आप जानते हैं कि इंग्लैण्ड और अमेरिका के संसाधन हमारे संसाधनों से कहीं अधिक हैं—एक अपील जारी की थी, जिसमें उन्होंने इज़राइल और अन्य देशों से संयम से काम लेने के लिये कहा था और लोगों को निकलने के लिये तैयार रहने की भी बात चली थी। यह हमने इज़राइली आक्रमण से तुरन्त पूर्व समाचारपत्रों में पढ़ा था।

जहां तक आंग्ल-फ्रांसीसी चेतावनी का सम्बन्ध है, राष्ट्रमंडल के देशों और अमेरिका के सहित, जो इंग्लैण्ड और फ्रांस का मित्र है विश्व के किसी भी देश को इस के बारे में अल्टीमेटम से पूर्व कुछ ज्ञान नहीं था। मुझे अल्टीमेटम के साथ-साथ संदेश भी रात्रि में कुछ विलम्ब से मिला था। यह मुझे देर से प्राप्त हुआ जबकि अल्टीमेटम अगले दिन प्रातः काल आठ बजे समाप्त होने वाला था। संदेश अर्द्ध रात्रि अथवा उसके आस-पास मिला था।

आचार्य कृपालानी तथा दूसरे व्यक्तियों ने इस प्रश्न की बार-बार चर्चा की है कि हमारे साथ मंत्रणा क्यों नहीं की गई, मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परामर्श तो किसी से भी नहीं किया गया था। यहां तक अमरीका से भी परामर्श नहीं किया गया था जबकि वह सैनिक तथा अन्य दृष्टियों से ब्रिटेन के लिये इतना अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल के अधिकांश देश इस बात के लिये क्षुब्ध हैं कि इस प्रकार के मामले में उनसे मंत्रणा नहीं की गई। किन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह दैवी प्रकोप था। कितना ही अनुभवी कूटनीतिज्ञ क्यों न हो वह उस घटना के सम्बन्ध में अनुमान नहीं कर सकता था। हां यह बात दूसरी है कि वह ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता हो।

दो या तीन महीनों पूर्व सऊदी अरब और सीरिया की यात्रा से लौटते समय मिस्र स्थित भारतीय राजदूत से मेरी भेंट हुई। वह बेरूत आया। अत्यधिक परिश्रम के कारण राजदूत बीमार हो गया था। और मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हम बेरूत के एक बरामदे में बातचीत कर रहे थे तो वह मूर्च्छित हो गये। यह आश्चर्य की बात थी।

हमने उसे सम्बल प्रदान किया। राजदूत को बिस्तर में लिटाया गया। तब उन्हें कुछ होश आया। कितना अधिक परिश्रम उन्होंने किया था। मैंने उनसे कहा: "कृपया बेरूत में सात या आठ दिन ठहर कर विश्राम कीजिये।" मेरे यहां आने से एक दिन बाद समाचार मिला कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दिया गया है। इस संवाद के तुरंत बाद यह भी सुनाई दिया कि ब्रिटिश युद्धपोत चारों ओर मंडरा रहे हैं। बिचारे राजदूत को शीघ्र ही काहिरा लौट जाना पड़ा। काहिरा में इन दो या तीन महीनों में राजदूत को अत्यधिक कार्य करना पड़ा। जब वह पूर्णतया थक गये तो उन्हें थोड़ा अवकाश दिया गया। हमारा विचार था कि अब सुरक्षा परिषद् ने छः सिद्धांत मान लिये हैं जिनके आधार पर स्वेज नहर का प्रश्न सुलझ जायेगा और युद्ध का भय भी टल जायेगा। अन्य अनेक व्यक्तियों का भी यही अनुमान था। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री हैमरशोल्ड ने मिस्र इंग्लैंड और फ्रांस तथा संभवतः अन्य देशों के प्रतिनिधियों की परस्पर बातचीत के लिये एक तिथि भी निर्धारित कर दी थी। सबसे अधिक कौतूहल इस बात का हुआ कि श्री हैमरशोल्ड ने जो तिथि निश्चित की थी ठीक उसी दिन ब्रिटिश, अथवा ब्रिटिश-फ्रांसीसी अल्टीमेटम दे दिया गया। उस प्रकार हमारे राजदूत के संक्षिप्त अवकाश पर आने के दो या तीन दिन पश्चात् यह घटना घटी। उन्होंने हैदराबाद से मुझे टेलीफोन करते हुए कहा : "मुझे शीघ्र लौटना चाहिये।" मैंने कहा, "हां, अवश्य जाइये।" किन्तु वापस किस प्रकार लौटा जाये। हवाई जहाजों ने मिस्र जाना बन्द कर दिया था। राजदूत ने कहा, "मैं दमिश्क होकर जाऊंगा।" दमिश्क का रास्ता बन्द था। राजदूत दृढ़ थे : "मैं इस्तम्बूल जाऊंगा।" वहां से वह लीबिया और फिर लीबिया से काहिरा पहुंचे। सारे मार्ग रुके हैं। वहां कोई नहीं जा सकता है। वह पुनः रोम लौटे। वहां से खारतूम का रास्ता पकड़ा और खारतूम से सड़क तथा नदी के सहारे काहिरा पहुंच सके। यह उनके लौटने की गाथा है।

इसके पश्चात् लन्दन स्थित उच्च आयुक्त की बात है। स्थिति में सुधार होने पर स्वास्थ्य के कारणों से कुछ छुट्टियां दी गई थीं। उच्चायुक्त के यहां आने के पश्चात् शीघ्र ही यह घटनायें हुईं। दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे टेलीफोन किया ? "मैं वापस जाने के लिये तैयार हूं।"

†**श्री कामत** : वह दिल्ली नहीं आईं थीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह इलाहाबाद में थीं। उन्होंने टेलीफोन पर कहा : "मैं शीघ्र ही वापस लौटने के लिये तयार हूं।" मैंने उनसे पहिले दिल्ली आने के लिये कहा। वह पहले यहां आईं और फिर दो या तीन दिन पश्चात् लन्दन के लिये लौट गईं। वह दो-तीन दिन पहिले लौट सकती थीं किन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर भी वह यथासंभव शीघ्र ही लौट गईं।

हंगरी स्थित प्रतिनिधि के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। हंगरी में श्री के० पी० एस० मेनन हैं जो मास्को में हमारे राजदूत हैं। यद्यपि वह सामान्यतया मास्को में रहते हैं किन्तु हंगरी भी जाते रहते हैं। पोलैंड सदृश अन्य देशों में भी ऐसा ही है क्योंकि सर्वत्र दूतावासों की स्थापना के लिये हमारे पास व्यक्ति नहीं हैं। हंगरी में तनाव के कारण हमने एक नये पदाधिकारी को वहां भेजा ताकि वह राजदूत अथवा प्रथम सचिव को रिपोर्ट भेज सके। यह पदाधिकारी तब से वहीं हैं। उसने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है। वह कम आयु वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो अपरिचित देश में कार्य कर रहा है। हमने मास्को स्थित हमारे राजदूत श्री के० पी० एस० मेनन को लिखा है कि वह शीघ्र हंगरी जाकर रिपोर्ट भेजें।

इस तथ्य की ओर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पर्याप्त कहा गया है कि भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ को गये हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में मतभेद है। मैं यह स्पष्ट बता दूं कि भारत सरकार और हमारे प्रतिनिधियों के बीच पूर्ण मतैक्य है। प्रतिनिधियों के रवाना होने से पहिले परस्पर विशद चर्चा होती है और हम विषय पर पूरा विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे हमारा पत्र-व्यवहार निरन्तर बना रहता है। स्वाभाविक है कि ऐसा सदैव नहीं किया जा सकता किन्तु आपातकालीन सत्र प्रायः होते ही रहते हैं। सहसा अर्द्ध रात्रि को संकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं और आपात के परिणाम-स्वरूप उन्हें उसी समय पारित कर दिया जाता है। अभी जब हम इस सदन में बैठकर वक्तृतायें सुन रहे

†मूल अंग्रेजी में।

हैं न्यूयार्क से आये हुए एक टेलीफोन में मुझे अभी बताया गया है कि वहां आज क्या हो रहा है। कुछ देश हंगरी से वहां के कुछ लोगों को निर्वासित करने सम्बन्धी समाचार के बारे में एक संकल्प की प्रस्थापना कर रहे हैं। मेरे पास संकल्प का पाठ नहीं है। कदाचित् यह समाचारपत्रों में छपा है। इन निर्वासन के मामलों के बारे में समाचार निकले हैं उनमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शीघ्र कुछ व्यक्तियों को भेजकर कोई कार्यवाही करे। हमने इस संकल्प का अनुमोदन नहीं किया। हमने एक अन्य संकल्प प्रस्तुत किया। हंगरी और सोवियत रूस के प्रतिनिधियों ने इस समाचार का खण्डन किया है कि लोगों को निर्वासित किया गया है। अतः सही तथ्यों को मालूम करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि निर्वासन की धारणा अरुचिपूर्ण ही नहीं है अपितु नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध भी है। हमें तथ्य मालूम करना चाहिये और हंगरी की सरकार से कहना चाहिये कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों अथवा महासचिव को वहां जाकर इस मामले की जांच करने की अनुमति दें। मेरे पास उसके शब्द ज्यों के त्यों नहीं हैं किन्तु उनका भाव यही है। हमारा विचार था कि संयुक्त राष्ट्र जैसी उत्तरदायी संस्था के लिये बिना जांच के निर्णय की घोषणा करना उचित नहीं है। निर्णय के पहले जांच से साधारण अन्तर नहीं पड़ेगा, जांच करना श्रेयस्कर है। सही बात यह है कि बिना जांच के निर्णय बुरा है। हमने कहा, "इस विषय की जांच करिये।" मैं नहीं जानता कि महासभा में आज क्या फैसला होगा। यदि हमारा संकल्प प्रस्तुत किया गया और स्वीकार हो गया तो अच्छी बात है। यदि कोई अन्य संकल्प स्वीकृत हुआ तो हमारा प्रतिनिधि मतदान के समय अनुपस्थित रहेगा। आप यह नहीं कह सकते कि पहला पैराग्राफ इस प्रकार है और दूसरा पैराग्राफ उस प्रकार है तथा इसमें कुछ बुराई नहीं है। आप इन बातों पर इस प्रकार विचार नहीं कर सकते। हमें समूचे विषय पर विचार करना है। पूरा विषय, उसकी पृष्ठ भूमि तथा उसका अभिप्राय इन सब पर विचार करना है।

चार नवम्बर का संकल्प ही लीजिये जो इतनी चर्चा का विषय बन चुका है। यह संकल्प पाकिस्तान, क्यूबा तथा दो या तीन दूसरे देशों ने रखा था और हमने इसके विपक्ष में मत दिया था।

†**श्री कामत** : नौ नवम्बर के दिन।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यही संकल्प लीजिये; इसका संपूर्ण संदर्भ लीजिये। इस कथन में कोई लाभ नहीं है कि प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में कुछ और कहा गया है और हम इसके विरूद्ध नहीं हैं। संदर्भ देखने की आवश्यकता है। उसका लक्ष्य देखिये। उसके अभिप्राय पर विचार करिये। दुर्भाग्य से ऐसी ही कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

हंगरी और मिस्र की घटनाओं से शीत युद्ध ने गहन रूप धारण कर लिया है। यह ठीक नहीं है। सोवियत संघ हंगरी को विस्मृत कर बैठा है, उस पर उन्होंने चादर डाल दी है और मिस्र तथा आंग्ल-मिस्री आक्रमण की बात कर रहे हैं। दूसरे देश मिस्र को भूल कर केवल हंगरी के बारे में बातचीत करते हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : हमें दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समाजवादी दल भी मिस्र को विस्मृत कर केवल हंगरी के बारे में चर्चा कर रहा है। (**अन्तर्बाधा**) मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि आप इस बात का पता लगायें कि हंगरी और मिस्र के सम्बन्ध में दी गई वक्तृताओं पर कितना-कितना समय दिया गया है। आप सदन में भाषणों के लेखे से इसका हिसाब लगा सकते हैं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि समय के परिमाण को नहीं अपितु यह देखिये कि किस विषय पर कितना बल दिया गया है। वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रति आदर की सम्पूर्ण भावना के साथ मैं यह कह दूं कि दुर्भाग्य से यह विषय गलत हाथों में पहुंच गया है। इस प्रकार के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विषयों में, और विशेष रूप से हंगरी के मामले में 'सांस्कृतिक स्वातन्त्र्य संस्था'' 'प्रजातांत्रिक गवेषणा सेवा' और अनेकानेक संस्थाओं की ओर से हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं उन संस्थाओं की ओर निर्देश कर रहा हूं जो 'सांस्कृतिक स्वातन्त्र्य संस्था' के उच्च ध्वनि निनादित नामों की ओट में काम कर रही हैं। मैं नहीं जानता कि इस संस्था में प्रजातंत्र तथा संस्कृति सरीखी कौन-सी बात है। वे केवल राजनीतिक संस्थायें हैं। राजनीतिक संगटनों की नाईं यह भी एक संस्कृति सम्बन्धी संगठन है। किन्तु उसका उद्देश्य साम्यवाद की अभिवृद्धिमात्र है।

इन उच्च निनादित नामों के होते हुए भी इन परस्पर विरोधी संगठनों का आविर्भाव हुआ है। इनके मुख्य कार्यालय सामान्यतया बम्बई में हैं, प्रजा समाजवादी दल से उनका प्रगाढ़ सम्बन्ध है और यह प्रजातंत्र तथा स्वतन्त्रता का प्रचार इस अनोखे ढंग से कर रहे हैं। यह विषम स्थिति है।

यह दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ रहा है। उनके गुणावगुण पर ध्यान दिये बिना केवल दो दृष्टिकोण लेकर उन पर चर्चा की जाती है। 'सांस्कृतिक स्वतन्त्रता संस्था'' का एक दृष्टिकोण है दूसरी संस्था का उद्देश्य हमारी सरकार की जहां-तहां निन्दा करने का है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप जो भी संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे जाते हैं उनमें से कुछ संकल्प राजनीतिक मंशा के होते हैं। वह मंशा कुछ दलों को, हंगरी में संघर्ष करने वाली और मिस्र में जूझने वाली जनता को निन्दित करना है। भाषण इसी दृष्टिकोण से दिये जाते हैं कि जनता का ध्यान एक विषय से हटा कर दूसरे विषय की ओर परावर्तित किया जा सके।

नवम्बर के प्रथम सप्ताह में विश्व का ध्यान मिस्र की ओर केन्द्रित था। समूचे सदन को ज्ञात है कि मिस्र में आंग्ल-फ्रांसीसी और इज़राइल के आक्रमण के विरुद्ध सारे विश्व में एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। उसी समय हंगरी का प्रश्न भी उत्कट रूप में प्रस्तुत हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इजराइल के प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस कथन से सहमत हूं कि इस प्रश्न ने चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। किन्तु इस समस्या पर इस ढंग से विचार किया गया कि हंगरी में यह घटना हुई है अतः अब मिस्र की अपेक्षा हंगरी पर ध्यान देना चाहिये। हंगरी के सम्बन्ध में इस तरह के आन्दोलन में वहां की असहाय जनता का कोई हाथ नहीं है। मैं वहां की जनता के बारे में नहीं कह रहा हूं; अपितु मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो हंगरी की जनता के भविष्य के सम्बन्ध में उक्त दृष्टिकोण स विचार करते हैं। कुछ व्यक्तियों की हंगरी के प्रश्न के बारे में धारणा है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज का एक पासा है। कुछ अन्य व्यक्तियों की मिस्र के बारे में भी यही धारणा है। इस क्षणिक आवेश और उद्विग्नता में प्रवाहित हो जाना सरल है। एक प्रतिनिधि मंडल का कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की घटना से प्रवाहित न हो; इसके विपरीत उसका काम घटना को रोकना है। अतः यह किसी कण्डिका अथवा उपकण्डिका की शब्दावली का प्रश्न नहीं है। सम्पूर्ण संदर्भ पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह भी याद रखना है कि कब तथा किस प्रकार सारी बात रखी गई। एक माननीय सदस्य ने जिनका नाम मैं भूल गया हूं, संकल्प के समय तथा उसे प्रस्तुत करने वाले देश का नाम बताया। आदर की सम्पूर्ण भावना के साथ म कह सकता हूं कि किसी भी महत्वपूर्ण देश ने यह संकल्प प्रस्तुत नहीं किया था। चाहे वह बाद म इसके पक्ष में मत दें किन्तु उन्होंने यह प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने इसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया? उनका विचार था कि उन परिस्थितियों म यह संकल्प उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं था। स्वाभाविक है कि जब मतदान का समय आया तो उन्होंने सोचा कि श्रयस्कर यही है कि पक्ष में मत दिया जाये। सारी बात का यही ब्योरा है। दूसरे देशों में और कुछ सीमा तक स्वयं भारत में सारे प्रापैगेण्डा का मूल इसी बात को लेकर है कि भारत ने इसके पक्ष में मत दिया, भारत ने उसके समर्थन में मत दिया, आदि। स्पष्ट है कि सम्पूर्ण घटना के पीछे एक राजनैतिक उद्देश्य था—भारत को निन्दित करना क्यों कि कई मामलों में

संयुक्त राष्ट्र में विचार के समय भारत ने दृढ़ विचारधारा अपनाई है। यह ठीक है कि अधिकतर लोगों को तथ्य ज्ञात नहीं थे और उनकी जो प्रतिक्रिया हुई उसके लिये उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस सब का तात्पर्य यह था कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल और भारत सरकार को ग़लत साबित करने का प्रयत्न किया जाय और हो सकता है कि इस प्रकार के बड़े पैमाने पर किये गये प्रचार का भारत में भी बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ा हो।

मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को सब बातों पर विचार करते हुए सोचें। यही कारण है कि मैंने श्री कृष्णा मेनन द्वारा हंगरी के सम्बन्ध में दिये गये दोनों भाषणों की प्रतियां परिचालित करने का असाधारण कदम उठाया। उनके पूरे भाषण से हमारा दृष्टिकोण पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है और इसीलिये मैं चाहता हूं कि सदन उन दोनों भाषणों को पढ़े और तब अपना निर्णय दे। किसी भी ग़लतफहमी को दूर करने के लिये मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि उनका भाषण हमारा सही दृष्टिकोण व्यक्त करता है और वह मत सही दिया गया था। यदि फिर कभी इसी प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हुई तो हम फिर इसी प्रकार मत देंगे। किन्तु ग़लत शब्दों से मढ़े हुए संकल्प के पक्ष में मत लेकर हमें ग़लत नीति-निर्माण का भागीदार नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है कि उसका कोई भाग स्वयं में सही हो। किन्तु उसका विरोध करने का मेरे पास न्यायोचित कारण है, चाहे यहां-वहां यह अच्छा क्यों न हो। इसमें से हम कुछ इधर से और कुछ उधर से नहीं ले सकते।

कुछ सदस्यों ने इजराइल के सम्बन्ध में बरती गयी हमारी नीति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। हमने भूतकाल में इजराइल के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी उसे और उसके कारणों को कभी गुप्त नहीं रखा। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाने के कुछ समय पश्चात् तथा अन्य अनेक देशों द्वारा मान्यता दी जाने के पश्चात् हमने उसे मान्यता दे दी। हमने इसलिये उसे मान्यता दी कि हमारी यह नीति थी कि जो भी स्वतन्त्र देश हो और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो उसे मान्यता दी जाये। स्पेन को जिसे हमने एक लम्बे अरसे तक अन्य कारणों से मान्यता नहीं दी थी, उपरोक्त कारण से ही हमने मान्यता दी, यद्यपि हमारा स्पेन की नीति से भूतकाल में काफी मतभेद रहा है। अब स्पेन का प्रतिनिधि भी हमारे देश में मौजूद है। एक बार मान्यता देकर यह युक्तियुक्त ही हो जाता है कि दौतिक आदान-प्रदान होता। किन्तु इसके साथ-साथ हम बराबर गत दो-तीन वर्षों से यह भी प्रयत्न कर रहे थे कि अरब देशों और इजराइल के मध्य मत-भेद कम हो जाये। हमने इस बात का प्रयत्न किया और इस निदान पर पहुंचे कि विद्यमान आवेशों को देखते हुए, यदि हम इजराइल को मान्यता दे दें तो हमारा कार्य कठिन हो जायेगा। प्रश्न इस बात का है कि विद्यमान परिस्थिति को देखते हुये आप यह निर्णय करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोत्तम प्रकार से कैसे की जा सकती है। मैंने मिस्र वालों से तथा अन्यों से इस बारे में कहा किन्तु मुझे कहना पड़ता है कि इजराइल की बढ़ती हुई आक्रांत्मक प्रवृत्ति देख कर मुझे आश्चर्य हुआ दूसरी ओर भी काफी आक्रांत्मक कार्यवाही हुयी है और जोशीले भाषण दिये गये हैं, किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों ने जो वहां युद्ध विराम रेखा पर थे जो अभिलेख रखा है उसे यदि माननीय सदस्य देखें तो माननीय सदस्यों को विदित होगा कि इजराइल की ओर से मिस्र की अपेक्षा अधिक आक्रमक कार्यवाही हुई है।

अन्त में, इजराइल की इस अंतिम कार्यवाही ने मुझे हैरान कर दिया है। नैतिक रूप से तो यह निंदनीय है ही किन्तु किसी भी देश के लिये इस प्रकार का जुआ खेलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। इस समय मैं बड़े असमंजस में हूं। कुछ मास पूर्व भी मुझे आशा थी कि किसी प्रकार का समझौता हो जायेगा। किन्तु अब मेरी समझ में बिलकुल नहीं आता कि अरब देशों और इजराइल के बीच समझौता किस प्रकार हो। भावनाओं को इस सीमा तक उभाड़ा गया है कि काफी समय बीत जाने पर ही लोग इस चीज को भूल सकते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि हम राष्ट्रमंडल से अलग क्यों नहीं हो जाते। यह प्रश्न विभिन्न संदर्भों में अनेक अवसरों पर उपस्थित हुआ है और मैंने विविध कारणों से राष्ट्रमंडल में रहने का समर्थन किया है। यह बिलकुल सही है कि मिस्र पर आंग्ल-फ्रांसीसी हमले से इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जाना है। हमारे एक पुराने राजनीतिज्ञ ने तथा अन्य लोगों ने भी इस प्रश्न पर लिखा और बोला है। वास्तव में हमने इस पर विचार किया था और कलकत्ते में उस दिन मैं इस पर बोला था।

सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि क्या राष्ट्रमंडल को छोड़ने का हमारे पास पर्याप्त कारण है। सब चीजों को देखते हुए, मैं नहीं समझता कि इस घटना के कारण हमारे लिये राष्ट्रमंडल छोड़ देना उचित होगा। कोई भी कार्यवाही इसलिये की जाती है कि उसका कोई परिणाम निकले। यहां परिणाम केवल यह होगा कि इससे हमारी मिस्र पर आक्रमण के विरुद्ध दृढ़ भावना को अभिव्यक्ति मिलेगी। यह भावना इस समय व्यक्त करना ठीक भी है। किन्तु हमने इस भावना को पहले ही बड़ी दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया है और मिस्र पर किये गये आक्रमण के प्रति हमारा क्या रुख है इसमें किसी को भी लेशमात्र सन्देह नहीं हो सकता।

फिर, हमें इस बात पर विचार करना है तात्कालिक तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोणों से। तात्कालिक समस्या यह है कि इस परिस्थिति को विश्व-युद्ध में परिणित होने से रोकने के लिये हम क्या कर सकते हैं। हमारा ख्याल है कि हमारी इस प्रकार की कार्यवाही से इस ओर कोई सुधार नहीं होगा, अपितु परिस्थिति और बिगड़ जायेगी।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भी——यह मानते हुए कि युद्ध न हो और परिस्थितियां एक स्तर तक सुधर जायें——मेरा ख्याल है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमें जारी रखना ही उचित है। हमारे ख्याल में यह सहायक है, यह शान्ति स्थापना में सहायता कर सकती है; शान्ति स्थापना में इसने सहायता की है। एक सदस्य ने पूछा कि इससे आप तत्काल किस प्रकार शान्ति कायम रखते हैं? निश्चय ही हम नहीं जानते, किन्तु मैं कहता हूं कि अन्यथा भी आप किस प्रकार यह कर सकते थे। कितनी ही समस्यायें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और विशेषकर, इस बढ़ती हुई जटिल विश्व परिस्थिति में, हमारा ख्याल है कि जो चीजें हुई हैं उन पर खीज और क्षोभ प्रकट करके राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध तोड़ दें तो यह सहायक नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि यह सम्बन्ध हमारे लिये अच्छा है और मेरा ख्याल है इंग्लैंड के हित में भी यह सम्बन्ध है। कम से कम कुछ राष्ट्रमंडल के देशों को मैं जानता हूं, जिनकी मैत्री और जिनके मत का हम आदर करते हैं, जो कि राष्ट्रमंडल में बने रहना चाहेंगे। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हम एक बड़ी अनिश्चित परिस्थिति में से गुजर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या रूप धारण करेगी, यह उस पर निर्भर है।

आचार्य कृपालानी ने हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्यों द्वारा जारी किये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहा। जहां तक मुझे ख्याल है, इसे जारी करने वाले सभी सदस्य संसद् के सदस्य हैं, जिन्हें यहां के माननीय सदस्यगण भली भांति जानते हैं। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मुझे सूचित किया——मुझे यह नहीं मालूम था कि वे कोई वक्तव्य निकाल रहे थे——कि उन्हें भारत द्वारा दिये गये मत पर हुए शोरगुल पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमने भाषण सुने और केवल यही मार्ग था जो कि अपनाया जा सकता था। यह उनकी धारणा थी, और उन्होंने मुझे यह सूचित किया। तब अंततोगत्वा उन्होंने यह वक्तव्य निकालने का निर्णय किया, जिसका उन्हें पूरा अधिकार था। स्वभावतः ही प्रतिनिधि-मंडल के आफिशियल सदस्यों से सरकार के किसी कार्य के समर्थन में कोई वक्तव्य जारी करने की आशा नहीं की जाती। किन्तु मैं अपने प्रतिनिधि मण्डल द्वारा, विशेषकर उसके नेता द्वारा, किये गये कार्य की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। अब लगभग एक ऐसी परिस्थिति आ पहुंची है जहां एक आंतरिक

और गहरा संकट पैदा हो रहा है जिसे हमें दूर करना है, इसलिये नहीं कि हम किन्हीं अन्य देशों से किसी प्रकार अच्छे हैं, किन्तु केवल इसलिये कि अन्य देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और हमारी ऐसी स्थिति हो गयी है कि हम कुछ सहायक बन सकते हैं।

अगले कुछ सप्ताहों के दौरान में, मैं मुख्यत: प्रेसीडेंट आइजनहावर से मिलने के लिये, अमेरिका जा रहा हूं। मैं इसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा हूं, न केवल इसलिये कि अमेरिका एक महान और शक्तिशाली देश है, किन्तु इसलिये कि प्रेसीडेंट आइजनहावर एक महान् व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्येक संकट की स्थिति के समय अपना प्रभाव व्यवहृत किया है तथा शान्ति स्थापना की है। मुझे विश्वास है कि उनसे मिलना मेरे लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

फिर, लगभग दस दिन में हमारे एक महान् पड़ोसी राष्ट्र के प्रधान मंत्री और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और योग्य व्यक्ति, श्री चाऊ-एन-लाई इस देश में आ रहे हैं। इस सबसे प्रकट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी कार्य-पद्धति क्या है। हम स्पष्ट तरीके से और मैत्रीपूर्ण ढंग से अमेरिका के नेता से मिलते हैं। और उसी प्रकार हम नवीन चीन के एक अत्यन्त विख्यात व्यक्ति से मिलते हैं। तो एक प्रकार, कुछ सीमा तक, हम ऐसे लोगो के मध्य जो अलग हो गये हैं और अन्यथा मिलते नहीं हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। हम यह सेवा प्रदान कर सकते हैं, इसलिये नहीं कि हम किसी और से अच्छे हैं, वरन् केवल इसलिये कि परिस्थितियों ने और हमारी नीति ने हमें ऐसी स्थिति में विद्यमान किया है।

सदन को विदित है कि गत अनेक वर्षों से चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ से पृथक् रखे जाने पर हमने खेद प्रकट किया है। यह हमने केवल इसलिये नहीं किया कि हमारी दृष्टि में यह सही था वरन् इसलिये भी कि ऐसा न करना हमें विश्व भर के लिये हानिकारक प्रतीत हुआ, चीन से भी अधिक शेष विश्व के लिये। और जितना ही समय चीन को अलग रखा जायगा उतना ही चीन की अपेक्षा विश्व के लिये अधिक हानिकर होगा। उस दिन हमने इस मामले को फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा तथा कोई दूसरा संकल्प पास किया गया, यद्यपि मेरा ख्याल है कि इस बात पर एक प्रकार का विवाद उठ खड़ा हुआ है कि यह नियमित रूप से या पर्याप्त मतों से पास किया गया था या नहीं। किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में हम नियमित रूप से ऐसा कर सकते हैं और लोग यह समझ सकते हैं कि महज़ औपचारिक रूप से हम ऐसा कर रहे हैं। किन्तु यह वास्तव में उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम इस मामले को विश्व शान्ति के लिये बड़े महत्व का समझते हैं। हम इस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य देशों के लिये हानिकर समझते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि यदि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में होता तो सुदूर पूर्व की अनेक कठिनाइयां पैदा ही नहीं हुई होतीं। और यदि चीन वहां नहीं होगा, तो सम्भव है कि बहुत से झगड़े वहां उठते रहें। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं।

इस संकल्प पर तीन संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। श्री कामत के संशोधन का मैं जिक्र कर चुका हूं। श्री देशपांडे के शेष दोनों संशोधनों को पढ़ने से ही किसी भी व्यक्ति को प्रकट हो जायेगा कि वह इतने हानिकर हैं कि उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। मुझे उनपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक वैकल्पिक प्रस्ताव है जिसमें महज़ हमारी नीति की प्रशंसा की गयी है। इस सम्बन्ध में मेरे लिये और कुछ कहना रह नहीं जाता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वि० घ० देशपांडे के संशोधन संख्या ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री कासलीवाल का संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात् :

"This House having considered the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto, approves of the said policy."

["यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करके उक्त नीति का अनुमोदन करती है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा स्थगित होती है और कल प्रातः ११ बजे पुनः समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ में कतिपय संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७७५ की एक प्रति ।

(२) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९४३ में प्रकाशित लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकायें) नियम, १९५६ की एक प्रति ।

(३) लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम ३५५ के अन्तर्गत संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और दिनांक ९ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३१७ में प्रकाशित लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ के संशोधनों की एक प्रति ।

(४) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ में कतिपय संशोधन करने वाली दिनांक १७ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३७३ की एक प्रति ।

(५) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८८९-ए में प्रकाशित जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ की एक प्रति ।

(६) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत ३० जून, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मण्डल के आठवें वार्षिक प्रतिवेदन के साथ निगम के उस वर्ष के आस्तियों तथा दायित्वों और लाभ तथा हानि के लेखे को बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

(७) बागान जाँच आयोग के प्रतिवेदन, १९५६–भाग २–काफी की एक प्रति ।

पृष्ठ

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये ... १९०–९१

(१) उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने बाट तथा माप मान विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(२) श्री राघवाचारी ने मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर भी रखी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ १९१–२३०

१९ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किये गये अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा के पश्चात् श्री कासलीवाल द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६ का कार्य-क्रम

रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक, राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना ।

M34LSD—190—28-2-58—GIPF.